खण्ड-228, अंक-7
मंगलवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1884
(3 अप्रैल, 1962 ई0)

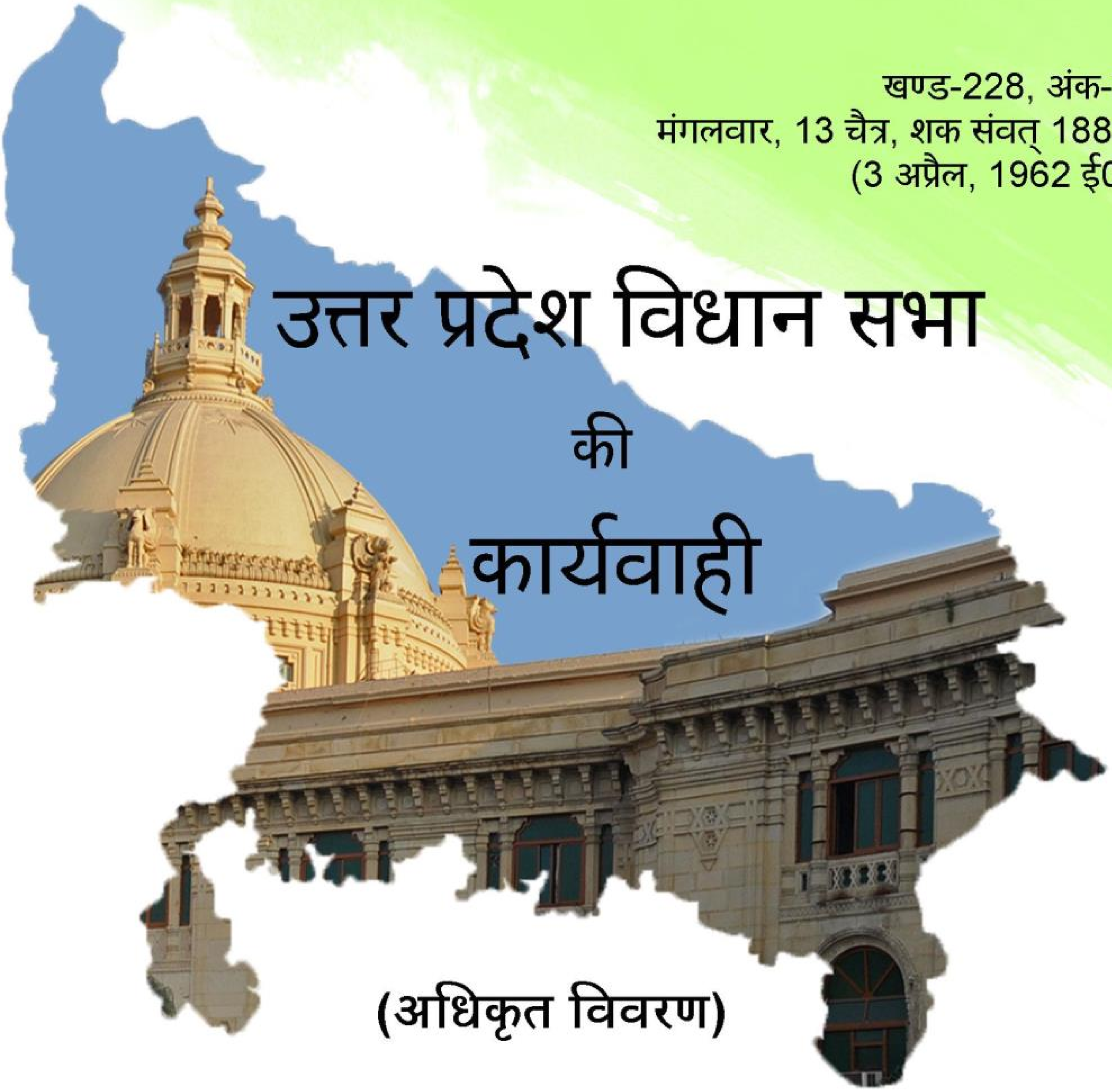

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३३५–३३९
सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण	३३९
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	३३९–३४०
नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये विषयों के सम्बन्ध में जानकारी तथा सूचनायें ..	३४०–३४१
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	३४२–३४९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	३४९–३९४
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचार जारी)	३९४–४००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५९

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगनप्रसाद, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री

विधान सभा प्रदेश

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदअली खां, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफीखां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह श्री
राजेन्द्रसिंह, यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्रविकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखनशुक्ला, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन श्री
रूकुमसिंह, श्री
रूद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोक पाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष—एक सदस्य आये हैं, माननीय गंगाधर मैठाणी जी। उनको शपथ लेनी है। वह मंच पर आयें।

(श्री गंगाधर ने शपथ ग्रहण की।)

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि प्रश्नों के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है, कब से प्रश्न लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों के सम्बन्ध में १४ दिन का नोटिस गवर्नमेन्ट को देना आवश्यक है। गवर्नमेन्ट को प्रश्न भेजे जा रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि १६ अप्रैल से सदन के समक्ष वह आ जायेंगे।

श्री रामसुन्दर—१४ दिन की सूचना तो तारांकित प्रश्नों के लिये है। अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के लिये १४ दिन की सूचना की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह जैसे जैसे आते जा रहे हैं सरकार को भेजे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कह दिया तारांकित प्रश्न १६ तारीख से सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अल्पसूचित प्रश्न उससे पूर्व भी आ सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—वह नियम तो साधारण प्रश्नों के लिये है। अल्पसूचित प्रश्नों के लिये १४ दिन की नोटिस की आवश्यकता नहीं है। तो अल्पसूचित प्रश्न शुरू करवा दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—एक तो इस माइक्रोफोन के विषय में लिखा था कि अगर इसको बीच में करवा दिया जाय तो बोलने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजे हैं। उनके लिये नियमतः तीन दिन

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

की नोटिस की आवश्यकता होती है । अगर आप ऐसी व्यवस्था करें कि वह लेने शुरू हो जायं तो माननीय सदस्यों के अन्दर जो असंतोष है वह बहुत मात्रा में दूर हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष--माननीय नेता विरोधी दल को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अल्पसूचित जो प्रश्न आये हैं उन पर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया १४ दिन की बात लागू नहीं होती है । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सरकार के पास भेजे जा रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र वह आ जायंगे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं । माननीय मंत्री जी सप्ताह का कार्यक्रम बतला दें । एक बिल निकल ही गया है कोई और निकलने वाला हो तो बतला दें ।

श्री अध्यक्ष--जो कार्यक्रम बतला दिया गया है वही रहेगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--फिर सरकार बार बार क्यों क्लोजर मूव करती है ? यह तो कल तक खत्म हो जायगा । इसलिये मैं जानना चाहता हूं । या तो समय का बंटन हम लोग कर लें .....

श्री अध्यक्ष--जब क्लोजर मूव होगा तब कहियेगा । इस समय तो क्लोजर नहीं मूव हो रहा है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये विषयों के संबंध में जानकारी तथा सूचनायें

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--नियम ५२ का मेरा सवाल था । मंत्री जी ने शायद आज के लिये कुछ कहा था ।

श्री अध्यक्ष--आपने शायद कार्यवृत्त नहीं देखा है । वह ४ तारीख के लिये मुकर्रर है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, मुझे एक सूचना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठ जाइये । काम खत्म करने दीजिये, सूचना आपको बाद में मिलेगी ।

श्री नरसिंहनारायण--नियम ५२ के अन्तर्गत जो मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था उसके सम्बन्ध में जानना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के सम्बन्ध में मैं अभी बात करता हूं । मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें आई हैं । माननीय नरसिंहनारायण ने जो नोटिस मेरे पास भेजा था उस सम्बन्ध में मैंने उनसे कहा था कि इस सम्बन्ध में और कुछ जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता हूं । वह जानकारी आप भेज दीजिये । उन्होंने कहा कि मैं भेज दूंगा । उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद मैं इस पर विचार करूंगा ।

मेरे पास नियम ५२ की ५,७ सूचनायें और आई हैं । उनमें से माननीय शिवनाथसिंह जी की जो सूचना आई है उसको मैंने महत्वपूर्ण समझकर नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है । जो अन्य सूचनायें हैं वे अपेक्षाकृत अविलम्बनीय नहीं हैं या उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं । अतः माननीय शिवनाथसिंह जी की सूचना जो स्वीकार की है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं । उसके

सम्बन्ध में मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कब बयान देंगे। आज ही देंगे या फिर आगे चलकर। उनका जो नोटिस नियम ५२ के अनुसार है वह इस प्रकार है:—

"दिनांक १ अप्रैल, को फतेहपुर डिवीजन के अन्तर्गत रजवहा घाटमपुर के ३७ वें मील के ६ वें फर्लांग पर एकाएक पटरी फट जाने से किसानों की सैकड़ों बीघे खड़ी फसल जलमग्न हो चुकी है और होती जा रही है। और अब भी पानी बांधा नहीं जा सकता है। फलस्वरूप इस मानव दत्त आपदा के कारण वहां के कई गांव का किसान दरिद्रता और कंगाली के भीषण छाया में डूब रहा है। वहां के किसानों में इस बात से और अधिक क्षोभ एवं रोष है कि नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा उस स्थान पर लगातार कई बार पटरी फटते आने के बावजूद भी भली प्रकार पटरी को पुष्ट नहीं किया गया जिसके कारण इतनी बड़ी आपत्ति का सामना किसानों को करना पड़ा है। खड़ी फसल के चौपट होने के कारण किसान निराशा, क्षोभ और रोष से संत्रस्त हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री से स्पष्टी करण चाहता हूं।"

इस विषय का प्रस्ताव मेरे पास यह आया है। अन्य जो सूचनायें आई हैं उनको मैंने महत्वपूर्ण नहीं समझा है और न अविलम्बनीय, और अन्य करण भी हैं जिनकी व्याख्या करना मैं आवश्यक नहीं समझता। अतः माननीय शिवनाथसिंह जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। माननीय सिंचाई मंत्री कृपया बतायें कि इस सम्बन्ध में वह कब सूचना दे सकेंगे।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता होगी और उसके लिये समय लगेगा। इसलिये उसके लिये कुछ समय दिया जाय तो उचित होगा ताकि उस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके सदन को दी जा सके। उसके लिये समय की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—कब तक आप वह सूचना दीजियेगा ?

श्री बनारसीदास—इसकी सूचना आपके पास सदन स्थगित होने से पहले भेज दी जायगी।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस समय ये नियम ५२ की सूचनायें आई हैं तो माननीय सिंचाई मंत्री और राजस्व मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सदन में माननीय मंत्री उपस्थित रहें क्योंकि बनारसीदास जी को पूरी सूचना न होने के कारण उत्तर देने में कठिनाई हो रही है। यह अच्छा प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार के प्रस्ताव आयें और माननीय मंत्री सदन में उपस्थित न हों। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे यह सम्भव हो सके।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अब मेरा निवेदन तो सुन लें। माननीय नरसिंह-नारायण पांडेय जी कई दिन से सात हजार जूट मिल मजदूरों के अंतरिम भत्ते के संबंध में नियम ५२ में प्रश्न दे रहे हैं और वेज बोर्ड ने उनको यह अंतरिम भत्ता देने की सिफारिश की है ....

श्री अध्यक्ष—आप तो बहस करने लगे।

श्री उग्रसेन—मैं बहस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—तो आपको समय मिलेगा।

श्री उग्रसेन—हाईकोर्ट में मिल मालिक मुकदमा हार गये फिर भी यह अंतरिम भत्ता नहीं मिल रहा है। इसके महत्व को आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैंने सुन लिया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

खंड ३— (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—कल माननीय कल्पनार्थसिंह जी अपने संशोधन पर भाषण दे रहे थे। पूर्व सके कि मैं माननीय कल्पनार्थसिंह जी को आमंत्रित करूं कि वह अपना भाषण पूरा करें, एक महत्व का वैधानिक प्रश्न और व्यवस्था का प्रश्न जो माननीय मंत्री, सचना विभाग ने मेरे सामने उपस्थित किया था उसके संबंध में अपना निर्णय देना चाहता हूं। मैं स्वयं उस आपत्ति के बारे में, जैसा कि मैंने कल कहा था, अपना मत स्थिर नहीं कर पाया था और चूंकि जो आपत्ति माननीय मंत्री जी ने उपस्थित की थी, वह बहस प्रारम्भ हो जाने के कुछ देर पश्चात् उपस्थित हुई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि अब कार्य चल रहा है, इसको स्थगित न किया जाय। इस विचार से भी कि माननीय कल्पनार्थसिंह या माननीय केसरीप्रसाद जी, जो उस समय खड़े हुए थे, या अन्य आदरणीय सदन के सदस्य उस आपत्ति के विषय के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाल सके थे, मैंने उचित समझा कि बहस जारी रखी जाय।

आज इस विषय में अध्ययन करने पर मेरा ध्यान नियम १३९ के प्रति आकृष्ट हुआ और उस नियम में यह प्राविहित है कि किसी विधेयक के खंडों या अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

'(१) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से सुसंगत होगा।'

इस नियम को देखते हुए जो भी संशोधन किसी विधेयक के खंड के संबंध से प्रस्तुत हो उसकी ग्राह्यता के लिये दो शर्तें हैं। एक तो विधेयक की व्याप्ति के अंतर्गत हो और दूसरे उसका जिस खंड के संबंध में है, अर्थात् विधेयक के प्राविधान का, उससे सुसंगत हो। यह दो शर्तें आवश्यक हैं। प्रागदर्शन में जब मैं कल निर्णय कर रहा था, तो ऐसा लगा कि अगर किसी विशेष धारा के संबंध में कोई संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत हो तो कदाचित सारी वह धारा, जिसके अंश के संबंध में संशोधन विधेयक द्वारा किया जा रहा है, के संबंध में विचार विनिमय हो सकता है और सारी धारा के संबंध में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं प्रागदर्शन में। किन्तु इस नियम पर ध्यान देने से . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, किस नियम को पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अब आप ध्यान ही नहीं देते। मैंने नियम १३९ पढ़ा है, उस विषय में बात कर रहा हूं। अगर आप जानना चाहें कि इस विधेयक की व्याप्ति क्या है, तो, जो उसके उद्देश्य दिये हुये हैं, उनसे स्पष्ट हो जायेगा, और अधिक सुस्पष्ट करने के लिये विधेयक के खंडों को भी देखिये, उससे विदित हो जायेगा। अगर जिस विषय पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसको हम पढ़ें और इस विधेयक के उद्देश्य और कारण पढ़ें, तो हम यह देखेंगे कि हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जिस खंड के अंश में २० है वहां २१ की संख्या कर दी जाय और जो "परिषद्" है उसकी सदस्यता में एक खंड में परिवर्तन कर दिया जावे। जो संशोधन, मूल अधिनियम का, इस सदन के समक्ष विधेयक द्वारा रखा गया है उसके खंड ३ में जो शब्दावली है वह यह है—"मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिला नियोजन अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर) या जिले में नियोजन विभाग का कोई अन्य अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट नामांकित करे।" अर्थात् इस विधेयक द्वारा संशोधन का केवल एक मंतव्य है और वह यह है कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को सदस्यता का अधिकार दिया गया है, उसके स्थान पर कहते हैं कि वह रहे अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जिलाधीश को भी अधिकार होगा कि किसी व्यक्ति को नांमाकित करके उसको अधिकार परिषद्

---

*२ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से।

की सदस्यता का दिया जाय। केवल यह मंतव्य है उसका। अब प्रश्न यह उठता है कि जब केवल इस विधेयक के खंड का उद्देश्य धारा ५ के विशिष्ट खण्ड में संशोधन करने का है तो क्या इस खंड के अतिरिक्त, खंड (ख) के अतिरिक्त, (क) या (ख) के जो अन्य खंड हों, उनमें भी संशोधन किसी प्रस्ताव द्वारा या किसी संशोधन द्वारा हो सकता है, या नहीं, केवल यह प्रश्न है। मैं समझता हूं कि १३९ नियम, खंड (१) के कारण यह सम्भव नहीं है। कारण कि विधेयक की व्याप्ति के अन्तर्गत संशोधन होना चाहिये और जो खंड विधेयक में हो उसके विषय से सुसंगत होना चाहिये। जो भी संशोधन आये वह खंड (ख) से संबंधित हो तभी वह १३९ नियम के अन्तर्गत ग्राह्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस विषय में मैंने अपने विधान सभा और लोक सभा के दृष्टान्तों और उदाहरणों का अवलोकन किया। आपके सामने जनवरी, १९५१ से लेकर मार्च, १९५७ तक जो लोक सभा में स्पीकर द्वारा निर्णय दिये गये हैं उनको रखूं। उसके अंश पृष्ठ ४० पर मैं पढ़ रहा हूं। प्रश्न यहां यह था कि जो इस समय आपके सामने है—

"If a particular section is sought to be amended by a Bill by the addition of certain words which make a substantial change in the section, and if we feel that that particular section should also be altered in some other way so as to obviate certain dangerous consequences which might follow, would you declare that amendment to be out of order ?"

अर्थात् यदि किसी विधेयक द्वारा कोई मूल अधिनियम का एक अंश संशोधित किया जाता है तो प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया कि अगर हम यह अनुभव करें कि इस संशोधन के साथ साथ उस धारा के अन्य अंश भी संशोधित किये जायं तो क्या ऐसे संशोधन उपयुक्त या सुसंगत होंगे ?

स्पीकर ने कहा—

"But even then the amendment sought to be moved has to be within the scope of the particular amending Bill."

अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया कि आवश्यक है कि संशोधन विधेयक की व्याप्तियों के अन्तर्गत हो।

आगे कहते हैं:—

"It cannot be beyond the scope of the amending Bill."

संशोधन विधेयक की व्याप्तियों के बाहर नहीं होना चाहिये,

"Therefore, merely because a particular section is touched for amendment, it does not permit Hon. Members to table amendments which are outside the scope of the particular Bill, though inside the section."

अतः मेरा मत यह है अगर किसी धारा के विशेष अंश का संशोधन किया जाता हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारी धारा के संबंध में संशोधन प्रस्तुत हो सकेंगे। वह संशोधन केवल उस संबंध में हो सकता है जो कि विधेयक की व्याप्तियों के अन्तर्गत होगा, न कि केवल उस विशेष मूल अधिनियम की धारा के अन्तर्गत।

"That distinction, I believe, has to be borne in mind because the amendment has to be to a clause of the Bill as placed before the House."

जो संशोधन प्रस्तुत हो उसका संबंध उसी खंड से हो जिस खंड द्वारा संशोधन मूल अधिनियम का किया जा रहा हो। इसके अलावा पृष्ठ ४१ पर भी है—

"In cases where a number of matters come under a particular section, and only one portion which has no relation to the other portions is touched or effected by an amending Bill, that would not authorise an Hon. Member to touch any other portions of the Section of the Principal Act which is sought to be amended."

[श्री अध्यक्ष]

यदि किसी धारा में कई विषयों के संबंध में प्राविधान हो और संशोधन विधेयक द्वारा अगर एक ही अंश का संशोधन किया जाता हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त हो जाय कि वह समस्त धारा के संबंध में संशोधन उपस्थित करें। अब मैं अपनी ही विधान सभा में पहले दिये गये एक निर्णय को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

श्री उग्रसेन—यह व्यवस्था जो आप दे रहे हैं, यह जो छपे हुए हैं उन पर दे रहे हैं या जो नहीं छपे हुए हैं उन पर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—जो छपे हुए हैं उन्हीं पर दे रहा हूं। अभी आप बैठिए।

"On 16th June, 1932 when the United Provinces District Boards Act. (Amendment) Bill was being taken into consideration Mr. Ram Bhadur Saksena proposed to move an amendment which was objected to by the Hon'ble the Minister of Local Self-Government on the ground that it enlarged the scope of the Bill in so far that it sought to take away a certain right enjoyed by a special class under the section as it stood then, whereas the Bill sought only to give specifically and solely right to women to be on the board."

इसका मंशा यह है कि हम किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में विचार करते हुए विधेयक की परिधि को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको विस्तृत नहीं कर सकते हैं। विधेयक के अन्तर्गत जितने भी संशोधन रखे गए हों और जो उसकी व्याप्तियां हैं उसी के अन्तर्गत हों, हम उन संशोधनों को रख सकते हैं। उसके परे नहीं जा सकते। इन सब बातों को देखते हुए मेरा अब मत यह हुआ है.....

श्री उग्रसेन—व्यवस्था देने से पूर्व जरा हम लोगों को भी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—आपको मैं सुन लूंगा। अभी आप बैठिए।

मैं यह सोच रहा था कि जो माननीय कल्पनाथसिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया है और जिस पर कल आपत्ति हुई थी वह ठीक नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य कुछ इस विषय पर बोलना चाहें तो मैं सुनने को तैयार हूं।

***श्री उग्रसेन**—श्रीमन्, जहां तक मैं समझ पाया हूं आप व्यवस्था दे रहे थे, खंड ३ में जो माननीय कल्पनाथ सिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर। वह संशोधन यों है कि मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के भाग (३) में शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "व्यक्ति जो चीनी मिल से संबंधित न हो" रख दिया जाय। इसी के संबंध में आप सम्भवतः व्यवस्था दे रहे हैं और आपने हवाला दिया प्रक्रिया नियमावली के नियम १३९ के प्रथम खंड का जो इस प्रकार है—

"संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय से सुसंगत होगा।" तो श्रीमन, जरा देखें, मूल अधिनियम में यह है कि एक कोई अन्य अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे तो अब गन्ना कमिश्नर के नामांकन की विधि क्या है या उनके पास लिस्ट क्या है.....

श्री अध्यक्ष—बहुत सूक्ष्म बोलियेगा।

श्री उग्रसेन—तो जहां तक सुसंगत होने का प्रश्न है यह तो उठता नहीं कि यह विषय सुसंगत नहीं है क्योंकि माननीय अध्यक्ष लोक सभा की व्यवस्था जो आपने सुनायी कि अगर एक खंड से उसका पूरा संबंध न हो और पूरे उस विधेयक की व्याप्ति के अन्दर आता हो तब भी वह संशोधन असंगत नहीं है, तो उसके अन्दर भी उस कसौटी पर भी वह आ जाता है और फिर १३९ की दूसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो धारायें हैं उनमें भी आ जाता है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि यह खंड ३ में आ जाता है और असंगत नहीं है क्योंकि अधिकारी कैसा हो.....

श्री अध्यक्ष—आपका यह कहना है कि यह खंड ३ में आता है और यह असंगत नहीं है ?

श्री उग्रसेन—जी हां। आप इस बात को ध्यान में रखकर अपनी व्यवस्था दें।

***श्री कल्पनाथ सिंह** (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, चेयर के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुये धारा १३९ की सातवीं उपधारा के अनुसार जिस संशोधन की अनुज्ञा अध्यक्ष पहले दे चुके हैं उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा। श्रीमन्, यह आखिरी लाइन है आप स्वयं इसको देख लें। मेरा खयाल है कि इस पर कल व्यवस्था हो चुकी थी। चेयर की तरफ से पुनः आज यह प्रश्न प्रस्तुत किया जा गया है। मुझे खुशी हुई कि आपके द्वारा कुछ और लोगों को जानकारी हो गई, यह अच्छा ही हुआ....

श्री अध्यक्ष—आपका कहना यह है कि स्वीकृति दी गई उसके खिलाफ नहीं हो सकता, कुछ और आपको कहना है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—और कुछ नहीं कहना है लेकिन यह नयी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—(श्री टम्बेश्वरीप्रसाद से) जरा संक्षेप में कहियेगा।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, जब आप अपनी व्यवस्था के बाद एक दूसरी व्यवस्था दें तो हम लोग सूक्ष्म कहां तक हो सकते हैं, यह आप स्वयं सोच लें। कारण यह है कि आपकी व्यवस्थाओं से हम बनते हैं और उन्हीं से हमारे कुछ अधिकार भी बढ़ जाते हैं। आपसे कल निवेदन किया था और आपने व्यवस्था दी थी कि प्रक्रिया नियमावली के बाद १५ मिनट का समय बढ़ा सकते हैं। कल तो आपने कहा कि पहले व्यवस्था दे दी है और नियमों में कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोगों ने मान लिया। आप कल एक व्यवस्था दे चुके हैं और खंड ३ में जैसा कि उग्रसेन जी कहते हैं कि आ जाता है तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप अपनी व्यवस्था परिवर्तित करें। और अगर परिवर्तित भी करें तो अभी अपनी व्यवस्था न दें, इस पर फिर से विचार कर लें और हम लोग चैम्बर में आकर आपसे मिल लें। अगर यहां हम लोग कहेंगे तो आप कहेंगे कि समय ज्यादा लेते हैं। आपने कुछ पुस्तकों के आधार पर अपनी राय दे दी, हो सकता है कि कुछ आधार हम आपको भी दिखा दें जिससे आपको संतोष हो जाय। आज ११ बजे हम लोग इसके लिये तैयार भी नहीं थे। इन सब बातों को देखते हुये आवश्यक है कि आप इस समय व्यवस्था न दें.....

श्री अध्यक्ष—आप भी वही बात कह रहे हैं कि जो व्यवस्था दी गई है उसके विरुद्ध न दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—ज्यादा लोगों के कहने से ज्यादा असर पड़ता है। आप कृपया अभी व्यवस्था न दें। हम लोगों को चैम्बर में सुन लें या फिर चैम्बर में सुनने का नियम आज से समाप्त कर दें।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी ने जो कहा है कि धारा ५ की उपधारा (३) खंड (ख) में यह अधिकार आता है इस वजह से सुसंगत है। सदन का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो खंड ३ है विधेयक का वह यों है: "मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा ३ के खंड (ख), उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित....."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

तो उपखंड २ को हम नहीं भूल सकते। इस खंड (ख) में तीन उपखंड हैं जिनमें से एक उपखंड इस समय विवाद का विषय है और तीनों उपखंड जो खंड (ख) में हैं वह एक दूसरे से असम्बद्ध, इन्डेपेन्डेन्ट हैं। इनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तो माननीय उग्रसेन जी जो तर्क उपस्थित करते हैं वह इस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

फिर माननीय कल्पनाथसिंह ने मेरा ध्यान एक और बात पर आकर्षित किया है। तो मैंने कल ही निवेदन किया था कि मैं अपना मत स्थिर नहीं कर सका हूं लेकिन उस समय कार्यवाही चल रही थी उस कार्यवाही को न रोकने के लिये मैंने कहा कि बहस होती रहे और उसके साथ-साथ यह भी कहा था कि कल्पनाथ सिंह जी का संशोधन इस आधार पर सुसंगत ठहराया जा सकता है जिस धारा के खंड का संशोधन किया जा रहा है विधेयक द्वारा, उस सारी धारा के खंडों के संबंध में कदाचित विवाद हो सकता है। लेकिन अध्ययन करने के बाद और विशेष रूप से लोक सभा के अध्यक्ष ने जो इस संबंध में निर्णय दिया है, उसको देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि यदि किसी अधिनियम की एक धारा के किसी विशेष खंड के संबंध में विधेयक द्वारा संशोधन उपस्थित किया जाय तो अनिवार्यतः सारी धारा विधेयक की व्याप्ति के अन्दर नहीं आती। यदि वह विधेयक की व्याप्ति में आती है तो सदन द्वारा धारा में संशोधन का प्रस्ताव एलाऊ किया जा सकता है। मैंने जो कल व्यवस्था दी थी, वह साफ तौर पर यह थी कि अभी मेरा मत स्थिर नहीं है इसलिये संशोधन प्रस्ताव के विपरीत मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि ये जो विचाराधीन संशोधन रखे गये हैं वे आउट आफ आर्डर रखे गये हैं और नियम के विरुद्ध हैं। इस वजह से, उनको आगे नहीं चलना चाहिये। लेकिन, यह निर्णय भविष्य के लिये लागू होगा। चूंकि अब इसमें बहस समाप्त हो रही है मैं भी इस विवाद को रोकना नहीं चाहता। माननीय कल्पनाथसिंह जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है तथा संशोधन की ग्राह्यता की जो सात शर्तें नियमावली में दी हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुये मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

आपकी इस व्यवस्था से दो गंभीर प्रश्न उठते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों पर स्पष्ट व्यवस्था दें ताकि भविष्य के लिये उन्हीं के अनुसार विधेयकों में हम लोग संशोधन प्रस्तुत कर सकें। एक प्रश्न तो यह है कि एक संशोधन जब कि उपस्थित किया जा चुका है तथा उसके ऊपर सदन विवाद कर रहा है तो किस स्तर के ऊपर इस प्रश्न को उठाया जा सकता है कि वह संशोधन ग्राह्यता की शर्तों में आता है या नहीं अथवा इस प्रश्न को प्रारम्भ में ही उठाया जाना चाहिये जिस वक्त कि वह संशोधन सदन में उपस्थित किया गया था अथवा किसी स्तर पर भी वाद विवाद को रोका जा सकता है।

दूसरा गंभीर प्रश्न यह उठता है कि जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी का संशोधन नियम के विरुद्ध है तो मैं समझता हूं कि वह प्रश्न सदन के सामने उपस्थित नहीं हो सकता; क्योंकि अगर हम उस प्रश्न को उपस्थित करते हैं तो एक अवैधानिक प्रश्न को सदन अवधानिक रीति से कागनीजेंस लेता है। जो बात मूल संशोधन विधेयक में नहीं है, उसके ऊपर संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है और अगर उस प्रश्न को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाय तो हमारे सामने एक गंभीर वैधानिक कठिनाई उपस्थित हो जायगी।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर कर लें कि एक चीज को आप एक बार अवैधानिक घोषित करते हैं और फिर उसी के बारे में कहते हैं कि सदन में उस पर विचार जारी रहे। भविष्य में यह नियम लागू हो सकता है। इसलिये इसके बारे में आप अपनी व्यवस्था स्पष्ट दें।

श्री अध्यक्ष—पहली व्यवस्था का प्रश्न है कि एक मर्तबा कोई प्रश्न उठाया गया, उस पर वाद विवाद शुरू हो गया, और आदरणीय सदन उस पर विचार कर रहा हो तो क्या

बीच में उस संबंध में कोई वैधानिक प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं। तो इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि ऐसा प्रश्न किसी भी प्रक्रम पर उठाया जा सकता है, इसलिये कि यह व्यवस्था का प्रश्न है। आउट आफ आर्डर या इन आर्डर कोई कार्य हो रहा है, या नहीं हो रहा है, उसके सम्बन्ध में प्रश्न किसी वक्त भी उठाया जा सकता है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि अगर यह कार्य आउट आफ आर्डर है तो इस आउट आफ आर्डर के कृत्य को कहां तक जारी रखा जाय। मैं समझता हूं कि जो आउट आफ आर्डर है. . . . . .

श्री उग्रसेन—यहां प्रश्न यह है कि जो प्रश्न आउट आफ आर्डर है उसे क्यों जारी रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। अंग्रेजी में एक महावरा है—बाई लैप्स आफ मेमोरी", सावधानता रहित होने के कारण, कोई बात हमारे मस्तिष्क में न आवे, और गलत काम हो तो क्या हो ? हम सब से गलती हो सकती है, लेकिन जब गलती मालूम हो जाय, तो उस गलती को सदन के सामने रख देना चाहिए, यह तो हमारा सबका कर्त्तव्य है। तो मैं तो यह मानने के लिये तैयार हूं कि किसी भी प्रक्रम पर, व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है और किसी भी स्टेज पर अगर प्रश्न उठ सकता है तो किसी प्रक्रम पर अवैधानिकता मालूम होने पर उस त्रुटि का संशोधन किया जा सकता है, उस गलती को शुद्ध किया जा सकता है। तो इस विचार से मैं आपसे कह रहा था कि मुझे अधिकार है इस समय भी कि मैं अपना निर्णय इस प्रश्न पर दूं।

अब दूसरा प्रश्न जो आपने उठाया है वह यह है कि अगर यह अवैधानिक कार्य है तो उसे नहीं होना चाहिये। आपका जो यह आक्षेप है उससे मैं सहमत हूं। मेरे मन में भी यह बात उठ रही थी कि नियम के अन्तर्गत हमें इस कार्य को करने का अधिकार नहीं है, ऐसी अवस्था में यह अनधिकृत कार्य होना नहीं चाहिये, इसलिये कि उससे पब्लिक टाइम खराब होता है। पब्लिक टाइम को बचाना हमारा कर्त्तव्य है। अतः अब इस बहस को नहीं जारी रखना चाहिये। मैं आपकी इन आपत्तियों को स्वीकार करके प्रस्तुत संशोधन को अवैधानिक करार देता हूं और अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मेरा एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मैंने अपना निर्णय दे दिया है। कृपया आप बैठ जायं क्योंकि मैं खड़ा हो गया हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०।

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर, हम लोगों ने अपने संशोधनों के द्वारा और अपने वक्तव्यों से विशेषकर माननीय मंत्री जी का और इस सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वह यह है कि गन्ना बोर्ड का जो गठन हो रहा है वह एक तरह से अप्रजातांत्रिक है और हमने इस बात की कोशिश की कि उस गन्ना बोर्ड में गन्ना किसानों के प्रतिनिधि भी आवें । लेकिन आप जानते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी पर तुली हुई है और हमारे किसी भी संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं है ।

दूसरा प्रावोजन इसमें यह किया गया है, जिलाधीश को अधिकार है कि वह जिला विकास अधिकारी के स्थान पर आवश्यक होने पर किसी दूसरे अधिकारी का नामांकन करे । श्रीमन्, हम लोग और हमारी पार्टी तो हमेशा से ही नामांकन के खिलाफ है और अगर सचमुच सरकार को गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाना है, उन के बोझ को हल्का करना है और जनतांत्रिक आधार पर गन्ना परिषदों का गठन करना है और आप चाहते हैं कि उसके फैसले को मान्यता दी जाय तो इस प्रकार के नामांकन न करें ।

आज आप के और पूंजीपतियों के गठबन्धन से ही किसान मर रहा है । अभी चुनावों में भी आपकी सरकार के पक्ष ने चीनी मिल मालिकों की मदद ली है इसलिये अगर मिल मालिकों का एक ही प्रतिनिधि रहे तो क्या हर्ज है और गन्ना किसानों के हक का प्रतिनिधि रख दिया जाय तो अच्छा है । इस में सरकार हठधर्मी क्यों करती है, अपने बहुमत के आधार पर या जैसा कि माननीय पालीवाल जी कहा करते थे संख्या सुर पर सरकार अपनी हठधर्मी पर न अड़े और मैं, जितनी हममें ताकत है उस पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करता हूं ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी खंड ३ पर मत लिया तो मेरी समझ में एक वैधानिक प्रश्न पैदा हो गया । आप ने जो यह व्यवस्था दी कि आज से आगे इस प्रकार के संशोधन नहीं लिये जायेंगे लेकिन आपने कल का संशोधन वैध करार दे दिया और उस पर बहस भी हो चुकी है तो आपने उस पर मत लेने के पहले ही खंड ३ पर मत कैसे ले लिया, उस पर जब बहस हो चुकी थी तो उस पर पहले मत लेना चाहिये था । यह कैसे हुआ यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—(श्री बनारसीदास से) आप अपने प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहेंगे कि पारित किया जाय ।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, वैसे तो नियमावली में लिखा है कि समर्थन में या विरोध में विधेयक तक ही सीमित रहना चाहिये । जब कि हम ने इसके उद्देश्य और सिद्धान्तों को स्वीकार किया है कि सदस्यों की संख्या २१ कर दी जाय और दूसरी भी एक धारा के उपखंड को स्वीकार किया जा चुका है तो उसके बाद यदि यह भी मान लिया जाय कि विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाय तब भी मूल अधिनियम तो अपनी जगह पर है जैसा कि अभी माननीय समाजवादी दल के नेता फरमा रहे थे कि मूल अधिनियम रहता है तो उनका कार्य सिद्ध नहीं होता चाहे इस विधेयक

को न भी माना जाय । इसलिये यह विधेयक जो विचारार्थ प्रस्तुत है उसको पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला । मैंने जो जानकारी चाही थी उसके बारे में समाधान नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—हम आप बातचीत कर लेंगे ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा, हमारे प्रदेश नें अधिक शुगर के उत्पादन की वजह से जो स्थिति पैदा हो गई थी उस के निवारण के लिये आवश्यकता पड़ी कि मूल अधिनियम के अन्दर कुछ संशोधन किये जायं । गत साल समस्या यह थी कि ज्यादा शकर की पैदावार की जाय । इसलिये यह व्यवस्था की गई थी कि जो क्षेत्र शुगर फैक्टरीज केलिये सुरक्षित कर दिये गये हैं वहां पर खांडसारी का उत्पादन कम से कम किया जाय, इसलिये व्यवस्था की गई थी कि इस प्रकार के यूनिट्स जो खांडसारी या गुड़ बनायेंगे वे दस मील के दायरे के अन्दर न हों । इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि खांडसारी या राब बनाने की यूनिट्स जिस वक्त सीजन शुरू होता है उससे एक महीने पहले लाइसेंस के रिन्यूअल के लिये प्रार्थना-पत्र दें यदि उसके बाद जब समय बीत जाय, वे लाइसेंस के रिन्यूअल के लिये दरख्वास्त देते हैं तो विशेष फीस देनी पड़ेगी । अब स्थिति बदल गई है तमाम देश में जितनी चीनी की खपत है उससे अधिक पैदा होती है । हमारे प्रदेश की स्थिति भी इसी प्रकार है । इसलिये केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन १० प्रतिशत कम होना चाहिये ।

इस सरकार के सामने सबसे बड़ा एक प्रश्न यह था कि जो अधिक गन्ने का उत्पादन हो रहा है किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाय । आवश्यकता यह पड़ी की चीनी की मिलों के १० मील के क्षेत्र में जो यूनिट्स हैं खांडसारी या राब बनाने के लिये उनको भी प्रोत्साहित किया जाय । यदि आवश्यकता हो तो सरकार ने जो परचेज टैक्स लगाया है और इसमें सरकार को अधिकार है इस प्रकार की यूनिट्स को प्रोत्साहित करने के लिये, यदि आवश्यकता समझे तो कुछ सुविधा, छूट उनको दें । तो वह सीमित था १० मील के दायरे के बाहर । अब इस विधेयक के द्वारा सरकार यह अधिकार चाहती है कि १० मील के अन्दर भी और बाहर भी, यदि गन्ना उत्पादकों के हित में आवश्यक हो, तो सरकार उनको छूट दे सके ।

दूसरा संशोधन इसलिये किया गया है कि तजुर्बा यह हुआ है कि आम तौर से खांडसारी या राब का जो सीजन शुरू होता है वह नवम्बर में शुरू होता है । अब तक तो जो था वह ३० सितम्बर होता था जिसका अर्थ यह है कि खांडसारी और राब बनाने वाली यूनिट्स को अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिये दरख्वास्त पहली सितम्बर के आस पास देनी पड़ती थी जो उनके लिये सम्भव नहीं था । इसलिये खांडसारी आदि यूनिट्स को उनके लाइसेंस रिन्यूअल में सुविधा देने के लिये यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि जब सीजन खत्म हो और उनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो जाय उसके २ महीने तक भी लाइसेंस को रिन्यू कराने का अधिकार होगा । इन दोनों बातों की व्यवस्था करने से प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को सुविधा होगी खांडसारी उत्पादन

[श्री बनारसीदास]

में जो लोग लगे हुये हैं उनको लाइसेंस प्राप्त करने में जो दिक्कतें होती हैं वे दूर हो जायेंगी । इसी लिये यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है ।

†श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :

"उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे तथा उसे इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भी अधिकार हो ।"

मंत्री जी ने अभी-अभी जो तर्क पेश किया कि मिल क्षेत्र के १० मील के अन्दर खांडसारी यूनिट्स को क्रय-कर से मुक्ति या उसमें कुछ कमी करने का विचार है, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर फिर से विचार होना चाहिये कि जो यह आवश्यकता महसूस हुई है क्रय-कर घटाने के लिये उसमें सरकार या उसके अधिकारीगण, जैसा कि अभी-अभी मंत्री जी ने कबूल किया कि लाइसेंस लेने के सिलसिले में लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हुआ करती हैं या उस सिलसिले में कुछ दूसरे किस्म की बारगेनिंग होगी, यह तो ऐसा सवाल है जिस पर जो रिजर्व एरियाज हैं उन किसानों के सवाल भी संबंधित हो जाते हैं और जो रिजर्व एरियाज के बाहर के लोग हैं उनकी बातें इससे संबंधित हो जाती हैं । तो प्रवर समिति में जाने के बाद इन सारी बातों पर जो किसान से ताल्लुक रखती हैं, जो खांडसारी यूनिट्स से ताल्लुक रखती हैं, जो राब बनाने वाले लोगों से ताल्लुक रखती हैं, जो मिलों से ताल्लुक रखती हैं इन सभी बातों पर पूर्णतया विचार हो सकेगा । साथ ही हो सकता है कि सरकार को जो कठिनाई आज महसूस नहीं होती है वह कल होने लगे, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

यह संशोधन जो उपस्थित किया गया है और सरकारी पक्ष से इस संशोधन के ऊपर विचार करने का जो प्रस्ताव है, उसमें प्रवर समिति के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की भी बात है ।

श्री अध्यक्ष---आप सदन को यह बतलाइये कि कौन-कौन से अधिकार प्रवर समिति को दिये जायं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---अवश्य यह बतलाने की बात हो सकती है अगर मंत्री जी इसके लिये तैयार हो जायं कि वे इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष---मंत्री महोदय उसी सूरत में जवाब दे सकेंगे जब आप यह बतलाइयेगा कि यह अधिकार क्षेत्र इस तरह से बढ़ाया जाय । मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट कर दें ।

श्री कल्पनार्थसिंह---मेरी समझ में यह मामला मेरे और मंत्री जी के बीच का है । अगर आप उनसे यह पूछ लें कि वे इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये तैयार हैं तो अवश्य इस बात पर मैं ही नहीं....

श्री अध्यक्ष---आप और मंत्री जी दोनों तैयार हो जायं, लेकिन अगर सदन तैयार नहीं है तो आपकी बात नहीं मानी जायगी । सदन को आप बतलाइयेगा कि क्यों सदन अनुमति दे । इसलिये मैंने प्रश्न किया । अगर आप बतला सकते हैं तो बतलाइये, वर्ना अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह---मंत्री जी तैयार हो जायं, तो मैं ही क्या इस सम्मानित सदन के बहुत से सदस्यगण ऐसी राय दे सकते हैं कि इसके अधिकार क्षेत्र में क्या-क्या बढ़ाया जाय । तो मैं अपनी बात यह कह कर खत्म कर रहा था कि इस सदन के सम्मानित सदस्यगण और मंत्री जी इस बात को कबूल करेंगे कि यह प्रश्न प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये जो प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय सदस्य ने सदन में पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिये नहीं कि मैं पहले से ही दिमाग में यह भावना या विचार रख कर आया हूं कि जो बात विरोधी दल से आये उसका मुझे विरोध करना चाहिये। अगर इस बिल को देखा जाय और इसके उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो उसकी परिधि को देखते हुये माननीय सदस्य को इस सदन को यह संतोष दिलाना है कि फलां फलां संशोधन जो कि इस संशोधन बिल में वे पेश करना चाहते हैं, उस परिधि के अन्दर आ सकते हैं और उस अमेंडिंग बिल से उसका मेल मिलाप हो सकता है, तब इस प्रकार की दलील इस सदन में पेश की जा सकती है और ऐसा प्रस्ताव आ सकता है कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। लेकिन खाली हवा में ही बात कर देना काफी नहीं है, बल्कि उस ग्राउन्ड को देखना चाहिये जिस पर वह अपने तर्क की बुनियाद रखना चाहते हैं और इस सदन को कन्विन्स करना चाहते हैं कि दरअस्ल जब तक इस अमेंडिंग बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जायगा तब तक जैसा अमेंडमेंट वह इस सदन में पेश करना चाहते हैं वह नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी अवस्था में ही मैं समझता हूं कि सदन से यह दरख्वास्त की जा सकती है वरन सदन को बिना कन्विन्स किये हुये इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन में रेलेवेन्ट नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो मेरा स्वयं का भी एक अमेंडमेंट है, लेकिन मैं माननीय कल्पनाथ जी के संशोधन के साथ ही अपने विचार सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक विशेष कारण है इस बिल की परिधि बढ़ाने के लिये प्रवर समिति में। जब इस भार का पहली बार इस सदन में जिक्र किया गया था सब लोग सर्वसम्मति से यह मानते थे कि जिस गन्ने के मूल्य को हम चार आने नहीं बढ़ा सकते हम सरकार के लिये उस पर चार आने कर लगा सकते हैं तो इससे पता चलता था कि वह किसान का दाम है जो सरकार हजम कर जानाचाहती है। जिस समय डेढ़ रुपया मन गन्ने का मूल्य था उस समय भी मेरठ और हरगांव की मिलों ने आज से दो वर्ष पहले चार आने अधिक मूल्य दे कर गन्ना खरीदा था और उस समय भी उनको मुनाफा हुआ था और जब वही दाम सदस्यों ने कहा कि बाकी और फैक्टरियों से भी दिलाया जाय तो सदन ने भी एक स्वर से यह राय जाहिर की थी, लेकिन इस सरकार ने नहीं माना था।

आज जो संशोधन हमारे सामने यहां पर रखा गया है उसमें उन तमाम बातों पर हम कोई विचार नहीं कर सकते जो उस पुराने १९६१ के अधिनियम में आयी थीं। इसलिये मैं आपके समक्ष आपकी आज्ञा से एक विस्तृत विवरण पेश करना चाहता हूं इस बात का कि आखिर हम किस किस धारा में संशोधन चाहते हैं। यों तो वह इतनी जल्दी में और इतने गलत तरीके से पेश किया गया था कि पूरे का पूरा बिल ही संशोधन के काबिल है, लेकिन फिर भी हम आपको यह दिखा सकते हैं कि खंड ३ की उपधारा (२) के अधीन लगाये गये कर यथास्थिति फैक्ट्री द्वारा देय होगा और उसके भुगतान के बाद खंड ३ में लिखा हुआ है कि सूद की दरें बराबर बढ़ती चली जायंगी और इस प्रकार आगे चलकर फाइन की भी व्यवस्था है, लेकिन जो व्यवस्था होगी वह हमारी गरदन पर सवार हो जायगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो टैक्स आप ले रहे हैं, कहने को तो उस इकाई से ले रहे हैं, लेकिन वह इकाई कोई चीज नहीं होती है, उसके पास गिनी-गिनाई पूंजी है। किसी मिल मालिक की ऐसी हालत नहीं है कि वह एक साल भी गन्ने का टैक्स अदा कर सके और फैक्ट्री चला सके।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो खांडसारी उद्योग के लाइसेंसिंग की भी व्यवस्था है। वह यही लाइसेंसिंग है, अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण इस खांडसारी उद्योग को इतना बड़ा धक्का लगा है कि वह मृत प्राय-सा हो गया है। इस सरकार ने जिस समय यह व्यवस्था की उस समय आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

यहां थे और आपको ज्ञात है कि एक स्वर से सभी लोगों ने यह मांग की थी कि आप जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे यह खांडसारी उद्योग नष्ट हो जायगा, लेकिन हमारी सरकार की नजर में उस समय यह दिखाई पड़ता था कि यह उद्योग ऐसे मुनाफे की चीज है और इससे इतना अधिक निकाला जाय जिससे मिल मालिकों को प्रोत्साहन मिल सके। श्रीमन्, दोनों बातें थीं। एक ओर तो ये मिल मालिकों को प्रोत्साहन दे रहे थे और दूसरी ओर लाइसेंसिंग की व्यवस्था कर रहे थे। हजारों सुरक्षित क्षेत्र आज असुरक्षित क्षेत्र बने हुये हैं। अगर हम अपने गन्ने को पेरना चाहें और क्रशर लगाना चाहें तो केन कमिश्नर के पास जाने पर पहले वह नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे, तब कहीं काम हो। इसमें महीनों लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गरीब किसानों की बात छोड़िये। जेल डिपार्टमेंट का चार लाख मन गन्ना दस आने मन के हिसाब से बेचा गया। सरकार से कहा गया कि कोई सहूलियत दे और ४ लाख मन गन्ने के लिये ऐसी यूनिट मिल जाती जिनमें सफेद शकर बन सकती थी और १४ आने मन गन्ने के दाम देने के लिये तैयार थे, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। आज हम इसलिये इस की परिधि बढ़ाना चाहते हैं जिससे तमाम बातों पर गौर कर सकें जिन पर हम समय समय पर विचार करते रहे हैं और बिल न आने के कारण फैक्ट्रियों का जोर है और सरकार ने उसको लागू करना स्वीकार नहीं किया।

आप देखें गुड़ और राब दोनों पर लाइसेंसिंग की व्यवस्था है। इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। हम अपने ढंग पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते और माननीय रावत जी यह कहते हैं कि हम परिवर्तन क्यों चाहते हैं, हम क्यों इसकी परिधि बढ़ाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि माननीय रावत जी ने इसको पढ़ा नहीं है। मैं आज भी उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने १९६१ के गन्ना बिल को पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो बतायें कि इसमें कौन-सा ऐसा क्लाज है जो अमेंडमेंट के काबिल नहीं है। मैंने ४ खंड रखे हैं, आप उनको आज्ञा दें कि वे खड़े होकर उनके बारे में बतायें। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने कतई यह दृष्टिकोण नहीं है कि हम गन्ने की कोई दुगनी तिगुनी कीमत ले लें, लेकिन अगर हमारे सामने यह दृष्टिकोण है कि १ एकड़ गन्ना उत्पादन पर हमने ६ सौ रुपया खर्च किया है और चाहते हों कि सवा ६ सौ रुपया मिल जाय तो यह हमारी मांग पूंजीपति होने की नहीं है। विरोधीदल सिर्फ यह मांग कर रहा है कि इस मांग को किसान की उचित समझ कर उसके प्रति न्याय हो। किसान जब इस मांग को करता है तो उस पर सरकार की वक्रदृष्टि हो जाती है और जब जैसा ऊदल जी ने बताया कि मिलमालिक का सवाल आता है तो सरकार बहुत उदार हो जाती है। मिलमालिकों ने कहा कि अगर आर्थिक रियायत हमें नहीं दोगे तो हम मिल बन्द कर देंगे। बस सरकार का आसन हिल गया। यह बात भी रखी गयी कि १६ करोड़ मिल मालिक को सबसिडी दी जाती है और रियायत दी जाती है परन्तु जब हमारा गन्ना फूंक दिया जाता है तब न हमें सिंचाई कर में छूट है, न सबसिडी न लगान में कमी। किसान का गन्ना खड़ा-खड़ा फूंक दिया जाता है, लेकिन सरकार की ओर से घोषणा क्यों नहीं की जाती है कि छूट मिलेगी, हम सिंचाई कर में इतनी छूट देंगे, उसमें बीज का दाम नहीं लेंगे, या खेत में पड़ी हुई पांस का मूल्य नहीं लेंगे, लेकिन इस प्रकार की घोषणा सरकार की ओर से नहीं हो सकती। इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रदेश की गरीबी और अमीरी दूर करने से कोई मतलब नहीं है। उनके सामने तो दो ही चीजें हैं एक तो मिलमालिक और दूसरी उनकी सरकार। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि क्यों मिलमालिकों की कांफ्रेंस हुई। जिस वक्त हम चिल्ला रहे थे कि हमारा गन्ना नहीं खरीदा जायगा तब सरकार यह कहा करती थी कि तुम विश्वास रखो तुम्हारा गन्ना सब का सब पेरा जायगा। यह भी उत्तर बड़े विश्वास के साथ दिया गया था कि हम तो कैश क्राप को डेवलप करना चाहते हैं और किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सदन में कौन ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनके क्षेत्र में गन्ना नहीं बोया जाता, मैं नहीं जानता कि माननीय रावत जी के क्षेत्र में

गन्ना बोया जाता है या नहीं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र में तो गन्ना अवश्य बोया जाता है, अगर उनकी उस फसल के लिये एक ऐसी अव्यवस्था का निर्माण हो रहा हो और टैक्सेशन के कारण उनकी वह फसल बेकार हो रही हो तो फिर क्या हमारा जो यह निवेदन है कि इस बिल की परिधि बढ़ाकर उन नियमों को फिर से कृपा करके देख लें तो इसमें कौन-सी ऐसी मांग है जिसको हमारी सरकार नहीं मानना चाहती ।

मैंने आपके सामने ऐसी बातें इसलिये रख दीं कि जब हम काश्तकारों के पास जाते हैं तो वे हमसे कहते हैं कि क्या हमको आप बता सकते हैं कि जिससे हम अपना गन्ना सुखा कर चूल्हे में जला लें । नेगी जी को सवा दो रुपये मन में लकड़ी नहीं मिलती तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई ऐसी तरकीब बतावेंगे कि २ रुपये मन वाली लकड़ी की जगह डेढ़ रुपये मन वाला गन्ना फूंका जाया करे । यह हाल है उस फसल का जिसपर इस प्रदेश का सारा आर्थिक ढांचा निर्मित हो रहा है ।

सरकार ने गेहूं की फसल के लिये यह निश्चित कर दिया है कि सरकार २३ रुपये मन बेचेगी और १३ रुपये मन उनसे गेहूं के किसानों से खरीदने का वादा करती है, लेकिन उस काश्तकार के पास क्या आधार होगा जिसकी खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है । उसके बारे में कोई आधार अच्छी तरह से नहीं बताया गया है । वह फसल गन्ना ही है जिसके बारे में सरकार इतनी उदार नहीं है । इसलिये हम चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो । सरकार यह तो कहती है कि हम चाहते हैं कि हम किसानों को छूट दें और किसानों में गन्ने के मामले में जो मानसिक असंतुलन खड़ा हुआ है उसको ठीक कर दिया जाय । आज पेराई का सीजन समाप्त हो चुका है । सरकार कहती है कि पहले से पहले से छूट दे देनी होगी । मैं समझता हूं कि बाकी जो नुकसान किसान का हो चुका है उसके लिये भी कुछ होना चाहिये । इसीलिये विरोधीदल कहता है कि आप इतना ही नहीं सब बातों पर पूर्ण रूप से विचार कर लें, क्योंकि सब विचार के योग्य और अमेंडमेंट के योग्य यह बिल है । जब हम यह कहते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आपके पास कोई दलील ही नहीं है और जो बातें तुम कहते हो वह मानने योग्य नहीं हैं । तो मुझे आश्चर्य होता है । पता नहीं किन सरकारी अफसरों ने मंत्री जी के सामने यह सुझाव दे दिया है और उन्होंने इसको पढ़ा नहीं सिर्फ रुटीन वे में इस पर दस्तखत कर दिये । यह जो पूरा बिल है उसके पूरे के पूरे में संशोधन की आवश्यकता है । अगर आप दो घंटे का समय दें तो मैं अभी पूरे के पूरे बिल में संशोधन बना कर माननीय रावत जी की सेवा में भेज दूं तभी उन्हें पता चलेगा कि हम क्यों चाहते हैं कि इसको पुनर्विचार करने के लिये भेजा जाय ।

जब हम मांग करते हैं कि इतना हमको छोड़ दीजिये टैक्स में तो सरकार कहती है कि नहीं । अगर हमें बहुत आमदनी हो रही हो, बचत होने जा रही हो तो टैक्स ले लीजिये, लेकिन जब घाटा हो रहा है तब भी टैक्स लेने के लिये तैयार हैं तो दुख होता है । हमें उत्पादन के मूल्य पर कम से कम ५० परसेंट मुनाफा दें, कोई बेसिक घोषणा तो करें । आखिर गेहूं के मूल्य के निर्धारण के लिये आपको घोषणा करनी पड़ी । क्यों कि आपने. . . जब आप नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिये क्योंकि हमें तो अपना उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो इस पर सरकार को क्या आपत्ति है । इसलिये मैं पुनः कहता हूं कि इसकी परिधि बढ़ाकर संयुक्त प्रवर समिति को भेज दीजिये । हम उस पर वहां विचार करें और उसके बाद पेश कीजिये । हम स्वयं इसमें देर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें तो हमारा ही नुकसान है हमारे ही अधिकारों का हनन है । आप आज प्रवर समिति में ले जाइये और परसों हम भेज दें, दो रोज में हम वापस कर दें और फिर अच्छी तरह से पुनर्विचार हो कर उसको अच्छे रूप में पेश करें । इन शब्दों के साथ मैं सदन से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह संयुक्त प्रवर समिति को परिधि बढ़ाकर भेजने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद । यह संयुक्त प्रवर समिति को नहीं प्रवर समिति को भेज जाने का प्रस्ताव है ।

अम्बेश्वरीप्रसाद--क्षमा कीजियेगा मैं भूल से प्रवर समिति के स्थान पर संयुक्त प्रवर समिति की बात कह गया ।

श्री अध्यक्ष--आपने जो संशोधन दिया था उसे तो अब नहीं उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री अम्बेश्वरीप्रसाद--वह भी उसी में सम्मिलित समझ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--हिम्मत सिंह, आप संयुक्त प्रवर समिति वाला अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं या प्रवर समिति का जो प्रस्ताव उपस्थित हो चुका है उसीपर कहना चाहते हैं ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--संयुक्त प्रवर समिति वाला संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय और उसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन १० दिन में प्रस्तुत करे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बतायीं जिनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को जाना अत्यावश्यक है । अभी उन्होंने बताया कि एक महीने के अन्दर लोग लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिये एक महीने के बजाय २ महीने की मियाद उसकी कर दी जाय और जितनी भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनका १० परसेंट उत्पादन कम की हम सोच रहे हैं । तीसरा कारण यह है कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने को तैयार हैं, इस विधेयक को बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को संरक्षण देने के लिये लाया गया है, लेकिन वह फैक्ट्रियां अपने पैरों पर खड़ी हैं । दस फीसदी की उत्पादन में कटौती भी करने के आदेश हैं ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, पहले आप माननीय मुख्य मंत्री और नियोजन मंत्री की तरफ देख लें । उसके बाद मैं व्यवस्था के प्रश्न को उठाऊंगा । श्रीमन्, मैं देख रहा हूं और माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में एक परम्परा-सी बना ली है कि अपनी फाइलों को देखा करते हैं । अगर एक आध दिन की बात होती तो मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन यह एक परम्परा सी बन गयी है । यह गम्भीर बात इसलिये भी है कि आज जिस विषय पर बहस हो रही है उस विषय का संबंध माननीय मुख्य मंत्री से है । जो विभागों का बटवारा हुआ है उसके अनुसार गन्ना विकास का सीधा संबंध माननीय मुख्य मंत्री से है जो उनके पर्यवेक्षण में राज्य मंत्री करेंगे । प्रक्रिया नियमावली के नियम २८६ को देखें, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि "ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा, और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसका सदन की कार्यवाही से संबंध न हो ।" इस समय सदन की जो कार्यवाही हो रही है मैं समझता हूं कि उससे उन फाइलों का कोई संबंध नहीं है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें कि इस प्रकार की परम्परा बना कर सदन के अन्दर अनवरत काम करना और जिस विषय पर सदन में बात हो रही हो, उसको न सुनना, यह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस है इस पर आप स्पष्ट व्यवस्था दें ताकि इस प्रकार की अवहेलना सदन के अन्दर न हो ।

श्री अध्यक्ष--माननीय नेता सदन, कौन जाने इसी संबंध में फाइल देख रहे हैं, मालूम नहीं । मेरा विश्वास है कि वह नियमों को जानते हैं और उसका पालन करते हैं । अगर जो विषय इस वक्त प्रस्तुत है उसके अतिरिक्त फाइल को देख रहे हैं तो नहीं देखना चाहिये ।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बता रहा था कि इस बिल को प्रवर समिति में क्यों भेजा जाय । उसका एक ही कारण ह । मेरा विचार है कि हम बड़ी मिलों को संरक्षण दे रहे थे । अब वह समय समाप्त हुआ । वह अपने पैरों पर चीनी मिलें खड़ी हो चुकी हैं । हम खांडसारी और गुड़ बनाने वालों पर टैक्स लगाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि दस मील की परिधि से जो मिलों के लिये सुरक्षित है उसमें से गन्ना नहीं खरीद सकते । इन बातों की चर्चा संयुक्त प्रवर समिति में होगी । अगर ऐसा रहा तो एक महीना बढ़ाया, फिर दो महीना बढ़ायेंगे । फिर रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट भी देंगे । मालूम पड़ता है कि इस प्रदेश में जो कुटीर उद्योग चलने वाले हैं, उनको प्लानिंग के नाम पर लाइसेंस लेना पड़ेगा । आज एक छोटा आदमी गुड़ बनाने वाला जो सात कोल्हू लगा लेता ह उसकी एक यूनिट बन जाती है । उसको भी लाइसेंस और टैक्स देना पड़ेगा । इन टैक्सों को वापस लेने के लिये प्रवर समिति में विचार कर सकते हैं । अगर छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों पर टैक्स कायम कर दिया गया तो जो कुटीर उद्योग पनप रहा है वह नष्टभ्रष्ट हो जायगा । ऐसी सूरत में हम यह बिलकुल चाहते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय । आज हमारे गांवों की आर्थिक व्यवस्था इतनी छिन्न-विच्छिन्न हो रही है कि गांव का पुराना पैत्रिक धंधा नष्ट हो चुका है अगर यही लाइसेंस की परिपाटी चलती रही तो थोड़े दिनों में वह बिल्कुल नष्टभ्रष्ट हो जायगी । कुछ तो उसे अंग्रेजों ने खत्म किया बाकी उन १४ सालों में इस सरकार ने उन्हें खत्म किया और अगर ऐसी ही लाइसेंस की प्रथा चलती रही तो हमारे आर्थिक ढांचे की तथा हमारे देश और प्रदेश की क्या हालत होगी, यह श्रीमन्, आप जैसे मनीषी स्वयं सोच सकते हैं । आज गांवों का आदमी चारों तरफ बेकार मारा-मारा फिर रहा है । गुड़ की इंडस्ट्री का विस्तार होगा तो उसमें चार छः महीने गांव का मजदूर खपेगा, लेकिन अगर यह लाइसेंस की प्रथा जारी रही तो इसका एक ही नतीजा होगा कि गांव की जो व्यवस्था है वह नष्ट-भ्रष्ट हो जायगी । आज यह लाइसेंस गुड़ और खांडसारी पर है तो कल को चटाई पर लगेगा । और दूसरे धंधों पर भी यह लाइसेंस की व्यवस्था हो जायगी और सारी गांव की आर्थिक व्यवस्था इससे समाप्त हो जायगी । इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे कि जो ऐक्ट बन गया है उसको रिपील करने की बात हो सके ।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा है, आप क्या उनसे अहसमत हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—मेरा तो संयुक्त प्रवर समिति के लिये था और उसी को मैंने रखा है ।

श्री अध्यक्ष—(श्री चन्द्रजीत से) आपका अमेंडमेंट तो नम्बर १ से कवर्ड है । आप क्या उस पर बोलना चाहेंगे ।

श्री चन्द्रजीत—अगर श्रीमन्, नम्बर १ उसको कवर करता है तो मैं उसको अलग से मूव नहीं करना चाहता । ऐसे श्रीमन्, जिस विषय पर सदन विचार कर रहा है, मैं समझता हूं कि जितनी बातें सदन में दोनों तरफ से कही गई हैं खासतौर से विरोधी पक्ष से इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुये कि उसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, उसमें सबसे मुख्य चीज जिसकी ओर कि मैं सरकारी पक्ष का ध्यान निश्चित रूप से दिलाना चाहूंगा वह यह है कि इस समय जो गन्ने का क्रय हो रहा है उसमें जिस प्रकार से उसके खरीदने में बड़े पैमाने पर धांधली होती है और साधारण गरीब किसान का हित सुरक्षित नहीं होता है । उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । जो निर्धारित कीमत है गन्ने की, आज वास्तविकता यह है कि वह निर्धारित कीमत भी किसान को मिल नहीं पाती है । सबसे बड़ा दोष जो आज है वह यह है कि मिलों तक गन्ना

[श्री चन्द्रजीत]

पहुंचाने की जो व्यवस्था है वह इतनी अपर्याप्त है, रेलवे के वैगनों की इतनी कमी है कि आम तौर पर किसान का गन्ना आसानी से मिल तक पहुंच नहीं पाता है ।

दूसरी बात जो देहात के अन्दर क्रशर्स लगे हुये हैं उसमें जो कीमत निर्धारित है १ रुपया ८ आना और १ रुपया १० आना वह क्रशर्स वह कीमत न देकर १ रुपया और १ रुपया २ आना मन इस तरह से गन्ना खरीदते हैं और जो उसकी निर्धारित कीमत है वह भी किसान को नहीं मिलती है । मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इस बात का विशेष-रूप से ध्यान रखे जिसमें कि किसान के हितों की रक्षा हो सके ।

तीसरी बात जो बड़े पैमाने पर आज किसान अपना गन्ना बेंचते हैं उसका रुपया भी उसको नहीं मिल पाता है । हजारों रुपया उनका बाकी रहता है । नतीजा यह है कि यही एक उसकी कैश क्राप होती है जिससे कि वह और काम अपने करता है, और इसका भी रुपया जब उसको नहीं मिलता तो बड़ी परेशानी उसको हो जाती है । दूसरी ओर सरकार की जो मशीनरी है लगान वसूलने की या तकावी वसूलने की वह इतने आग्रेसिव ढंग से . . . .

श्री बनारसीदास —आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमावली की धारा १३२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि जिस दिन विधेयक के ऊपर चर्चा की जाय उस दिन विधेयक के सिद्धांतों और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के ब्योरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, यह है परचेज टैक्स और वह बात कर रहे हैं उसकी सप्लाई वगैरह के बारे में, तो सिद्धांतों तक ही सीमित रहना चाहिये, इधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय चन्द्रजीत जी यादव अपना भाषण जारी रखें और जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है उसी संबंध में अपना भाषण करें ।

श्री चन्द्रजीत —मैं एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था । जब कभी गन्ने से संबंधित विधेयक सदन में आता है या जब कभी मूल अधिनियम में संशोधन करने की तरफ सरकार का ध्यान जाता है तो सरकार इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देती । इसलिये मैं उन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था । इस समय जो संशोधन पेश किया गया है यह बहुत मौलिक परिवर्तन विधेयक में नहीं करता । यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन सरकार का इस प्रकार रवइया हो गया है कि असली बातों की तरफ ध्यान नहीं देती । जब सरकार इस प्रकार के विधेयकों को ले आती है तो उसको ऐसे संशोधन भी लाने चाहिये जिन संशोधनों में काश्तकार के हितों का सवाल हो । उन हितों की सुरक्षा के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठाती है । इसलिये अब मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और जो संशोधन पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी ओर से मैं अपना संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिये और उसकी परिधि बढ़ाने के लिये पेश करता हूं । उसका कारण यह है कि यह सरकार चाहे देर में ही सही देर से या बेदेर से अब उधर सोचने लगी है कि गृह उद्योगों को ठीक से बढ़ावा दिया जाय । इधर देर से आई । पिछली बार जो भी कानून बना था वह तो इस मंशा से बना था कि चीनी मिलमालिकों के लिये गन्ना प्राप्त करने के लिये सहूलियतों को बढ़ाया जाय । उसमें गृह उद्योगों की वजह से गन्ना मिलने में बाधा न पड़े । इसलिये पिछली बार वह विधेयक लाया गया था । वह चीनी मिलमालिकों के हक में सरकार ने सदन से पास कराया था । उधर सरकार से उस विधेयक को पास करा लेने के कारण गन्ना अधिक पैदा हुआ उन क्षेत्रों में जहां पर क्रशर और दूसरे खंडसारी उद्योग लगने की मनाही हुई थी, क्योंकि सरकार ने चीनी मिलमालिकों को गन्ना कर में छूट दी

और उसकी वजह से उन्होंने अपने आसपास के किसानों को प्रोत्साहन दिया अधिक गन्ना पैदा करने के लिये। जब गन्ना अधिक पैदा हो गया और उसको जला देने की संभावना पैदा हो गई तो सिर्फ शोहरत लेने के लिये मामूली छूट दे रही है। कर में छूट मामूली देने से गृह उद्योग पनप नहीं सकता है। गृह उद्योग खंडसारी और राब को पनपाने के लिये यह जरूरी है कि किसी किस्म का संरक्षण उस पर न हो। इसलिये जैसा कि समय बढ़ाने की बात है कि एक महीने की जगह पर दो महीने का समय बढ़ा दिया जाय और उनको मिल एरिया के १० मील के अन्दर खांड-सारी का उद्योग लगाने की सुविधा दी जाय तो यह सिर्फ मामूली सी छूट आज जो किसानों के लिये सरकार को अपनी अदूरदर्शी गन्ना नीति के कारण देनी पड़ रही है। इसी कारण सरकार का मन उधर आया हुआ दिखाई पड़ता है कि यह सरकार गृह उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। यह बात सही माने में सरकार के दिल में नहीं है। इधर लोग चाहते हैं कि गृह उद्योगों को पूरा बढ़ावा मिले। उसके लिये अगर इस विधेयक की परिधि बढ़ जाती है और इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाता है तो वहां पर पूरा पूरा इस पर विचार हो सकता है और गन्ना किसानों के हित का विचार किया जा सकता है। और गन्ना उद्योग में जो लोग लगे हुये हैं उनकी बात रखी जा सकती है। मैं समझता हूं कि जो लाइसेंस लेने की बात है वह एकदम से हटा दी जाय और गृह उद्योग के लिये पूरी सुविधा हो तो उससे किसानों का बड़ा लाभ हो सकता है और हमारा गृह उद्योग फल फूल सकता है। जो हमारे यहां बेकारी है और जिससे सरकार चिन्तित है इस उद्योग से अशिक्षित बेकारों की समस्या भी हल हो सकती है। अशिक्षित बेकारों की समस्या एक जटिल समस्या है किन्तु उसकी तरफ सरकार का ध्यान भी नहीं है। अशिक्षित बेकारों का सवाल हमेशा के लिये हल हो सकता है यदि वे हुल्लड़ मचावें। पर सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है, क्योंकि वे हुल्लड़ बाज नहीं हैं। वह जब हुल्लड़मचायें तो शायद सरकार विधेयक को लाये, लेकिन उस के पहले भी सरकार को सोचना चाहिये कि गांव में दूसरे लोग भी बेकार हैं, उनकी भी समस्यायें हैं सवाल है और उनको हल किस तरह से किया जा सकता है। उनका हल इसी प्रकार किया जा सकता है कि गांवों में छोटे उद्योग फैले और उनके फैलाव में एक ही बाधा है लाइसेंस की। इसके अलावा सरकार को अरजी देने की बाधा है अधिकारियों का दरबार करने की बाधा है। इस ओर सदन का ध्यान जाय इसलिये यह प्रवर समिति में भेजने और इसकी परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का संबंध अधिकांश में गुड़ और खांडसारी उद्योग से है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसकी आर्थिक भित्ति खंडसारी उद्योग पर आश्रित है। वैसे भी प्रदेशीय और आल इंडिया स्तर पर पिछले २० वर्षों में मेरा इस उद्योग से कुछ संबंध रहा है। मान्यवर, उसके आधार पर मेरी यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार से रही और आज भी है कमोबेश मात्रा में कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति गुड़ और खांडसारी उद्योग के प्रति उतनी न्यायपूर्ण नहीं रही है जितने की कि वह अधिकारी थी। गुड़ और खांडसारी को उत्तर प्रदेश में जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये था वह प्रोत्साहन अब से कुछ समय पहले तक बिलकुल नहीं मिला और अब भी जितने प्रोत्साहन का वह अधिकारी था वह नहीं मिला और इसका यह परिणाम हुआ कि जब सेकेन्ड फाइव इयर प्लान में खांडसारी का टार्गेट सा सात लाख टन था, हम उससे बहुत दूर रहे। हमारे मिल की शकर का उत्पादन लक्ष्य से ज्यादा हुआ जब, उसके मुकाबले में खांडसारी का उत्पादन टोटल टार्गेट का आधा ही हो पाया। तो मान्यवर, जहां तक इस नीति का संबंध है, मुझे शिकायत है और मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं जो उन्होंने यहां व्यक्त की। लेकिन खेद मुझे इस बात का है कि जिन कारणों से यह संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है अगर उस को माननीय सदस्य जानते होते या उसके इतिहास से उनको जरा भी परिचय होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

तो कदाचित् एक भी आवाज इस विधेयक के विरुद्ध यहां न उठती। इस उद्योग से सम्बन्ध रहने के कारण मैं अपने कर्त्तव्य में चूकता मान्यवर, अगर इस सम्बन्ध में सदन में खड़े हो कर इस प्रस्तुत विधेयक का हृदय से समर्थन न करता। वास्तव में पिछले वर्ष में गुड़ और खांडसारी उद्योग की प्रार्थना पर मुझे भी जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्योग का बड़ा भारी उपकार किया। जो परचेज़ टैक्स लगाया गया था उसको लगाते समय इस सदन में मान्यवर, यह मांग हुई थी दोनों ओर से, कि इसको लगाना नामुनासिब है और मैंने भी अपने विचार प्रकट किये थे कि इस टैक्स से इसको अलग रखना चाहिये। उस समय की सरकार ने उस बात को मुनासिब नहीं समझा, लेकिन स्थितियां बदली और उन बदली हुई स्थितियों में जब हमने मांग की तो पिछले साल माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने हमारी उस बात को स्वीकार किया और यह घोषणा की कि यह परचेज टैक्स मुक्त कर दिया जायगा और उसके बोझ से इस गृह उद्योग को हल्का कर देंगे। इसके लिये एक संशोधन की ज़रूरत थी इस विधेयक में। उस समय कदाचित् असेम्बली सेशन में भी नहीं थी इसलिये कैबिनेट डिसीजन से उन्होंने इस निश्चिय को कार्यान्वित कर दिया। उस समय जो ऐक्ट था, उसमें केवल यह अधिकार था कि १० मील की परिधि के बाहर सरकार को यह अधिकार होगा कि वह परचेज़ टैक्स को माफ कर सकती है जैसा कि इस संलग्न मूल विधेयक की धारा १४ में जिक्र है। उनको यह अधिकार नहीं था मूल अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत कि वे १० मील की परिधि के अन्तर्गत परचेज टैक्स को माफ कर देते। उस समय गुड़ और खांडसारी उद्योग की यह मांग थी कि १० मील के अन्दर उस उद्योग को परचेज़ टैक्स से माफ़ किया जाय। परिस्थितियां ऐसी थीं कि यदि उस समय विलम्ब किया जाता और यह सुविधा न दी जाती तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती कि इस उद्योग में लगे हुये लाखों लोगों को हानि उठानी पड़ती। उस समय कैबिनेट ने एक फैसला लिया और उस टैक्स को हटा दिया। तो आज जो यह विधेयक है यह उसी को रेगुलाराइज़ करने के लिये है और इसको पहली अप्रैल से ही लागू करने की मांग है।

उस समय खांडसारी उद्योग की दूसरी मांग यह थी कि जो लाइसेन्स उस समय बनते थे उनका पहली अक्तूबर से आरम्भ हो कर सितम्बर के अन्त तक चलता था और उस वक्त के नियम के अनुसार उसकी अवधि समाप्त होने तक ही दूसरा लाइसेन्स बनवाना पड़ता था, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए। मुझे डेपुटेशन के रूप में सरकार से उस समय निवेदन करना पड़ा कि इससे खांडसारी उद्योग को हानि हो रही है। बात यह थी कि छोटे-छोटे गांव में फैली हुई इकाइयां यह जान नहीं पाती थीं कि सीजन आरम्भ होने पर वे अपना कार्य वहां आरम्भ करेंगी। इसका ज्ञान उनको नवम्बर के महीने में हो पाता था। उधर लाइसेंस का समय सितम्बर में समाप्त हो जाता था। इसलिये हमने यह मांग की थी कि इनके हितों की रक्षा की दृष्टि से सरकार उनको ऐसी सुविधा प्रदान करे कि वे नवम्बर के महीने में अपना लाइसेन्स बनवा सकें। उसमें कानून की अड़चन थी। उस समय यह कहा गया कि उसके लिये ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन उस समय की बिगड़ी हुई स्थिति मजबूर कर रही थी ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए और यदि ऐसा न होता तो बड़ी दिक्क़त होती। अतः सरकार ने गुड़ उद्योग की उस मांग को उचित समझा और पहली अक्तूबर, १९६१ को इस तरह की सुविधा दी।

दूसरी बात जो इस विधेयक के द्वारा रेगुलाराइज़ करने की की जा रही है वह यह है कि एक अक्तूबर के बाद दो महीने का समय दिया गया है जिसके अन्दर वे लाइसेन्स का नवीनीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो गुड़ उद्योग की मांग थी उसी को पूरा किया जा रहा है। जो दो संशोधन इस समय किये जा रहे हैं ये परमावश्यक थे। एक तरह से वे कार्यान्वित हो चुके हैं, इस प्रस्तुत विधेयक द्वारा तो उसको रेगुलराइज़ करने की बात है। तो मैं आप के द्वारा उन सभी माननीय सदस्यों से जो इस उद्योग के प्रति सहानुभूति रखते हैं और समय-समय पर उसका समर्थन करते हैं यह प्रार्थना करता हूं कि वे सहर्ष कृतज्ञतापूर्वक इस विधेयक को पास

होने दें, क्योंकि उनकी मांग के अनुसार ही, सरकार जो सुविधा दे चुकी है, उसको कार्यान्वित करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसलिये इस छोटे से संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजना उचित न होगा।

अब प्रश्न यह है कि परिधि बढ़ाने की जब बात आती है तो संसदीय परम्परा के अन्तर्गत उसका स्कोप इतना लम्बा हो जाता है कि विवाद की सारी बातें उसमें रेलिवेन्ट हो जाती हैं। तो जहां तक इन भावनाओं का संबंध है मैं तो समझूंगा कि वह दिन इस सदन के लिये और प्रदेश के लिये अच्छा दिन होगा जब यह मूल विधेयक पूर्णतया ही वापस ल लिया जाय और इसका नाम ही ख़त्म हो जाय। मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन की गुंजायश नहीं है। इसके बिलकुल हटाये जाने और बिलकुल वापस हो जाने की आवश्यकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस तरफ़ सरकार चली है, अगर हमने उसे चलने दिया तो समय बतायेगा कि कदाचित् गृह उद्योग की यह मांग कि इस परचेज टैक्स को समूल हटा दिया जाय वह मांग सही हो और सरकार उस को स्वीकार कर सके। आखिर इस मांग के पीछे जो भावना है कि यह टैक्स न लगे वह तो अधिकांश में स्वीकार हो चुकी है और शीघ्र उसको हटाया जायगा। आज सदन इस संशोधन विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान कर के उस नीति का समर्थन कर देगा और उस पर मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो जायगा कि इस परचेज़ टैक्स की आवश्यकता ही नहीं थी और प्रदेश के उद्योग इस बात के अधिकारी हैं कि उनको इस बोझ से मुक्त किया जाय, यह सही साबित होगा।

अन्त में मैं माननीय सदन के सदस्यों से जो इस उद्योग का समर्थन करते रहे हैं प्रार्थना करूंगा वह इस संशोधन विधेयक पर अवश्य अपनी अनुमति प्रदान करें।

*श्री रामायण (जिला देवरिया)—मान्यवर, आप के समक्ष इस पक्ष के लोगों ने प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष पेश करने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। उसके संबंध में उनके अपने कुछ तर्क भी हैं। हमारे कुछ मित्रों का ऐसा कहना है कि इस संशोधन के हो जाने से घरेलू उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा इसलिये ऐसे किसी संशोधन का स्वागत करना चाहिए। मेरी राय में प्रस्तुत संशोधन के द्वारा हमारा ध्यान दो तीन प्रश्नों की ओर जाता है। सब से पहला सवाल तो यह है कि राज्य सरकार ने खरीद कर के छूट देने का जो अधिकार लिया उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? मान्यवर, यदि पुराने कानून को देखें तो उसमें तीन बातें हमसे कही गयी थीं। यदि राज्य सरकार को लोक हित में ऐसा आवश्यक प्रतीत हुआ कि किसी ऐसे यूनिट को जो मिल के रिजर्व एरिया के बाहर स्थित है, गन्ने की पेराई के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक है तो उसे वह छूट देगी। यह भी कहा गया था कि नयी फ़ैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार इस प्रकार का अधिकार ले रही है साथ ही यह भी कहा गया था कि १९५७–५८ की पेराई के मौसम के पश्चात् कुछ फैक्टरियां स्थापित हुईं, उन्हें कुछ खास एवरेजज को लेना पड़ा जिनका परसेंटेज कम शुगर का था। उनको एक विशेष प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्रकार का अधिकार रहना सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत हुआ। अब हमसे यह कहा जा रहा है कि मिल के रिजर्व एरिया के भीतर जो खांडसारी यूनिट्स स्थापित हैं उनको हम छूट देना चाहते हैं। उद्देश्य में यह बतलाया गया था कि इस वर्ष एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी जिसके मातहत यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हम उन यूनिटों को भी छूट दे सकें। मान्यवर, पहले तो हमसे कहा गया था कि खांडसारी यूनिट्स को विशेष सुविधा इसलिए देते हैं ताकि मिल क्षेत्र के भीतर का गन्ना मिल को नियमित रूप से मिल सके और खांडसारी यूनिट्स मिल की रिजर्व एरिया के बाहर स्थित हों। अब आज यह कहा जा रहा है कि मिल की रिजर्व एरिया के भीतर जो खंडसारी यूनिट्स कायम हैं या खोले गये हैं उन को हम यह सुविधा इसलिये देना चाहते हैं कि इस साल जो ज्यादा गन्ना पैदा हुआ है उस गन्ने को वह ठीक ढंग से पेरें या उत्साहपूर्वक खपाने का यत्न करें। बड़ा पुनीत उद्देश्य है। आज जब समूचा पेराई का मौसम बीतने जा रहा है उस समय हमारे सामने एक विधेयक लाया

*वक्ता ने भाषण

[श्री रामायण]

गया । देखने में बड़ा मासूम मालूम होता है, भावना उसके पीछे बड़ी पवित्र मालूम होती है और यही कारण है कि इधर के बैठने वाले कुछ मित्रों ने घरेलू उद्योग-धंधों की स्थापना की, उनके पीछे जो उद्देश्य है उसकी तरफ सोचा और इस संशोधन को देखा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन भी किया और जहां तक इस संशोधन द्वारा घरेलू उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है उसका मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार यह समझती है कि आगामी वर्ष में भी गन्ना किसानों के सामने पेराई की ऐसी ही कोई अव्यवस्थित व्यवस्था रहेगी ? क्योंकि उद्देश्य यह बतलाया गया है कि चूंकि इस साल गन्ना ज्यादा पैदा हुआ इसलिये मिलों की रिजर्व एरिया के भीतर स्थित जो यूनिट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये यह विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो हम आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारी मांग रही है, हमारे राज्य का यह एक बड़ा धंधा है, कि इसके बारे में हमारी कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि कितना उत्पादन हो गन्ने का, रा मैटीरियल का उत्पादन कैसे हो और उस रा मैटीरियल को खपाने वाली विभिन्न प्रकार की जो यूनिट्स हैं उनको कैसे सप्लाई हो। इन तमाम चीजों के बारे में मान्यवर, हम तो आशा करते थे कि कोई एक स्पष्ट विधेयक हमारे सदन के सामने लाया जायगा, लेकिन मुझे यह विधेयक एक विशेष परिस्थिति में पैवन्द जोड़ने जैसा प्रतीत हो रहा है।

आज साफ है कि लाखों मन गन्ना किसान को जला देना पड़ेगा। अच्छा तो यह हुआ होता कि सरकार अपनी यह स्पष्ट नीति बनाती कि इतने खाते का काश्तकार इतना गन्ना बोयेगा, मिल की रिजर्व एरिया में रहने वाला काश्तकार के बोने का क्या औसत होगा, फैक्टरीज के जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनमें किस औसत से गन्ना बोया जा सकेगा और राज्य सरकार के स्वयं जो बड़े बड़े फार्म्स हैं जिनमें सरकार बड़ी तादाद में गन्ना बोती है उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होगी ? यदि इन तमाम बातों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्पष्ट नीति की घोषणा होती तो उचित होता ।

मान्यवर, एक प्रश्न की ओर यह संशोधन हमारा ध्यान और आकर्षित करता है । आखिर क्या कारण है कि आये दिन हमारी सरकार की नजर कुछ खास तरह के लोगों की तरफ हो जाती है। कभी मिल मालिकों की छूट की बात होती है, कभी उनके छुटभैयों की छूट की बात होती है, लेकिन हमारे राज्य की रीढ़ जो किसान है उनके सम्बन्ध में पिछले पांच सालों में और आज जब नयी विधान सभा का श्रीगणेश हो रहा है, उनकी असुविधा या छूट का कोई कानून हमारे सामने आता है तो सही मानों में हम अपना कर्त्तव्य पूरा कर सकते हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान हाल में हुए इन मिल मालिकों के सम्मेलन की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में उन्होंने एक धमकी दी। यह धमकी उन्होंने न जाने कैसे दी। उसके पीछे उनकी कोई सही भावना थी या प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रेरित एक तमाशा सा था। अभी सीजन खत्म भी नहीं हुआ कि उन्होंने यह कहना आरम्भ कर दिया कि हम बड़ी विपत्ति में हैं, हमारे सामने बड़े-बड़े संकट हैं, अगर सरकार की ओर से छूट नहीं दी जाती है तो हम नहीं कह सकते कि आगे यह धंधा चल भी सकेगा या नहीं, क्योंकि हम अपने को इसमें असमर्थ मानते हैं।

मान्यवर, मिल मालिकों की ओर से धमकी दी जाती है और आये दिन सरकार की ओर से उनकी सुख-सुविधा की व्यवस्था की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य में मैं नहीं कहता कि मिल मालिकों को फांसी दे दीजिये। मैं यह नहीं चाहता कि हमारे राज्य में जो सब से बड़ा धंधा है वह नष्ट कर दिया जाय, लेकिन मेरा साफ़ आग्रह यह है कि इस धंधे के प्रत्येक पक्ष के संबंध में सुनिश्चित और स्पष्ट नीति होनी चाहिये। अगर बार-बार ये गन्ना मिलों के मालिक ऐसा कहते हैं कि वे इन गन्ना मिलों को चला नहीं सकते तो विद्यमान परिस्थिति में ऐसे धंधे का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। हमारी ओर से बार-बार यह कहा जाता रहा है। हम जिम्मेदारी से आज भी यह कह देना चाहते हैं कि ये धंधे वर्कर्स कोआपरेटिव्स के द्वारा भी चलाये जा सकते हैं।

मान्यवर, आप की सेवा में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हैदराबाद में एक मिल सहकारी ढंग से चल रही है। उसके बारे में यह हमें देखना चाहिये कि पिछले वर्ष उसने कितना प्रोडक्शन किया, वहां के काश्तकारों के गन्ने का उसने क्या मूल्य दिया। वहाँ पर हमको इस तरह की कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली, लेकिन इस राज्य के मिल मालिकों की तरफ से ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी गयी है ? इसके पीछे एक कारण है। माननीय सदस्यों और सदन की जानकारी के लिये उसे बता देना चाहता हूं। हमारे राज्य के चीनी मिल मालिक शायद हमारी राज्य सरकार के लाड़िले हैं क्योंकि वे विशेष संरक्षित हैं। उन्हीं की सहायता से यह राज्य सरकार बराबर चुनाव संग्राम में बड़ी-बड़ी धनराशियां एकत्रित करती है। मान्यवर, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिन जिन वर्षों में चुनाव हुए हैं उन-उन वर्षों की बैलेंसशीट इन मिलों की प्रस्तुत की जाय तो मालूम होगा कि ऐसी कोई चीनी मिल नहीं है,जो सरकारी पक्ष को १० हजार से कम रकम चंदे के रूप में देती हो।

हमारे माननीय सदस्य देवरिया को कुछ ऐसा लगा कि इससे घरेलू उद्योग धंधे पनपेंगे, इसलिये उनको यह संशोधन बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इस मामूली संशोधन के पीछे जो षडयंत्र होता है उसके द्वारा एक पक्ष के साथ पक्षपात होता है और मेरा जैसा आदमी उस तरह से इस संशोधन को देखता है। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि इस संशोधन के ऊपर हमें प्रत्येक पक्ष से विचार करना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने पुनीत कर्त्तव्य से पीछे हटते हैं।

मान्यवर, यह भी कहा गया है कि खांडसारी यूनिट्स को चलाने के लिये जो लाइसेंस चाहते हैं, उनकी कुछ कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को हल करने के लिये इस संशोधन को करने जा रहे हैं। पिछले सदन में उस समय के जो मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि मेरी यह स्पष्ट घोषित नीति है कि जो लोग भी खांडसारी यूनिट लगाना चाहें उनको हम आसानी से लाइसेंस देंगे। माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी, श्री उग्रसेन जी शायद भूलें न होंगे कि उन्हीं के क्षेत्र के एक सज्जन एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीने नहीं बल्कि वर्षों देवरिया से लखनऊ का चक्कर काटते रहे खांडसारी यूनिट बैठने के लिये लाइसेंस लेने के लिये तथा मैंने स्वयं भी उनको कुछ राहत देनी चाही, माननीय मंत्री जी की कृपा जगानी चाही, लेकिन वह सब बेकार रहा। तो यह जगलरी, यह जादूगरी या तमाशा, यह षडयंत्र हमारे और आपके लिये बहुत चिन्ता का विषय है। मैं इधर के बैठने वाले तथा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि गन्ने के बारे में जब कोई कानून आवे, कोई संशोधन आवे तो हमको, आपको बैठ कर उसके ऊपर इन तमाम प्रश्नों की दृष्टि से सोचना चाहिये। आज हमको यह मौका मिलता है कि इसे हम प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकें तो हम प्रमाण के साथ, जिन प्रश्नों की ओर मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है उनके बारे में तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे।

हमारे पूर्व वक्ता श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा--मेरी भी अपनी शिकायतें रही हैं और मैं भी यह मानता हूं कि खांडसारी और गुड़ के क्षेत्र में सरकार की न्यायपूर्ण नीति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसको ठीक ढंग से प्रोत्साहन नहीं मिलता है और उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि एक टार्गेट जो खांडसारी यूनिट के लगाने का था वह टार्गेट भी पूरा नहीं हो सका। फिर भी उनका यह कहना है कि इस संशोधन के द्वारा तमाम इकाइयां लगायी जा सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस सरकार ने पुराना कानून बनाया था वह सरकार जब बदल गयी और जब नये मुख्य मंत्री जी को राज्य सरकार चलाने का मौका मिला तो उन्होंने उनके कहने पर कोई विशेष छूट दे दी। मान्यवर, हम यहां सरकार से कोई दया की भीख मांगने नहीं आये हैं। कोई खास कारण ही होगा जिससे नये मुख्य मंत्री जी ने कर में छूट दे दी होगी। डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार ने क्यों टैक्स लगाना चाहा था और माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने क्यों चुनाव से कुछ दिनों पहले छूट दी होगी, ये सब बातें आप लोग सोचेंगे। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारी ओर से आपके सामने जो संशोधन प्रस्तुत हैं, उसे प्रवर समिति के सामने

[श्री रामायण]

आप जाने दीजिये। अगर यह संशोधन आपने स्वीकृत किया तो इस कर लगाने के विधेयक के सिलसिले में जो और भी उससे सम्बद्ध प्रश्न हैं, उन पर भी हम विचार कर सकेंगे।

आखिर यह कर है क्या? गन्ने की खरीद का जो टैक्स है उसमें आप छूट देना चाहते हैं। खरीद के सिलसिले में और जो कठिनाइयां हैं वे कैसे हल होंगी, इस प्रश्न पर भी हम विचार कर सकेंगे। अब क्या मैं पुनः माननीय चन्द्रजीत यादव जी के सारे प्रश्नों को दोहराऊं? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि अगर एक पैसा भी किसान पर बाकी रहता है तो उसके लिये उसे मुर्गा बनाया जाता है....

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को प्रस्ताव के सिद्धान्त के ऊपर ही बोलना चाहिये।

श्री रामायण—वह क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—केवल इतना कि जो विषय है और जो संशोधन है और जितनी इस विधेयक की व्याप्ति है उसके अन्दर ही आप रहें, और कुछ नहीं।

श्री रामायण—मैं श्रीमन्, आपकी सेवा में यह आग्रह कर रहा था कि किसी वर्ग विशेष के ऊपर लगने वाले कर में सरकार छूट देने जा रही है, लेकिन और लोग भी जिन पर आप कर लगाते हैं, उनके कर में छूट देना तो दूर रहा, उनके ऊपर कोई छोटी विपत्ति भी आई होती है उसके लिये भी जो आप तकावी या ग्रेटुइस रिलीफ देते हैं उस सिलसिले में जो वसूलियां होती हैं उन तक में उनके साथ तरह तरह की कड़ाई होती है। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि मैं किसी अन्य विषय की ओर आप का ध्यान ले जाऊं। मैं देखता हूं कि जब कभी भी सदन में सही बातों की चर्चा की जाती है तो मंत्री जी न मालूम क्यों भड़क उठते हैं, भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है।

"सुनना हराम है न सुनाना हराम है,
सुनने के बाद तैश में आना हराम है।"

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष....

श्री रामायण—श्रीमन्, आप उन्हें रोकें। जब मैं बोल रहा हूं तो वह कैसे खड़े हो सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप बोलें और अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जो बरेली से उधर के माननीय सदस्य हैं वह स्वयं इस बात को कबूल करते हैं कि इस धंधे के सम्बन्ध में सरकार की नीति दोषपूर्ण है। फिर ऐसी अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसी हेतु मैं इसका जोरदार समर्थन करने के लिये आप की सेवा में उपस्थित हुआ था।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तुत विधेयक इस बात का द्योतक है कि गन्ना, खांडसारी, गुड़ और राब आदि के विषय में जो सरकार का कलकुलेशन था, आंकड़े थे। वह सब गलत सिद्ध हुआ है। यह कानून जो ऐक्ट के रूप में हमारे सामने सन १९६१ में आया और जिस में आज यह संशोधन पेश हैं और जिसके उद्देश्य और कारणों में सरकार ने लिखा भी है, संशोधन इस उद्देश्य से है कि जो लाइसेंसिंग के समय की सीमा थी वह बढ़ा दी जाय। इसका अर्थ स्पष्ट है कि लाइसेंसिंग की कीमत कुछ गिर गई और लाइसेंसिंग कराने के लिये हमें और अधिक समय देना पड़े।

उस समय जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता जगदीश शरण जी अग्रवाल ने कहा हम लोगों ने इस पर बहुत कुछ कहा और इस सदन में माननीय उद्योग मंत्री और उपमंत्री जी से बहुत कुछ बातचीत हुई और यह साफ करने की कोशिश की गई कि इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा और मैं तो अब भी इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि लाइसेंसिंग से कुछ बड़ा लाभ सरकार को नहीं हुआ होगा। जहां तक मैंने देखा है पहले जहां ७ कोल्हू थे अब ६ हो गये और ६ की एक इकाई पर लाइसेंस नहीं रहा। मैं भी एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं कि जहां खांडसारी राब का काम ज्यादा होता है। अधिकतर खांडसारी वालों ने एक इकाई पर दस की जगह पर ६ कोल्हू कर लिये तो ऐसे कानून से क्या लाभ ? यह हो सकता है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की आय इससे बढ़ी हो, लेकिन सरकार तो इस उद्देश्य से विधेयक नहीं लाना चाहिए उसका परिणाम कुछ भी हो। यह विधेयक जो है यह उस लाइसेंसिंग की अवधि को बढ़ाना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जहां एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है वहां परिस्थिति को देखते देखते सरकार मजबूर होगी और दूसरा कदम उठायेगी जिससे लाइसेंस का झगड़ा ही खत्म हो जाय।

उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि क्रय कर में छूट देने का प्रावीजन है। पहले हमें बतलाया गया था चूंकि कुछ और शुगर मिलें प्रदेश में खुलने को हैं उनके लिये हमें आंकड़े इकट्ठा करने होंगे, इसलिये यह सब कानून बना रहे हैं, अब वह परिस्थिति नहीं है। अब जैसा कि कई बार कहा जा चुका है और स्पष्ट है कि गन्ने और चीनी की पैदावार बढ़ गई है। मैं समझता हूं इस पर सरकार ध्यान देगी, अभी तक १० मील के बाहर छूट देने का प्रावीजन था, लेकिन अब उसको घटाना चाहती है। उस समय हमने कहा था कि गन्ना खड़ा रहता है, जलाना पड़ता है, इसलिये क्रय-कर को न लगाओ। खैर, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाय तो भूला नहीं कहलाता, सरकार जो अब कदम उठा रही है यह अच्छा ही है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो छूट दी जाय, जैसी की अब तक दी गई है, वह जनरल दी जाय। छूट में व्यक्तिगत प्रश्न न आ जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अब तक १० मील के बाहर छूट थी, अब उसको घटा कर ८,७,५,४,मील जो भी कर दें उसमें इकाई को देखने का प्रश्न न आये, बल्कि छूट की दर समान हो अन्यथा उसमें अधिकारियों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वे लोगों को परेशान करते हैं। इन शब्दों के साथ जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं और जो विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसका स्वागत करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--मान्यवर, जब मूल विधेयक सदन में १९६१ में पेश हुआ था उस समय भी सरकार का ध्यान इन खामियों की तरफ खींचा गया था तथा मैंने भी सरकार को आगाह किया था कि इस तरह का विधेयक पेश करने से हमारे यहां का मुख्य गृह उद्योग नष्ट हो जायगा।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, उस वक्त के उद्योग मंत्री ने उलटी इत्तला दी थी कि इस खांडसारी उद्योग से मिलों को जो गन्ना मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। और एक सवाल उस समय पैदा हो गया था, एक कम्पेटीशन की भावना खांडसारी उद्योग और चीनी मिलों में पैदा हो गई थी। गन्ने का दाम तय होने के बाद भी बहुत सी खांडसारी यूनिट्स ने १ रु० १४ आना मन से लेकर २ रु० मन तक गन्ना खरीदा। तब चीनी मिल मालिकों ने सरकार पर दबाव डाला जिसक कारण इस तरह का विधेयक १९६१ में हमारे सामने आया। माननीय जगदीश शरण जी इस विषय के पंडित हैं उस समय उन्होंने तथा अन्य दो, तीन मुख्य सदस्यों तथा विरोधीदल के माननीय सदस्यों ने इस तरह सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन बहुमत के लोग जो उस तरफ बैठे थे, जब विरोधी पक्ष की तरफ से लोगों ने माननीय जगदीश शरण जी की बातों का समर्थन किया, उन्होंने इस मांग का विरोध किया और जिस संशोधन को आज सरकार कर रही है इस तरह की भावना इस तरफ के लोगों ने व्यक्त की थी। मैंने जगदीश शरण जी की बातों

[श्री ऊदल]

का समर्थन किया था तब यह सरकार कहती थी कि यह जनहित में नहीं है और आज डेढ़ साल के बाद सरकार फिर उसी नतीजे पर पहुंची। हमारे ऊपर यह लांछन लगाया जाता है कि ये लोग इन बातों को अपना प्रचार का साधन बनाते हैं।

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि वे उस वक्त की कार्यवाही को उठा कर देखें कि माननीय जगदीश शरण जी अग्रवाल ने जो उधर के सदस्य हैं उन्होंने इस संशोधन से संबंधित बातें उस समय कहीं थीं या नहीं कही थीं। अगर सुबह का भूला व्यक्ति शाम को घर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता, लेकिन इसके पीछे भी एक भावना छिपी हुई प्रतीत होती है। सरकार को जब यह एहसास होगा कि किस को छूट देनी चाहिये और किसको नहीं देनी चाहिये, किसको अंशतः देनी चाहिये और किसको पूरी देनी चाहिये, इससे मालूम होता है कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिये आज का संशोधन कोई अच्छी भावना नहीं रखता और सरकार के प्रति जो एक विश्वास की भावना होनी चाहिये उसको यह संशोधन प्रस्तुत नहीं करता, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को सफाई के साथ प्रकट करे कि कितनी ठीक मांग हम करते हैं। यह मूल विधेयक जब उस वक्त लाया गया था जिसके संबंध में माननीय जगदीश शरण जी ने कहा और मैंने कहा था कि कोई आवश्यकता इस विधेयक की नहीं है, उसी चीज को माननीय मंत्री जी आज इस संशोधन को पेश करते हुए कह रहे हैं कि आज हमारे सामने कठिनाई पेश हो गयी है जिसकी वजह से उनको इसे लाना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने १० परसेंट चीनी की पैदावार में कटौती कर दी है। मैं समझता हूं कि यह तर्क कुछ मानी में ठीक हो सकता है, लेकिन पूर्णतया उचित नहीं है, क्योंकि आज गन्ने की हालत पूरे प्रदेश में बड़ी खराब है। मैंने कल भी सरकार को आगाह किया था और आज भी आगाह करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि जितने एरिया में गन्ना आज बोया जाता है उसकी खपत ठिकाने से हो जाय, पेराई ठिकाने से हो जाय तो जो मूल विधेयक है उसे आपको रद्द करना होगा, वापस लेना होगा।

अगर आप चाहते हैं कि सचमुच आप की खांडसारी की यूनिट्स तरक्की करें, ठीक से चलें, तो इस विधेयक को रद्द करके ही प्रदेश के गन्ने की आप खपत कर सकते हैं, वर्ना कोई दूसरा जरिया नहीं है। जिस तरह से पहले खांडसारी और राब बनाने वालों पर कोई टैक्स नहीं था उसी तरह से आज भी किसी तरह के टैक्स की जरूरत नहीं है। ७ महीने के बाद चीनी मिलों का अगला सीजन शुरू होगा और मिल मालिकों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है और पहले से ही इस तरह का षड़यन्त्र रचना तथा धमकी देना शुरू कर दिया कि जब सरकार हमारे ऊपर सेस लगा कर रुपया वसूल कर सकती है, तो सरकार को पूरी जिम्मेदारी मिल के भाव के बारे में, और सड़कों के बारे में लेनी चाहिये। इस तरह की मांग मिल मालिकों ने उपस्थित की और यह भी कहा है कि सरकार नहीं मानती है तो अगले वर्ष के सीजन में सारी की सारी मिलें बन्द कर दी जायंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस धमकी के बाद आज प्रदेश के किसानों और खांडसारी तथा राब उद्योग के हित में यह बात हो गयी है कि जो हमारा मूल कानून है उसे सरकार वापस ले ले और इस उद्योग को पूरी छूट दे ताकि वह उद्योग विकसित हो और आज जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं उनको रोका जा सके। सरकार की जो यह मंशा है कि खांडसारी और राब का उद्योग बढ़े तो इन थोड़े से संशोधनों से कुछ राहत उसको भले ही मिल जाय, लेकिन चीनी मिलों के कम्पटीशन में वह आगे नहीं जा सकता। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि सन् ६१ में जब यह विधेयक इस सदन में पेश हुआ था उस समय माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने और हम लोगों ने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया था सरकार उसके ऊपर फिर गौर करे और इस कानून को वापस ले ले तब हम गन्ना किसानों की भलाई कर सकते हैं। इसमें जो सरकार की भावना छिपी हुई है कि किनको पूरी छूट दें और किन को अंशतः छूट दें इससे सरकार की कोई नेकनीयती जाहिर नहीं होती है। क्योंकि इसमें होगा यह कि जिन लोगों के प्रति सरकारी अधिकारियों की

भावनायें कुछ वैसी हैं उनको जो छूट मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी। इसलिये सरकार की मंशा इस बारे में साफ होनी चाहिये ताकि हम उस उद्योग को बढ़ावा दे सकें।

इन शब्दों के साथ, प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन विरोधी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर प्रवर समिति में यह जायगा तो हो सकता है कि जो बात माननीय मंत्री जी सदन में न मानें उसको हम वहां उन्हें मनवा सकें।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जिस बिल पर विवाद चल रहा है प्रवर समिति में भेजने के लिये वह मैं नहीं समझ सका। यह इतना छोटा सा बिल है और इससे प्रदेश के उन गरीब किसानों को फायदा होने जा रहा है जिन्हें मिलों के बगल में अपने निजी कोल्हू आदि लगाने का आज तक अधिकार नहीं था। अभी हमारे कुछ माननीय समाजवादी सदस्यों ने कहा कि इसके अन्दर कुछ षडयन्त्र है। कुछ और लोंगों ने भी यही कहा। तो इसके अन्दर कोई षडयन्त्र तो दिखलाई नहीं देता। अगर आप देख रहें हैं कि सरकार उन किसानों का फायदा करना चाहती है जिनका गन्ना आप स्वयं कबूल करते हैं कि एक महीने के अन्दर अधिक रह जाने के बाद....

श्री रामायण—क्यों यह गन्ना अनाप-शनाप पैदा होता है ?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्यों का जवाब तो आप प्रश्न कर के पूछ लीजिये। मै भी एक जगह रहता हूं। हमारे यहां भी शाहगंज की एक मिल है जिसके एरिया में खांडसारी उद्योग बढ़ाने के लिये कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिला। यदि आज सरकार किसी भी दबाव के कारण, चाहे गन्ना उठ नहीं रहा है उसके कारण, या किसान के फायदे के लिये यह कर रही है, तो मैं तो यह चाहूंगा कि हमारे जितने समाजवादी ढंग की विचारधारा के सदस्य हैं उन्हें तो इसका समर्थन ही करना चाहिये। वे अगर समर्थन नहीं करते हैं और उल्टे बार बार सरकार पर यह लांछन लगाते हैं कि यह षड़यन्त्र है, तो मुझे बड़ी चिन्ता होती है। यह जो आप कह रहें हैं कि संशोधन न लाया जाय फिर से मूल अधिनियम लाया जाय। इसमें आप जो संशोधन लाना चाहें उनको आप लायें, उसके लिये कौन रोक रहा है, और आप जितना चाहें उतना सरकार पर दबाव डालें, इसमें कोई हरज नहीं है। आज अप्रैल का महीना है और इसमें किसानों का गन्ना नहीं उठ रहा है और किसानों का गन्ना नहीं पेरा जा सकेगा। इसीलिये सरकार यह छोटा सा संशोधन लाई है जिससे किसान अपना गन्ना खांडसारी वालों को दे सके और अपने जेब में पैसा ला सकें। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें माननीय सदस्यों का क्या नुकसान हो रहा है? मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है कि आप हर चीज में यह कहते हैं कि इसमें यह है, इसमें वह है। यह ठीक है, लेकिन आपकी यह भावना देखकर मुझे दुख हो रहा है कि सरकार द्वारा यह संशोधन पेश हो रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने यही संशोधन किया था और गवर्नमेंट ने उसको उस समय नहीं माना था। ठीक है, उस दिन नहीं माना, लेकिन आज तो गवर्नमेंट मानती है और उसको बल दे रही है, तो उसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है ? आज तो आपको बड़ी शांति और धैर्य के साथ इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

इस बिल को यदि आप प्रवर समिति में भेजेंगे तो वहां हफ्ते दो हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन किसान की हालत यह है कि वह आज एक दिन के लिये भी परेशान हो सकता है। इसलिये सरकार गन्ना पेरने के लिये, बेचने के लिये जो संशोधन पेश कर रही है उसको माननीय सदस्यों को स्वीकार करना चाहिये। इससे बढ़कर समाजवाद का दूसरा और कोई ढांचा नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि गांवों में उद्योग धंधें हों और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मिल वालों के कानून होने चाहिये। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। मिल वाले तो दुगुनी, तिगुनी कीमत देकर गन्ना खरीद सकते हैं। लेकिन छोटे उद्योग धंधे वाले कैसे खरीद सकते हैं? इससे गरीब किसानों का फायदा है। जो आज गांवों में छोटी सी रकम लगाकर खेती करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

उनका इससे फायदा है । इसको जो आप प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय सदन से अपील करता हूं कि जो संशोधन गवर्नमेंट ने पेश किया है उसको स्वीकार कर ले ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में इस विधेयक पर जो वाद-विवाद चलता रहा है, उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं और जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि उधर के बोलने वालों में और इधर के बोलने वालों में और विशेषकर माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल की बातों में और हमारी बातों में कोई अधिक अन्तर नहीं दिखाई देता है, सिवाय इसके कि वे दूसरी पार्टी में बैठे हुये हैं और हम लोग दूसरी पार्टी में बैठे हैं । जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है, विरोधी पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया है । बल्कि हमारा कहना यह है कि जितने संशोधन आने चाहिये थे वे नहीं आये हैं, जिस हद तक हमें जाना चाहिये था उस हद तक हम नहीं गये हैं । इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे अवसर मिले कि जो संशोधन नहीं आये हैं और जिनकी आवश्यकता है, वे भी लाये जा सकें ।

श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है कि—"इस वर्ष स्थिति पूर्णतया बदल गयी है और रक्षित क्षेत्रों में भी फैक्ट्ररियों की आवश्यकता से कहीं अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है ।" श्रीमन्, चूंकि स्थिति पूर्णतया बदल गयी है इसलिये जो विधेयक है उसमें और अधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और इसी परिवर्तन के लिये हमारी मांग है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय । जैसा कि माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि यह विधेयक, मूल विधेयक, पास ही नहीं होना चाहिये, उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसके उन्मूलन की आवश्यकता है । जब ऐसी बात हो तो हमारी यह मांग कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, जिससे हमको अवसर मिल सके कि हम इन बातों को जोड़ सकें, और जैसा कि कहा गया कि स्थिति पूर्णतया बदल गयी है, उसके अनुसार परिवर्तन ला सकें । इसलिये हमारी मांग को केवल इसलिये ठुकरा देना कि वह विरोधी पक्ष की ओर से आयी है, उचित नहीं है । जिस तरह से आप हम से सहयोग चाहते हैं, उसी प्रकार हम भी यह आशा करते हैं कि जो हमारी न्यायसंगत और उचित बात हो, सरकारी पक्ष को मान लेना चाहिये । इस मूल विधेयक में काफी परिवर्तन की आवश्यकता है और वह प्रवर समिति में ही संभव हो सकता है ।

इस गन्ना उद्योग में एक बहुत बड़ी बुनियादी बात छिपी हुई है । इस विषय में जितनी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं उनका कारण यह है कि हमारी सरकार ने चीनी पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया । जितनी एक्साइज ड्यूटी चीनी पर हमारे देश में है, उतनी संसार के किसी भी देश में नहीं है ।

दूसरा तथ्य जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार चीनी और गुड़ की शक्ल में जितनी मात्रा शक्कर की मिलनी चाहिये उसका १/३ से ज्यादा हमारे औसत भारतीय को नहीं मिल रहा है । ऐसी स्थिति में जबकि १/३ मात्रा भी चीनी और गुड़ की शक्ल में हम अपने देशवासियों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस समय यह प्रश्न कैसे उठता है कि गन्ने का अधिक उत्पादन हो गया है । अमेरिका में हम सुना करते थे, गेंहूं ज्यादा पैदा हो गया तो जला दिया गया, फल ज्यादा पैदा हुये तो जानवरों को खिला दिये गये, लेकिन अपने देश में जहां पोषक तत्वों की इतनी कमी है, यहां यह स्थिति पैदा हो, यह सारे सदन के लिये सोचनीय विषय है । इस पर दलगत नीति से उठ कर सब को सोचने की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि गन्ने की पैदावार बहुत बढ़ती जा रही है और इसका प्रभाव अन्न की खेती पर पड़ेगा । इसलिये गन्ने की खेती कम करना चाहिये । यह भी एक भ्रम ही भ्रम है । हो सकता है कि जो शारीरिक परिश्रम नहीं करते, जो कुर्सी पर बैठ कर काम करते हैं, उन लोगों के लिये चीनी और गुड़ उत्तम पदार्थ न हो, लेकिन जो खेतों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिये चीनी और गुड़ उत्तम खाद्य पदार्थ है । गुड़ तथा चीनी की शक्ल में एक एकड़ भूमि से जितना भोजन पदार्थ मिल सकता है उतना तीन एकड़ में किसी अन्न से, गेंहूं, धान,

बाखरा ज्वरा आदि से नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जब हम अपने देशवासियों की कैलोरिफिक रिक्वायरमेंट, जितनी स्वस्थ रहने के लिये देनी चाहिये उतनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, केवल २/३ पूरी कर पा रहें हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसे खाद्य पदार्थ को प्रोत्साहन देना जिससे एक एकड़ में तीन एकड़ के बराबर भोजन पदार्थ तैयार हो जाता हो, उचित नहीं होगा ? लेकिन एक नारा दे दिया गया कि गन्ना मत बढ़ाओ। हो सकता है कि थोड़ा-सा अन्न कम पैदा हो, लेकिन चीनी और गुड़ से जो कैलोरिफिक रिक्वायरमेंट है वह पूरी होगी और इसकी हमारे गांव में रहने वाले किसानों और मजदूरों को अत्यन्त आवश्यकता है, इस दृष्टि से भी इस प्रश्न को देखा जाना चाहिये। जब यह मूल विधेयक आया था तो यह कहा गया था कि फैक्ट्रियों को गन्ना नहीं मिल पा रहा है, गुड़ और खांडसारी का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, उनका कम्पटीशन बढ़ता जा रहा है और चीनी उद्योग को धक्का पहुच रहा है, इसलिये यह मूल विधेयक लाया गया था। श्रीमन्, उस समय भी एक अन्य रास्ता खुला हुआ था, यह गुड़ और खांडसारी यूनिटें कभी भी चीनी के कारखानों का मुकाबिला नहीं कर सकती थीं यदि उन पर अत्यधिक टैक्स न हो, उस समय भी टैक्सों में कमी की जा सकती थी और यदि टैक्सों में कमी होती तो चीनी की मिलें गुड़ और खांडसारी का बखूबी मुकाबिला कर सकती थीं, उस समय भी यह रास्ता अपनाया जा सकता था। लेकिन उस रास्ते को न अपना कर सरकार ने यही उचित समझा कि जो हमारा यह गृह उद्योग है, गुड़ और खांडसारी का, उसी को रोका जाय। तो जैसा मैंने बताया यह मूल विधेयक ही गलत था और उस गलती का ही नतीजा है कि आज संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इस संशोधन को लाकर कम से कम अंशतः सरकार ने अपनी उस पुरानी गलती को स्वीकार किया है।

अन्त में मैं एक बात जो विशेष रूप से आपत्तिजनक है कहना चाहता हूं। वह बात यह है कि इस विधेयक में कहा गया है कि जहां सरकार चाहे पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। श्रीमन्, इस तरह के डिस्क्रीशनरी प्रोटेक्शन यानी जिसको चाहा उसको दिया जिसको न चाहा उसको न दिया, यह सरकार या उसके अधिकारियों के हाथ में इतना अधिकार सौंपना है जिसका कि दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। कहने का मतलब यह है कि आज आप देखिये इन्हीं सब नियमों के कारण बहुत से लोग सरकारी शिकंजे में जकड़ते जा रहें हैं और इसी बात के ऊपर स्वतंत्र पार्टी ने एतराज किया है। इसका नतीजा यह होगा कि अब गांव में खांडसारी बनाने वाला भी स्वतंत्र नहीं होगा। उसको यह डर लगा रहेगा कि फलां अधिकारी या मंत्री नाराज हो जायगा तो हमारी छूट कट जायगी। तो इस तरह के डिस्क्रीशनरी प्रोटेक्शन के हम सिद्धान्तः विरुद्ध हैं। नियम ऐसा होना चाहिये कि जिसमें हरएक व्यक्ति यह जान सके कि उसको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक डिस्क्रीशनरी प्रोटेक्शन मिलेगा तब तक स्वाभाविक है कि इस तरह का डिस्क्रीशनरी प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिये लोग अधिकारियों की खुशामद करें। इससे जनतांत्रिक प्रणाली दिन पर दिन कमजोर होती जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो संशोधन विधेयक राज्य सरकार की तरफ से आया है उसका समथन करता हूं और जो विरोधी पक्ष की ओर से प्रवर समिति में भेजने का संशोधन रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

यह बात सही है कि यह जो संशोधन है इसको मान लिया जाय तो इससे गुड़ और खांडसारी के धंधों का विकास होगा और उनको सहूलियत मिलेगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैं अदब के साथ अपने जिले की ओर गन्ने की सामान्य स्थिति के अनुसार एक सुझाव देना चाहता हूं। गन्ने की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गुड़ और खांडसारी से उसकी कुछ रोकथाम रही, लेकिन चीनी मिलों को जो रियायत मिली उससे हालत और बिगड़ गई। सुरक्षित क्षेत्र गन्ने का धीरे-धीरे बढ़ता गया और उनको गन्ना मिलने लगा तो वह उसको बराबर रोके रहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छेदालाल चौधरी]

पेराई के सीजन तक। पेराई की जो उनकी क्षमता थी उस क्षमता से कहीं अधिक गन्ना उन्हें मिला, लेकिन वह उस गन्ने को रोके रहीं और गुड़ और खांडसारी के धंधे में ले जाने के ऊपर पाबन्दी बनी रहीं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मिलों का जो सुरक्षित क्षेत्र है, जो बहुत पहले बना हुआ था, उसमें उनकी पेराई की क्षमता के अनुसार संशोधन किया जाय और उनको उतना ही क्षेत्र दिया जाय जितने क्षेत्र का गन्ना वह समय से पेर सकें। इसका नतीजा यह होगा कि छोटे-छोटे लाखों किसान जो सुरक्षित क्षेत्र में पड़ते हैं और जिनके पास नुकसान बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, जो बेचारे पिस जाते हैं, उनकी रक्षा हो सकेगी।

दूसरी बात मैं बड़े अदब से जनहित में और किसानों के हित में निवेदन करना चाहता हूं। मिलों के पास जो बड़े-बड़े फार्म हैं जो कि मिल शुरू होने के पहले उनके पास नहीं थे और साथ-साथ बड़े-बड़े फार्मर और हैं जिनके पास हजारों बीघे के फार्म्स हैं वे लोग अपने हित की रक्षा भी कर लेते हैं और नेतृत्व भी कर लेते हैं और बहुत कुछ लड़ भी लेते हैं, इसलिये उनको कुछ सहूलियत मिल जाती है, लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं वह बेचारे मर जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे उनका अनुपात निर्धारित हो जाय कि बड़े फार्म्स से इतना गन्ना लिया जाय और उससे अधिक गन्ना नहीं लिया जायगा उसका नतीजा यह होगा कि अनुपात के हिसाब से वह गल्ला काफी बोयें गे। इससे यह भी होगा कि मिल वालों की गन्ने की जो कैपेसिटी होगी उसके अनुसार ही वह पेर सकेंगे। उतना ही वह बोयेंगे जितना उनके पास खप सकता है और बाकी एरिया में वह गल्ला बोयेंगे। फैक्टरी जितना सहूलियत के साथ पेर सकेंगी उतना ही वह गन्ना बोयेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ में सरकारी संशोधन का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत दिनों से इसी विषय पर चर्चा चल रही है। कभी यह सवाल आता है कि गन्ना किसान अधिक बोते हैं और कभी यह सवाल आता है कि गन्ना मिल एरिया के बाहर हैं और कभी यह सवाल आता है कि मिल एरिया के अन्दर हैं। लेकिन यह हमारे सदन के साथियों को बखूबी मालूम है कि जब मिल मालिकों के हाथ में गन्ना ज्यादा होता है और उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तब वह एरिया के बाहर और भीतर देखने लगते हैं। जब उनके पास गन्ना कम होता है, तो दूसरी बात करते हैं। पिछले वर्ष हमने देखा है कि दो रुपया मन और सवा दो रुपया मन के अन्तर से ब्लैक देकर गन्ना उन्होंने खरीदा। जब देखा कि गन्ने कि अधिकायी है तब कायदे और कानून को बरतने लगते हैं। आज गुड़ और खांडसारी के लिये लाइसेंस की बात चल रही है। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि गुड़ और खांडसारी में अन्तर क्या है। गरीब किसान आज गुड़ की ही बदौलत दुनियां में जिंदा हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जितने सैलाब आये सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गई। अन्य का एक दाना और चारा भी उसके खाने के लिये और जानवरों के खाने के लिये बाकी नहीं बचा। अगर कुछ बचा तो केवल कुछ मात्रा में गन्ना बचा और उसी गन्ने की बदौलत जिन्दा रहा। हम लोग उस सैलाब और परेशानी के दिनों में बराबर घूमते रहे। हमने देखा कि कोल्हू चलाकर किसान जिन्दा रहे। उन्होंने डिठवन के पहले ही गन्ने का पेरना प्रारम्भ किया। डिठवन के पहले कोई किसान अपने मुंह में गन्ना नहीं दबाता है, लेकिन गरीबी और मजबूरी की वजह से, जब कि वह गन्ने को क्वार और भादों में नहीं पेरता था, कोल्हू चलाकर उसने अपनी जिन्दगी को रखा और अपनी जिन्दगी को इतने दिनों तक काटा, अगर गन्ना न होता तो कोई साधन उसके सामने नहीं था। इसलिये किसान मजबूर है और गन्ना ही एक ऐसी चीज है कि जो पाला, ओला और सैलाब से बचता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस संशोधन में यह बताया जा रहा है कि गुड़ और खांडसारी पर लाइसेंस लगाया जाय और उस पर टैक्स अदा किया जाय। खांडसारी की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि गुड़ और खांडसारी में अन्तर क्या है। गुड़ भी गन्ने के रस से बनता है और राब भी उसी से बनती है। गुड़ अगर बनाते हैं तो वह सस्ता बेच देते हैं और अगर गुड़ नहीं बनाते हैं तो उसी से राब बना ली जाती है और उससे शकर बना लेते हैं। उससे कुछ अधिक पैसे उनको मिल जाते हैं। अगर कुछ पैसा अधिक बना लेते हैं तो इसमें वह कुछ बुराई नहीं करते हैं क्योंकि गन्ने की फसल को पैदा करने में जितनी मेहनत है उतनी संसार की किसी दूसरी फसल में नहीं है। जो सज्जन इस काम को कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से खेत में होती मेहनत को देखा है वे जानते हैं कि गन्ना कम से कम १४ महीनों में तैयार होता है, अगर अच्छी तरह से उपजाया जाता है तो। जल्दी में भी १२ महीने लगते हैं। उसके बाद किसान उसकी पेराई करता है अथवा उसे मिल में ले जाता है। वह जाड़ा गरमी बरसात, सब बरदाश्त कर के उसे गाड़ी में फैक्टरी को ले जाता है। तीन-तीन दिन उसे रास्ते में लगते हैं और रास्ते ज्यादातर खराब होते हैं। कहीं-कहीं दो-दो फिट पानी भरा होता है और उसी में गाड़ियां चलती हैं। पाले में, शीत में वह सफर करता है। उसके पास ओढ़ने को कुछ रहता नहीं, किन्तु रात १२ बजे या २ बजे जब भी गाड़ी तौली जाती है तो उसे तौलवाता है और फिर अपने घर वापस आता है। उसके पास खाने को कुछ नहीं रहता। जाड़े की रात में भी वह उसी गन्ने को खाता है जिसे खा कर शहरी लोगों को गरमी में भी ठंडक हो जाया करती है। अगर किसी शहरी आदमी से रात में उसे खाने को कहा जाय और वह गन्ना रात को खा ले तो उसे न्युमोनिया हो जायगा, लेकिन यह सब मुसीबत झेल कर भी किसान गन्ना पैदा करता है....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, इसमें कितनी बातें बिल से संबंधित हैं ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बहुत विषयांतर कर रहे हैं।

श्री रामआसरे—मैं नया आदमी हूं, इसलिये जो असली बात है वही कह रहा हूं, आगे समझ जाऊंगा। अन्त में मैं यही कहूंगा कि गुड़ और खांडसारी पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये।

मैं मिल मालिकों के लिये भी एक बात कहना चाहूंगा। जिस गन्ने के लिये वह कह रहे हैं कि उसे पेरने की उन के पास क्षमता नहीं है उसे वह पेर सकते हैं। इसी प्रकार की अवस्था एक बार १९५७ में पैदा हो गयी थी। उसके बाद कुछ ऐसी बात तय हुई कि गन्ने का दाम जो १ रुपये ७ आने था वह घटा कर १ रुपया ३ आना कर दिया गया और ऐसा होने पर उन्हीं मिल मालिकों ने सारा गन्ना पेर दिया। अगर उस समय दाम न कम होता तो शायद यही आवाज आती कि हम उसे नहीं पेर सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो संशोधन पेश है उसे मान लिया जाय और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

*__श्री हरीसिंह__—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना। इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो १० मील के दायरे में खांडसारी को टैक्स से मुक्त करने का पूरा अधिकार सरकार को दिया जाय और दूसरे खांडसारी उद्योग के लाइसेंस को नये करने की अवधि दो माह बढ़ाये जाने का अधिकार भी सरकार को हो। तो श्रीमन्, महज यह दो प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों को लेकर इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जितने वक्तव्य दिये जा रहे हैं वह तो केवल प्रचार करने के लिये हैं। सवाल केवल इतना है कि उनको टैक्स से मुक्त किया जाय और खांडसारी उद्योग बढ़े। यह तभी हो सकता है कि जब उसे बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय या जो उचित समझा जाय वह कर लेंगे। यही संशोधन इस विधेयक में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

दूसरा संशोधन यह है कि खांडसारी उद्योग के लाइसेंस में जो दिक्कत पड़ती है उसको दूर करने के लिये उसके समय को बढ़ा कर दो माह कर दिया गया है। श्रीमन्, ज्यों-ज्यों अनुभव होता है, उसके अनुसार सरकार किसानों के हित को देखते हुये अपना इरादा भी बनाती है। श्रीमन्, ऐसा होता है कि कभी-कभी जब उपज में कीड़ा लग जाता है तो गन्ने की उपज बहुत कम होती है, किन्तु कभी-कभी किसान के परिश्रम और दैवयोग से फसल इतनी अच्छी होती है कि उसको मिल तक नहीं पेर पातीं। इस विधेयक द्वारा सरकार ने यह संशोधन किया है कि किसान के परिश्रम का और उसकी बढ़ी हुई पैदावार का उसको लाभ हो और वह जभी हो सकता है जबकि इस उद्योग को पूर्ण स्वतंत्रता हो, और किसान को खांडसारी लगाने का अधिकार हो तथा वह बिक्री-कर आदि से भी मुक्त हो और उसे उसमें अच्छा मुनाफा हो।

इसके अलावा मैं एक और दृष्टिकोण से भी इसको उत्तम समझता हूं और वह यह कि इससे काफी लोगों को रोजगार मिलता है। मिल में तो १०० मजदूरों का काम एक ही आदमी करता है, लेकिन इस उद्योग में तो सैकड़ों व्यक्ति काम करते हैं। जिन किसानों की जीविका किसानी ही है और जो बेकार पड़े रहते हैं उनको इससे रोजी मिलती है। उन बेचारों की जीविका इसी पर निर्भर है। सरकार को तो खांडसारी पर से बिलकुल प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिये ताकि किसानों को रोजगार मिले। समय-समय पर मिल मालिकों द्वारा पैसा न देने की बात विरोधी दलों की तरफ से उठा करती है। श्रीमन्, हमारे देश में इतना गन्ने का उत्पादन हुआ कि वर्षों की चीनी अभी तक पड़ी हुई है। किसी भी देश में चीनी का इतना उत्पादन नहीं हुआ जितना कि यहां पर आपकी मिल द्वारा हुआ। तो सभी उद्योग-धंधों पर, सभी व्यापारी और किसान कोई भी हो, सब पर कर तो लगता ही है, उसकी पैदावार पर। किसी पर बिक्री-कर, किसी पर एक्साइज ड्यूटी, तो इसका प्रश्न नहीं उठता, कर तो लगना अत्यावश्यक है—चाहे आपकी सरकार हो, किसी की सरकार हो, कर तो लगाना ही पड़ेगा। केरल में क्या जनता करों से मुक्त हो गयी? बिना कर के कौन सरकार चल सकती है? सरकार की प्रशंसा कीजिये कि आज बिक्री-कर से मुक्त करना चाहती है उद्योग-धंधों को। इस कल्याणकारी सरकार की प्रशंसा होनी चाहिये। साथ ही दो महीने का जो पहले लाइसेंस नहीं मिलता था खांडसारी का वह देने जा रही है, तो इससे किसानों को कितना लाभ पहुंचाने जा रही है और मजदूरों को लाभ पहुंचाने जा रही है। इसलिये यह प्रवर समिति में भेजने का संशोधन निरर्थक सा मालूम होता है। मैं इसका विरोध करता हूं, साथ ही जो संशोधन सरकार के द्वारा इस विधेयक में आया है उसका समर्थन करता हूं और पुनः मैं आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने प्रवर समिति में भेजने का संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापस लें, मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह गन्ना का विधेयक पेश है उस में कल्पनार्थसिंह जी का संशोधन है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इस विषय में गहराई से देखा जाय तो जो बातें इस बिल में पेश हो रही हैं वह तो पहले आनी चाहिये थीं और वह भी जनता की जानकारी के बाद आनी चाहिये थीं।

अब से दो वर्ष पहले की बात है, मैं कई दफा गन्ना मिलों में कई सरकारी पक्ष के लोगों के साथ गया था, वहां पर मैंने देखा कि जिस साल १ रुपया १४ आना, १ रुपया १२ आना और २ रुपया तक गन्ने का भाव था और खुले मार्केट में किसानों की चीजों के अच्छे दाम उठ रहे थे उस वक्त मिलों में कम गन्ना गया। तो उस वक्त जितने मिल मैनेजर थे वह प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को अपने आंकड़े दे रहे थे कि इतना रुपया सरकार का टैक्स का मारा गया इसलिए किसानों को पाबन्द करना चाहिये। इसलिये किसानों को पाबन्द किया गया और उसके बाद अगले साल इतना गन्ना पैदा हुआ कि उसको सरकार ने मई-जून तक मिलों को खरिदवाया। किसान का काफी गन्ना खेतों में सूख गया, इस पर भी किसान को संतोष हुआ और उसने गन्ना मिलों को दिया। किसान को वह रेट भी नहीं दिया गया जो पहले से दिया जाता रहा था

उस गन्ने से बहुत-सी चीनी मिलों में बन गयी, वह न विदेशों को दी गयी, न यहां खपत हुई। तब मिल मालिकों को सब्सिडी दी गयी। ९० दिन चलने की बात नवम्बर में की गयी। अब मेरी राय में प्रवर समिति में इस पर विचार हो सकता है कि ९० दिन मिल चलने की बात एक साल पहले, ईख होने से पहले तय हो जानी चाहिये।

कहा जा रहा है कि राब चीनी बनाने के विषय में छूट दी जायगी, इसलिये यह बिल लाया जा रहा है। लेकिन गन्ने से राब बनाने के सट्टे होते हैं, इस समय इससे राहत नहीं मिलती जोकि फसल खड़ी हुई है। ऐसी हालत में मिल मालिक और पैसे वालों के हाथ में हर समय ही लड्डू रहते हैं। सट्टे अगस्त मास में व्यापारियों द्वारा होते हैं। पैसे वाला इस समय फायदा उठाता है। किसान सही कहता है कि उसका खून सेठ, मिल मालिकों को सभी को मीठा लगता है। यह सरकार तो हमेशा ही मिल मालिकों की और पैसे वालों की मदद करती रही है। एक तरफ तो यह हाल है कि ज्यादा चीनी बनाकर डाल दी गई जो कहीं विदेशों में बिकी नहीं है और दूसरी तरफ देश और प्रदेश के किसान को गन्ने का रस, गुड़ और राब भी खाने को नहीं मिली। जब कोल्हू चलते थे तब उसमें लोगों को काम मिल जाता था वह रोजगार भी जाता रहा।

इसलिए मैं यह नहीं समझ पाता कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने में क्या दिक्कत है? अगर प्रवर समिति में इन सब बातों पर विचार कर लिया जायगा तो क्या दिक्कत होगी? अंग्रेजी जमाने में जब असेम्बली में हमारे प्रतिनिधि आते थे तब बहुमत के बल पर वह सरकार उनकी बात नहीं मानती थी। उसी प्रकार से आज जो लोकोपकारी राज्य है उसमें भी किसानों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। कोई द्वेष की भावना से विरोधी दल ऐसी बातें नहीं कहता है। बहुमत दल की ओर से भी जो माननीय सदस्य बोलते हैं उनकी बातों से भी यह भावना व्यक्त होती है कि वह जनता का हित चाहते हैं, लेकिन उनकी जिद यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये। इसलिये मैं कल्पनाथ जी के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी राय देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करेगा।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस भाग से आता हूं जहां गन्ने की खेती होती है और अधिकतर गन्ना कोल्हुओं में पेरा जाता है और गुड़ और खांडसारी में परिवर्तित किया जाता है। यह परमावश्यक है कि गुड़ की उन्नति के लिये कार्य किया जाय और, सरकार का कर्तव्य है कि वह गन्ने की पेराई में उन्नति करने की ओर ध्यान दे। मैं समझता हूं कि इस तरफ यह विधेयक एक ठोस कदम है। इसमें उस इलाके की बात कही गई है जोकि मिल के आस-पास है। यह बात सत्य है कि अभी तक वहां गन्ना पेरने का अधिकार नहीं था और यदि पेरा भी जाता तो उस पर कर लगाया जाता था। इस संशोधन के द्वारा अभी तक जो देय कर है उसकी पूर्णतया या अंशतः छूट का अधिकार सरकार दे रही है। इसके सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय। यह एक छोटा सा विधेयक है और इसके उद्देश्य और कारणों में अन्त में लिखा हुआ है कि—"इस वर्ष स्थिति पूर्णतया बदल गयी है और रक्षित क्षेत्रों में भी फैक्टरियों की आवश्यकता से कहीं अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। अतएव आवश्यकता से अधिक गन्ने की इकाइयों में उपयोग किया जाना आवश्यक है जिससे कि गन्ना नष्ट होने से बचाया जा सके—।"

उस दिन महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो बहस हुई थी, उस अवसर पर भी विरोधी पक्ष की ओर से माननीय गेंदा सिंह जी ने जो इस समय यहां पर नहीं हैं, कहा था कि गन्ने की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, उन्होंने कहा था कि बहुत-सा गन्ना अवशेष है, उन्होंने यह कहा था कि उसकी पेराई की व्यवस्था होनी चाहिये। पेराई में क्या उन्नति कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिये। माननीय गेंदासिंह, जी ने यह भी कहा था कि इस साल भी बहुत गन्ना, यदि उचित व्यवस्था नहीं की गई तो खड़ा रह जायेगा, जिसको फूंकना या नष्ट करना पड़ेगा। यह इस विधेयक के उद्देश्य में भी कहा गया है। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि एक तरह से सीजन समाप्त हो रहा है इसलिए मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का विरोध करता हूं। इसको प्रवर समिति में भेजने का अर्थ यह होगा कि कुछ न कुछ समय और भी लग

[श्री बृजबिहारी]

जायगा। इसलिये पहले हमें इस विधेयक को जैसा है वैसा ही पास कर देना चाहिये। विरोधी पार्टी के जितने भी लोग हैं वे इस बात से सहमत हैं, इसके उद्देश्य और कारणों से सहमत हैं तथा इसमें जो कर अंशतः अथवा पूर्णतया हटाने की बात कही गयी है, उससे भी सहमत हैं। केवल वे लोग यह चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि और लाभ की बातें भी उसमें जोड़ी जा सकें। अगर इतना ही करना है तो उसको अलग से लाया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसकी तात्कालिक आवश्यकता है इसलिये इस विधेयक को पास करके कार्य रूप में परिणत किया जाय ताकि उससे किसान लोग लाभान्वित हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये जिद न करें क्योंकि उससे इस बिल के पास होने में देर हो जायगी।

श्री उग्रसेन—माननीय अधिष्ठाता जी, प्रस्तुत विधेयक पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी। सर्व प्रथम इस विधेयक के बारे में एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर यह विधेयक पास हो जायगा तो यह अक्तूबर, १९६१ से प्रचलित होगा और प्रचलित समझा जायगा। यानी आज यह विधेयक पास किया जायगा और प्रचलित होगा १ अक्तूबर से। मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस धवन ने ऐसे कानूनों के बारे में अपनी व्यवस्था दी थी कि जो बाद में पास होते हैं और जो लागू किये जाते हैं पिछली तारीख से। तो हाईकोर्ट के जज लोग किसी भी विधेयक के पहले से प्रभावी होने के बारे में एतराज करते हैं। इसलिये मेरी यह वैधानिक आपत्ति है, पहले आप इसकी जांच करा लें, ऐसा न हो कि कोई मिल मालिक हाईकोर्ट में आपके इस ऐक्ट को चैलेंज कर दे और फिर इस विधेयक की मंशा पूरी न हो।

हमारे मित्र माननीय चन्द्रबली जी ने इस ओर इशारा किया कि सरकार सस्ती शोहरत लेना चाहती है। एक बात और कह देना चाहता हूं कि खांडसारी की यूनिट लगाने वाले जब दौड़ धूप करते हैं तो एक माह का समय बीत जाता है और वह उसको कर नहीं पाते हैं। इस कठिनाई की ओर ध्यान देकर सरकार उसका समय दो कलेन्डर माह कर देना चाहती है ताकि उनको सुविधा प्राप्त हो सके। किन्तु मैं आपको याद दिलाऊं कि जब यह नवीनीकरण की बात आयी थी तो हमारे दल की ओर से कहा गया था कि अगर आप ग्रामोद्योगों की बढ़ोत्तरी चाहते हैं तो उनमें काम कौन करेगा? खेती के काम से जो लोग बचेंगे वे लोग इसमें काम करेंगे। वे लोग थोड़ी सी रोजी पा जायेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में साढ़े चार करोड़ एकड़ में खेती होती है और खेती पर आश्रित एक बहुत बड़ा प्रतिशत हमारे प्रदेश में है।

श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। वक्ता महोदय विषयान्तर कर रहे हैं। प्रश्न यहां केवल यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय या न जाय।

श्री टन्डेश्वरीप्रसाद—जब माननीय सदस्य को पता ही नहीं है कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है तो फिर वे व्यवस्था का प्रश्न उठाते ही क्यों हैं? कोई सदस्य विषयान्तर कर रहा है इसको जज करने के लिये तो आप स्वयं मौजूद हैं ही।

श्री अधिष्ठाता—आप लोग अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें। कई सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते हैं।

श्री रामायण—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस सदन के किसी सदस्य को आपका अधिकार लेने का हक है? कोई सदस्य विषय पर बोल रहा है या उस के बाहर जा रहा है, आप तो स्वयं उसके निर्णय के लिये मौजूद हैं।

श्री अधिष्ठाता—(श्री उग्रसेन से) माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री उग्रसेन—मुझे अफसोस है कि मैं माननीय सदस्य को समझा नहीं पाया हूं। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि जो पुराना विधेयक सन् १९६१ वाला है उसको आप देखें तथा उस की कार्यवाही को आप देखें तो मालूम होगा कि हम लोगों ने इस बात के लिये कितनी लड़ाई लड़ी थी कि खांडसारी उद्योग के फलने-फूलने से सब से ज्यादा लाभ अगर होगा तो वह उन खेतिहर मजदूरों को विशेष होगा जिनके पास खेती का काम करने के बाद काफी समय बचता है। वे तो कर्जा चाहते हैं और उसी पर ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन खांडसारी उद्योग से उनको बड़ी राहत मिलेगी। सन् १९६१ में जब सदन के सामने विधेयक पेश था तो हम लोगों ने मांग की थी कि लाइसेंस का प्रतिबन्ध बिलकुल हटा दिया जाय तथा १० मील रेडियस के अन्दर का जो प्रतिबन्ध रखा है कि वह यूनिट मिल क्षेत्र में न हो, उसे भी हटा दिया जाय, यह हमारी दो स्पष्ट मांगें थीं, मगर सरकार ने उनको नहीं माना। अब सरकार कहती है कि लेटर स्टेज पर भी हम उस पर आ जायं तो आप को इस पर कोई एतराज नहीं करना चाहिए। न माननीय रामायण जी को एतराज हो सकता है, न मुझे एतराज हो सकता है, न चन्द्रबली जी को एतराज हो सकता है, लेकिन यह अक्ल आती कब है? यह अक्ल बड़ी खतरनाक है। यह मर्ज मुहब्बत व दर्देदिल से ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने मर्ज मुहब्बत की वजह से इस बात को इनकार कर दिया जो उसने कहा था कि हम खांडसारी यूनिट लगाने का लाइसेंस नहीं लेंगे। माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि मैनपुरी व पश्चिमी जिलों में खांडसारी यूनिट लगाने के मुताल्लिक हाई कोर्ट में कई रिट दायर हुई, तमाम मुकदमे-बाजी हुई कि लाइसेंस देना जायज है या नहीं। उनके फैसले भी हुए। मेरे जिले में भी इस तरह के कुछ मुकदमें हुए और माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी भी बराबर इसके लिये यहां लड़ते रहे। हमारे प्रदेश का पूर्वी जनपद सब से ज्यादा इस मामले में भुक्तभोगी है। पहले तो ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि वहां कोई खांडसारी की इकाई लगा सके। पश्चिमी जिलों-जैसे मेरठ, मुरादाबाद आदि-में तो इस तरह की इकाइयां हैं भी। हमारे यहां की सरकार तो केवल टाटा, बिड़ला, जयपुरिया, डालमियां, खेतान आदि के इशारे पर व बिलकुल उनकी दया पर चलती है। सरकार से हमने कहा था कि वह कोई ऐसा प्रतिबन्ध न रखे जिससे किसानों को खांडसारी यूनिट या गुड़ यूनिट लगाने में किसी तरह की कठिनाई हो। लेकिन उस समय सरकार ने मेरी बात को नहीं माना। और अब आज सरकार कहती है कि हम गन्ने की खपत नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि सही बात यह है कि सरकार गन्ने की खपत कराना नहीं चाहती है। यह सरकार गन्ना किसानों का तथा अपना आंसू यह कह कर पोंछना चाहती है कि हम इस समस्या को हल करने के लिये इतना काम कर रहे हैं।

१० मील के अन्तर्गत यूनिट लगाने की छूट सदन ले ले और एक महीने के बदले दो महीने के अन्दर लाइसेंस रिन्यू करने का अधिकार मिल जाय तो भी उससे काम नहीं होने वाला है। उदाहरण के लिये मैं आप को बतला दूं कि उत्तर प्रदेश केन फेडरेशन को १० लाख रुपये की सहायता दे कर किसानों में गन्ना पेरने के लिये कोल्हुओं के बांटने की व्यवस्था की गयी है। आप को मैं केवल एक बात बतला दूं कि हमारे यहां जितना गन्ना पैदा होता है उसका ३० प्रतिशत तो चीनी मिलों में पेरने को जाता है, १० प्रतिशत गन्ना चूसने और बीज में चला जाता है, बाक़ी ५०-६० प्रतिशत गन्ना ऐसा है जो गुड़, खांडसारी के काम में लगता है। सारे प्रदेश के आंकड़े को देखा जाय तो उससे मालूम होगा कि सरकार खांडसारी उद्योग के लिये क्या कर रही है। १० लाख रुपया जो केन फेडरेशन को दिया गया है उससे किसानों के कोल्हुओं का वितरण किया जाना था लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि दिसम्बर, जनवरी तक कहीं भी कोई कोल्हू नहीं दिया गया। कितनी लड़ाई लड़ने के बाद मैं अपने यहां के एक आदमी को कोल्हू दिला सका और वह भी जनवरी में जा कर मिल पाया। कोल्हू के आर्डर को स्वयं सरकार पहले से करती। दस लाख में सरकार चाहती है कि २५ लाख एकड़ का जो गन्ना फालतू है वह दस लाख के कोल्हू वितरण कर के काम चला ले और उस की समस्या हल हो जाय।

सरकार ने दूसरी योजना में क्या किया? यह सरकार खून पोत कर शहीद होना चाहती है और घड़ियाल के आंसू बहाना चाहती है। मेरे पास यह कोई सोशलिस्ट पार्टी

[श्री उग्रसेन]

दफ्तर की पुस्तक नहीं है, यह सरकार के उद्योग विभाग की पुस्तक है गन्ने की प्रगति और वितरण १९५९--६०। दूसरी योजना में उनका लक्ष्य था कि खांडसारी और गुड़ के उद्योग को बढ़ाने के लिये क्या-क्या करेंगे और इस योजना की पूर्ति वह कहां तक कर सके यह आप सुन लीजिये :

सुधरी किस्म का गुड़ बनना चाहिये था, ४,२९,१०० मन और वह ३१ दिसम्बर सन् १९६० तक बन सका, केवल ५७,६६० मन। इसी तरह से खांडसारी चीनी का दूसरी योजना में लक्ष्य था ५१,५५० मन, लेकिन ३१ दिसम्बर, सन् १९६० तक खंडसारी बन सकी केवल २,५७० मन। जब खांडसारी के यूनिट पर लाइसेंस लगाना शुरू किया तो वह बन्द हो गये। यह भी किया गया कि उनके पास जो पुराना टैक्स बाकी है वह भी वे पहले रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से दें जिस तरह से कि यूगोस्लेविया और चेकोस्लेविया में हुआ कि अगर राष्ट्रीयकरण होगा तो उस खान्दान के लोगों को जो पुराना कर-भार होगा वह भी सब देना होगा। खांडसारी उद्योग को इस तरह से नष्ट किया गया।

हम आज सरकार से मांग करते हैं कि वह दो बातों की अविलम्ब घोषणा करे। हम चाहते हैं कि सरकार आज एलान करे कि गन्ना किसान का एक भी गन्ना खड़ा नहीं रहने दिया जायगा, उसको मिलों से पिरवाये बगैर मिलों को बन्द नहीं होने दिया जायगा और दूसरे हम खांडसारी यूनिट्स पर लाइसेंस नहीं लगायेंगे। आज परिधि बढ़ाने की बात माननीय सदस्य इसीलिये करते हैं कि इस संशोधन को उड़ा कर इसकी जगह पर दूसरे अच्छे संशोधन आ सकें। महात्मा गांधी जिनकी दोहाई हर बात में दी जाती है उन्होंने भी अपने ७ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ग्रामीण उद्योगों को भी शामिल किया था। आज बापू के कथन पर चलने वाले अगर स्वयं ही उनकी बातों का अनादर करें तो कैसे काम चल सकता है? आज आप को कहना चाहिये कि खांडसारी पर कोई लाइसेंस न होगा और गन्ने पर टैक्स नहीं लगेगा। आज मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसी सरकार का कानपुर के मिल मालिकों पर २८ लाख रुपया बिजली का बाक़ी था, लेकिन उनको छूट दी गई, लेकिन किसान को थोड़े से पैसे के लिये मुर्गा बनाया जाता है और बैल जो उसकी कमाई के साधन हैं उन को कांजी हाउस में बन्द किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब हमने यह सवाल उठाया था तो कहा था इसी सदन में कि क्या आप चाहते हैं कि मिलें बन्द कर दी जायं, अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वे बन्द हो जायंगे। मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी-सी रकम के लिये किसानों को और उनके उत्पादन के साधनों को बन्द किया जा सकता है, उन को मुर्गा बनाया जा सकता है, लेकिन मिल मालिक जो उत्पादन के साधन बताये जाते हैं उन को लाखों की बकाया होने पर भी छुआ तक नहीं जा सकता। उनकी किस्त बांधी जाती हैं, लेकिन हमारे लिये किस्त की कोई छूट नहीं है। एक्साइज ड्यूटी के मजीठिया पर ९३ लाख बाक़ी हैं, नारंग पर २८ लाख रुपया, सिंहानिया पर ८५ लाख। डालमिया को साहू जैन केमिकल्स के लिये जब रुपया दिया गया तो कोई सेक्योरिटी नहीं थी, माननीय राजनारायण जी के कहने पर सेन्ट्रल जूट मिल सेक्योरिटी में ली गई। तो मिल मालिकों को फ़ौरन छूट मिल जाती है, लेकिन किसानों को और मध्यम वर्ग के लोग जो खांडसारी युनिट्स लगाते हैं उनके लिये सरकार कहती है हम को जरा अधिकार दे दीजिये छूट देने का। हम तो कहते हैं लाइसेंस बिल्कुल हटा दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि सरकार के बस की नहीं कि गन्ने की समस्यायें इन मिलों से हल करा पाये। यह मिल मालिक बहुत ही होशियार हैं, हर पूंजीवादी होशियार होता है, सरकार यह जानती हैं। अगर एक मशीन बिगड़ जाय तो दूसरी नहीं लेंगे, वह कहेंगे मजदूरों को ज्यादा नौकरी देनी पड़ेगी, वेज बोर्ड अवार्ड आ गया है, तो वह अपनी पुरानी जगहों की आधा मशीनों से जेट का मुकाबला करना चाहते हैं। अगर यह सरकार वहां न बैठी होती तो पता चलता। जापान के पूंजीपतियों का मुकाबला आप नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं गन्ना मिल मालिकों को सरकार आदेश दे, एक टेक्नीकल कमेटी बैठाये जो देखे कि इनकी मशीनरी कब की मंगायी

हुई है। १९२७-२८ में जो मशीनें मंगाई गईं उन्हीं से यह गन्ना पेरना चाहते हैं, चाहे किसानों का कितना ही नुक्सान हो। ५० फीसदी से ज्यादा गन्ना खांडसारी में जाता है उसके लिये कोई व्यवस्था की गई? अतः यह जरूरी है कि खांडसारी उद्योग की सरकार भरसक मदद करे। "दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है", इससे काम नहीं चलेगा कि थोड़ी छूट कर दी। माननीय अमरेश जी कह रहे थे कि हम अब कर रहे हैं तो लोग क्यों बुरा मान रहे हैं। मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि भ्रम पैदा कर रहे हैं। किसान को जहर दिला रहे हैं जो शुगर कोटेड है। इसको गन्ना किसान जानता है।

श्रीमन्, मैंने डेल कारनेगी की किताबें पढ़ी हैं जिनमें से एक किताब का नाम है "हाऊ टु विन फ्रेंड्स ऐंड इनफ्लएंस पीपुल"। उसमें उसने लिखा है "A man is interested in what he wants,and not in what others want." तो यह तो इंसान का स्वभाव है, सरकार के नुमाइन्दों का इसमें खास दोष नहीं है, यह तो अपनी ही दिलचस्पी रखते हैं। यह तो यही चाहते हैं कि ५ साल बाद जनता बैलट में गऊ छाप पर नहीं। लेकिन 'अपनी ही कुटिया में रात बितानी गरीबी में मरती रहे इससे इनको कोई मतलब मुहर लगा कर वोट दे दे और ४ साल तक जनता होगी, बच्चे तड़पेंगे भूखों और कोफ्त जवानी होगी, सटे पेट और धंसी आंखों में सुबह तुम्हारी होगी।' यह हालत है। कहा जाता है कि सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। मगर जिस जनता ने हमें चुन कर भेजा है उसकी बातें कहना भी तो हमारा कर्त्तव्य है। अतः निवेदन है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें, नहीं तो इसको प्रवर समिति में भेज दें। ऐवर शाइन लांड्री में न भेज सकें तो वही हमधोबी हैं और उसका पाटा तो है वहां साफ हो जायगा, इसमें क्या बुरा है? मगर बिना धुलाई किये हुए रहने देना ठीक नहीं होगा और इससे प्रदेश की जनता का हित कतई नहीं हो सकता। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में जरूर भेजा जाय तभी प्रदेश के, गन्ने के लाखों और करोड़ों किसानों का फायदा हो सकेगा, ग्राम उद्योगों की उन्नति हो सकेगी और बापू की वाणी सफल हो सकेगी।

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—मैं एक नम्र निवेदन कर दूं। मैंने जब सुबह पूछा था सरकार से कि उसने जो यह सप्ताह भर के लिये कार्यक्रम घोषित किया है तो यह हम लोगों का काम है कि कब तक कौन सा बिल चलायें। मंत्रणा समिति नहीं है जिससे समय का बंटन नहीं हो पाया और सप्ताह भर का कार्यक्रम दे दिया। जब सप्ताह बीत जाय तो प्रस्ताव लाना चाहिये यह नहीं कि हर अमेंडमेंट पर प्रस्ताव लाया जाता है। जब मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इन्कार कर दिया और कुछ नहीं बतलाया। जब बिल सदन के सामने विचारार्थ पेश किया गया है तो विचार करने दीजिये। सप्ताह के अन्दर हमें इन बिलों पर विचार करना है। लेकिन तीन-चार घंटे की बहस के बाद आप कहते हैं कि क्लोज डाउन कर दीजिये बहस को।

श्री बनारसीदास—सप्ताह भर का कार्यक्रम रखा जा चुका है और जिस प्रगति से हम चल रहे हैं उसे देखते हुए शायद ही हम पूरे कार्यक्रम को खत्म कर पायें। तीन ही दिन आप के पास बाकी हैं और कई विधेयकों पर अभी विचार करना बाक़ी है। अगर टम्बेश्वरी प्रसाद तथा उनके साथियों को अख्तियार है अपनी बातों को रखने का तो यह सदन का भी अख्तियार है कहने का कि बहस इस पर काफ़ी हो चुकी और इस पर सभी पक्ष के माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके, इसलिये अब बहस समाप्त की जाय। एक आम बहस चल रही है और आम बहस के अन्दर भी ऐसी चीजों पर बहस चल रही है जिन पर नहीं करना चाहिये जबकि नियमावली के अन्दर लिखा हुआ है कि जो उसके मूल सिद्धान्त हैं उन पर सीमित रहना चाहिये। बहुत-सी बातों से जिनका इस संशोधन विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

है उन पर बहस होती रहती है और सभी पक्ष के माननीय सदस्य अपने विचार जब व्यक्त कर चुके हों और चार घंटा बहस हो चुकी हो तो प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह प्रश्न उपस्थित कर सके। उसके बाद बहस का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता—दो स्पीचेज और होने के बाद विवाद समाप्त किया जायगा।

श्री अम्बेश्वरीप्रसाद—एक मिनट मुझे निवेदन करना है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि आखिर वह किस बिल पर कितना समय देना चाहती है और इस प्रकार वह सप्ताह भर का कार्यक्रम बतला दे तो झगड़ा ही समाप्त हो जाय। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अभी मत बोलिये। जब क्लोजर मूव किया जाय तो बोलियेगा। कार्यवाही उठा कर यह बात देख ली जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना स्थान ग्रहण करें। सदन को अधिकार है कि कितन समय किस बिल के लिये रखा जाय।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, सदन के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन गन्ना क्रयकर विधेयक उपस्थित है। काफी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं केवल दो-एक बातें रखना चाहता हूं। इस संशोधन में दो बहुत ही छोटी-सी चीजें चाही गयी हैं। एक तो यह कि लयसेन्स की अवधि दो मास कर दी जाय और दूसरे यह कि दस मील के अन्दर जो लोग खांडसारी या गुड़ वगैरह बनाते थे उनको छूट देने में जो दिक्कतें होती थीं उनको दूर कर दिया जाय।

जैसा कि इसके उद्देश्य में दिखाया गया है इस संशोधन को रखने का मुख्य प्रयोजन यह है कि अब गन्ने का सीजन समाप्त होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा यह आशा की जा सकती है कि ३१ मई तक जितना भी गन्ना खेतों में है वह सब या तो मिलों में चला जाय या कोल्हुओं और क्रशर वगैरह के द्वारा पेर डाला जाय ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। विरोधी पक्ष की तरफ से जो भाई बोले उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह बहुत आवश्यक है, इससे किसानों का लाभ भी होगा, लेकिन उन्हें चिन्ता यह है कि गवर्नमेंट दरअस्ल किसानों का फायदा नहीं करना चाहती, बल्कि उनको केवल यह दिखाना चाहती है कि वह उनका फायदा करना चाहती है। जब हमारे माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि इससे किसानों का फायदा होगा और जैसा कि उन्होंने कई बार यह कहा कि गवर्नमेंट इसलिये विरोधी पक्ष की बात नहीं मानती, ठीक होने पर भी कि कहीं यह बात न हो जाय कि यह बात विरोधी पक्ष की तरफ से आयी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष के लोग इन दोनों बातों को केवल इसलिये मानने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि यह गवर्नमेंट की तरफ से आयी हैं और उन्होंने यह निश्चय किया है कि जो भी बात गवर्नमेंट की तरफ से आये उसका किसी न किसी तरह से विरोध करना ही चाहिये। इसीलिये कोई विशेष बातें न रख कर केवल एक बात रखी कि यह विधेयक प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय। वे यह भी महसूस करते हैं कि काम बहुत जल्दी होना चाहिये, जितने दिन बीतेंगे किसानों को उतनी ही तकलीफ होगी और गुड़ और खांडसरी बनाने में दिक्कत होगी फिर भी यह कहते हैं कि इसे प्रवर समिति के सामने भेज कर के कुछ समय और व्यतीत हो जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से न किसानों का भला होगा, न खांडसारी उद्योग का और न गुड़ बनाने वालों का ही। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे विरोधी माननीय सदस्यों को इसे अवश्य मान लेना चाहिये।

इसके अलावा उन्होंने जो यह कहा कि लायसेन्स नहीं होना चाहिये और दूसरी सहूलियतें होनी चाहिये, इसके लिये और मौका आ सकता है जब वे बातें भी रखी जा सकती हैं और उन पर विचार कर के परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इस समय जो बात हमारे सामने रखी गयी है मैं समझता हूं दोनों ही पक्ष उससे सहमत हैं, अन्तर केवल इतना है कि वह सरकार की तरफ से आयी है इसलिये दूसरा पक्ष यह समझता है कि उसका विरोध करना आवश्यक हो गया है। ये दोनों बातें बहुत ही सीधी सादी हैं अगर हम इसको सर्वसम्मति से मान लें तो यह हाउस के लिये भी

अच्छा होगा और जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उसके लिये भी अच्छा होगा ।

इन शब्दों के साथ में फिर माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि प्रवर समिति के सामने भेजने की जो बात आयी है उसको वापस ले कर वे इस बात से सहमत हों कि गवर्नमेंट की तरफ से जो संशोधन विधेयक आया है वह बिल्कुल निर्दोष है किसानों के लिये और जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे करते हैं उनके लाभ के लिये है, इसलिये हमें सर्वसम्मति से यह चीज मान लेनी चाहिये । अन्त में मैं जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसका समर्थन करता हूं और उधर से श्री कल्पनार्थासिह जी ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कल्पनार्थासिह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, जब लोगों ने यह दलील पेश की है कि प्रवर समिति में इसे भेजकर विलम्ब करने की कोशिश की जायगी और इससे प्रदेश के किसानों का हित नहीं होगा, मैं समझता हूं कि जो संशोधन है उसको ठीक तरह से पढ़ा जाय तो कोई देर होने की संभावना नहीं है । अगर ७ दिन में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दें और सदन उसे स्वीकार कर ले तो कोई ज्यादा देर नहीं होगी जबकि सरकार गन्ना के क्रय विक्रय के प्रश्न को लेकर २० लाख गन्ना के किसानों के साथ मजाक करती है । मैं मजाक शब्द का इस्तेमाल इसलिये करता हूं कि सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक जो नीति बरती गई है वह अवहेलनापूर्ण रही है और खास तौर से मिल मालिकों के फायदे की रही है ।

यह संशोधन प्रमाणित करता है कि सरकार के दिल में पहले से कुछ साजिश रही है और कोई वायदा रहा है जिसको पूरा करने के लिये चलते चलते यह संशोधन विधेयक लाया गया है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा और मेरा विश्वास है कि मंत्री जी को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिये था कि इतनी देर में इस संशोधन विधेयक के लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । श्रीमन्, मंत्री जी उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन आपको जानकारी होगी कि सदन ने एक बार नहीं बीसियों बार और जब पिछला सदन खत्म हो रहा था उस समय भी इधर के बैठने वालों ने किसानों की समस्या को हल करने की जोरदार मांग की थी और यह भी कहा था कि मिलों को ज्यादा दिनों तक चलाने का प्रबन्ध किया जाय और किसानों का जो गन्ना खेतों में सूख रहा है उसके पिरवाने का प्रबन्ध किया जाय । लेकिन दुख है कि उस समय जो आज संशोधन विधेयक लाया गया है, नहीं लाया गया । इसलिये इसमें भी कुछ न कुछ राज अवश्य है । हो सकता है कि मंत्री जी कुछ तकलीफ महसूस करें, लेकिन मेरा विश्वास है कि सरकार का इरादा साफ नहीं है और गन्ना किसानों की सही मानों में जो समस्या है उसका हल यह नहीं है । मालूम यह होता है कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनके लाभ के लिये यह लाया गया है । कोई सौदा हुआ है उसको बरकरार रखने की नीयत से यह लाया गया है ।

मैं चाहूंगा कि सरकार ईमानदारी से गन्ना किसानों की समस्या जो प्रदेश की सब से बड़ी समस्या हैं और २० लाख परिवार और प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसान इस पर आधारित हैं फिर भी सरकार इस पर उचित समय नहीं देना चाहती है और जल्दी जल्दी इस विधेयक को पास कराना चाहती है । प्रवर समिति में इसको भेजने का एक ही लक्ष्य है कि इस पर ही संशोधन न हो बल्कि इसके दायरे को और बढ़ाया जाय और प्रवर समिति में बैठने के बाद आपस की पार्टीबन्दी जरा कुछ कम हो जाती है, विचार का मतभेद कुछ कम हो जाता है और वहां बैठकर हम एकमत से इस विधेयक पर फैसला लें कि गन्ना के किसानों की क्या क्या समस्यायें हैं । १ महीना या २ महीने, या ६ महीने नहीं डेढ़ डेढ़ साल तक गन्ने की कीमत उनको नहीं मिलती है और सरकार इतनी निर्दयी है कि उसको महसूस नहीं करती है कि साल साल तक मेहनत करने के बाद उसको उसकी कीमत नहीं मिलती है । मिल मालिक कीमत नहीं देता और जब सरकार के यहां प्रार्थना करते हैं तो सरकार कीमत दिला नहीं सकती है । दूसरी ओर सरकार दस बीस और पचास रुपये के लिये, चाहे तकावी का हो, चाहे मालगुजारी का हो,या किसी प्रकार के टैक्स हों, वसूली करते वक्त उनकी भैंस और बैल तक कुर्क करा ली जाती है, उसके जेवर और बर्तन तक बेच दिये जाते हैं ।

[श्री रामसुन्दर]

क्या सरकार ने इस विधेयक के द्वारा कभी यह भी सोचा कि जिस निर्दयता से वह किसानों से तकावी और मालगुजारी वसूल करती है उसी निर्दयता से १ सप्ताह, २ सप्ताह के अन्दर गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से दिलवाया जा सके । श्रीमन्, मैं परचियां दिखला सकता हूं । सरकार की ओर से नहीं, मिल मालिकों की ओर से गन्ना सोसाइटियों की ओर से गन्ना किसानों में परचियां वितरित होती हैं । किसानों से कहा जाता है कि गन्ने की खेती बढ़ाओ और दूसरी तरफ जब गन्ने की खेती होती है तो उसकी खपत की क्या जिम्मेदारी सरकार की है? मैं केन आफिस की बात कहना चाहता हूं । श्री हेमवती नन्दन जीबहुगुणा सदन में इस समय नहीं हैं । उन्होंने इसी सदन में कहा था कि अगर प्रदेश के किसान केन क्रेशर्स के लाइसेंस चाहेंगे तो जितने किसान चाहेंगे उनको मैं केन क्रशर्स के लाइसेंस ७ दिन के अन्दर दिला दूंगा । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे जरा हाउस को रिपोर्ट दें कि साल भर से, ६ महीने से दफ्तर में दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, यहां से देवरिया, वहां से आजमगढ़, बीस बीस दरवाजे दौड़िये तब भी लाइसेंस नहीं मिल पाता है । क्या तरीका हो सकता है ? गन्ना किसानों की समस्यायें जटिल से जटिल बनती चली जा रही हैं । उसको खत्म करने के लिये और समस्याओं को हल करने का एक ही तरीका हो सकता है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां ठंढे दिल से हर बात पर विचार हो, चाहे ७ दिन के बजाय २ दिन ही हो और मुझे विश्वास है कि २ दिन का प्रस्ताव भी माननीय कल्पनाथ जी मान लेंगे,लेकिन वहां हम एक दिन में चबीसों घंटे बैठकर विचार कर सकते हैं जैसेकि आपको याद होगा कि जब जमींदारी उन्मूलन और ऐसे कई बिल बहुत महत्व के आये थे तब हमने रात के १२, १२ और २, २ बजे तक बैठकर के उनको पास किया है । इस महत्वपूर्ण बिल को और महत्वपूर्ण बनाना है तो वह वहां बन सकता है, बशर्ते सरकार इसके लिये तैयार हो । यह विधेयक भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ७ दिन तक के लिये इसको रोका नहीं जा सकता है । आगे आने वाले जमाने में गन्ना किसानों की समस्या जटिल होती जायगी । तो उन सारे मसलों को ठंढे दिल से विचार करके प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और फिर यहां सदन में संशोधन लाने की जरूरत नहीं होगी । उस रिपोर्ट के बाद आप बिल यहां पेश करें और वह यों ही पास हो जायगा । माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें । इसको प्रवर समिति में भेज कर डेढ़ लाख गन्ना किसानों की समस्या को हल करने के लिये जो बिल है उसको स्वीकार करना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--अब वाद-विवाद समाप्त किया जाता है ।

***श्री कल्पनाथसिंह**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा पुनः यह निवेदन करने की कोशिश करूंगा इस सम्मानित सदन से और मंत्री जी से कि वह कुछ बातों पर गौर करें जिनका जिक्र दोनों तरफ के लोगों ने किया है और खासतौर मैं माननीय अग्रवाल जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सही मानों में उस पक्ष में होते हुये भी अपने दिल की बात कही । उन्होंने सरकार की नीति का जो पर्दाफाश किया है उससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में अब तक के किसी वक्ता ने नहीं कहा है । इस पक्ष के लोग तो विरोधी कहे जाते हैं । यह भी कहा जाता है कि ये लोग महज विरोध करने के लिये विरोध करते हैं । लेकिन अग्रवाल जी उस पक्ष के आदमी हैं । जिस तरह का उनका व्यक्तिगत अनुभव है उसका जिक्र उन्होंने खुद ही किया है । श्रीमन्, मैं इस बात के लिये व्यक्तिगत उनका आभारी हूं कि उन्होने स्पष्टतः सदन के सम्मुख किसानों की हित की बातें या खांडसारी उद्योग के हित की बातें रखीं । सोचने की बात यह है कि आज अप्रैल के महीने में यह संशोधन विधेयक आया है और इसको लागू समझा जायगा अक्तूबर, १९६१ से ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बनारसीदास—एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन पेश किया है कोई नयी बात भी ला सकते हैं या जो बातें विवाद के अन्दर उठी हैं उन्हीं का उत्तर दे सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—जो विवाद हुआ है उसी के उत्तर में कह सकते हैं। माननीय सदस्य अपने को उसी तक सीमित रखें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री महोदय विवाद के समय सो रहे थे, जब यह बात आयी थी ?

श्री कल्पनार्थसिंह—यह बात कही गयी थी और मेरा खयाल है कि एक नहीं अनेक सदस्यों ने इसका हवाला दिया था। उद्देश्य और कारण को ही देखें, उसकी अन्तिम लाइन में यह बात लिखी हुई है। मैं कोई अलग से ले आकर नहीं जोड़ रहा हूं। मैं उसकी अन्तिम लाइन पढ़े दे रहा हूं। "मूल अधिनियम की धारा ५ तथा १४ के प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वगामी प्रभाव दिया जायगा और वे पहली अक्तूबर, १९६१ से प्रचलित समझे जायेंगे।" यह लाइन है। फिर यह विश्वास नहीं होता कि ये बातें अनजान में कही जा रही हैं। लेकिन इसलिये कि यह बात ओझल हो जाय, दिमाग से हट जाय, बीच में टोको, कुछ क्रम टूट जाये, अगर इस तरह की कोशिश हो तो कोई भी यह बात भूलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वादा पुराना है और कुछ दाल में काला है जिसका जिक्र मैंने शुरू ही में किया था।

श्रीमन्, यह अफसोस की बात है कि कानून तो आज बना और लागू समझा जाय साल दो साल पहले से। मंत्री जी तो आज इस सदन में उपस्थित हों और आगे आप सोच लें कि क्या बात रही होगी, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, यह सोचने की बात हो सकती है, सब बातें कही जायं यह जरूरी नहीं है। दूसरी बात, श्रीमन्, साधारणतया यह शंका उत्पन्न होती है जब इस विधेयक में पूर्णतया या अंशतया की बात कही जाती है। बात क्या है ? अगर छूट देनी है तो घोषणा कर दीजिये कि पूर्णतया छूट दे दी जायगी। यह सुबहा तब होने लगता है जब किसी के लिये वही अधिकार अंशतया देने की घोषणा करेंगे कि तुमको अंशतः छूट दी जायगी और किसी के लिये पूर्णतया देने की घोषणा करेंगे कि तुमको पूर्णतया छूट दी जायगी।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं फिर यह व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि माननीय सदस्य केवल उस बात का जवाब दे सकते हैं जो प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करते हुये दलीलें अन्य सदस्यों ने दी हैं, केवल उन दलीलों का उत्तर वह दे सकते हैं। यह सारी बातें माननीय सदस्य अपने भाषण में प्रवर समिति को सुपुर्द करने के पक्ष में कह चुके हैं और उन्हीं बातों को फिर कहना यह नियम के विरुद्ध है।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है। माननीय सदस्य रिपीटीशन न करें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय मंत्री जी वह नियम बतावें जिसके अन्तर्गत कि पहले कही हुई बात का हवाला वह नहीं दे सकते।

श्री अधिष्ठाता—वह ठीक कह रहे हैं। रिपीटीशन नहीं होना चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, कहा यह जाता है कि बहुत छोटा-सा यह संशोधन है। जिस हाव-भाव और मासूमियत के साथ यह कहा जाता है उस पर भी जरा तरस आती है कि आखिर बात बहुत छोटी है तो उससे भी छोटी बात मैं कह रहा हूं कि जरा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये। इससे क्या आसमान टूटा जा रहा है, क्या तूफान बरपा हो रहा है, यह मैं उन माननीय सदस्यों से पूंछना चाहूंगा जिन लोगों ने इसका विरोध किया है। एक साहब ने कहा कि सरकार का बड़ा पाक इरादा है और अगर पाक इरादा है तो उसी सिलसिले में मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब आपको पाक इरादा दिखाई देता है तो इससे बढ़कर नापाक क्या होगा। इस सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा था, माननीय मंत्री जी अगर उसको विषयान्तर समझते हों तो मेरी मजबूरी है। लेकिन यह पाक शब्द ऐसा था कि जिसके सिल

[श्री कल्पनार्थसिंह]

सिले में मुझे यह मजबूर होकर निवेदन करना पड़ा था। गन्ने की खपत की बात कही गई। श्रीमन्, यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि अगर गन्ने की खपत की बात है तो जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं जैसा कि वह आज ही धमकी देना शुरू कर दिये हैं कि अगले सीजन में हम मिलों को नहीं चलायेंगे, फिर उनको तो कोई और दूसरी छूट मिल जायगी लेकिन गन्ने का किसान क्या करेगा ? तो किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर और किसान की बात करके किन लोगों का फायदा कराने की ओर यह संकेत किया जाता है। किसानों के पक्ष में बोलने वाले उस तरफ के भाई जिन्होंने किसानों का जिक्र किया उन सब लोगों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वह जरा इस पर गौर करें कि आखिर यह जो प्रवर समिति में जाने का संशोधन है उससे क्या नुकसान है, प्रवर समिति में अगर वह बिल चला जाय तो उसका दायरा बड़ा होता है, उसमें दूसरे लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है . . .।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य पुनरावृत्ति कर रहे हैं, एक ही बात बार-बार कह रहे हैं। नयी बात कहनी हो तो कहें, अन्यथा अपने भाषण को संक्षिप्त करें।

श्री कल्पनार्थसिंह—जी हां, कोशिश यही कर रहा हूं। यह पुनरावृत्ति की बात नहीं है। कहीं-कहीं ऐसी बातें हो रही हैं इसलिये यह संबंधित बातें हैं। वही मैं उत्तर दे रहा हूं।

एक भी कोई निश्चित तर्क उस पक्ष से नहीं आया। हां, अग्रवाल साहब ने जरूर कुछ बातें कही थीं। मेरा खयाल है कि उन्होंने बात कहते हुये भी इस विधेयक का समर्थन किया और यहां तक कह दिया कि इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये था। उन्होंने एक प्रकार से इस विधेयक का समर्थन किया, लेकिन यह बात भी सही है कि आखिर उस पक्ष में बैठने के नाते वह समर्थन न करते तो क्या करते। मेरा उनसे निवेदन है और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का अपना दृढ़ निश्चय करें और इस दृढ़ निश्चय के साथ प्रवर समिति में ले जाने के बाद जब ७ दिन के बाद यह विधेयक इस सदन में आयेगा तो कोई खास बात नहीं होगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बनारसीदास—अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों के जितने भाषण हुये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है और उनका मैं बड़ा आभारी हूं। मेरे समक्ष बैठे एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसी अधिकारी के द्वारा विधेयक तैयार हो गया और उस पर बिला सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिये गये। श्रीमन्, इस पक्ष के लोग कोई लोहे की टोपी नहीं पहने हैं कि उनको खतरा हो अपनी बुद्धि के फूटकर निकल जाने का। जो लोग लोहे की टोपी पहने हैं और जिनको खतरा है अपनी बुद्धि के फूटकर निकल जाने का, मैं विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करूं कि मैं उनसे सीखने का बड़ा आभारी हूं। इस पक्ष के लोग उनके विचारों को ध्यान से सुनने के लिये तैयार हैं।

विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया कि लाइसेंसिंग द्वारा सरकार नियंत्रण करना चाहती है। मुझे उन लोगों के तर्क का कोई उत्तर नहीं देना है जिनका यकीन कंट्रोल्ड इकानामी के अन्दर नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रजासमाजवादी या कम्युनिस्ट दल के प्रगतिशील लोग जो यह समझते हैं कि समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये कंट्रोल्ड इकानामी की जरूरत है तो वह इस तरह के कोई तर्क उपस्थित नहीं करते हैं। जो यह चाहते हैं कि फ्री इकानामी हो, किसी तरह का कोई नियंत्रण न हो, किसी तरह का कोई कंट्रोल न हो उनके साथ में हमारा बुनियादी मतभेद है। इसलिये मैं उनके तर्क का कोई उत्तर देना उचित नहीं समझता हूं, न उनकी समझ में आयेगा और न मेरे लिये उचित ही होगा।

इसमें सिर्फ एक दो बातें हैं। बहुत से सदस्यों की तरफ से यह कहा गया कि जिस वक्त सन् १९६१ में यह विधेयक यहां पर पेश किया गया था तो दूरदर्शिता के साथ उन्होंने यह सुझाव दिया कि १० मील के दायरे के अन्दर यह सुविधा होनी चाहिये और साथ ही साथ

लाइसेंसिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो कठिनाई होगी उनको पहले उन्होंने देख लिया था तो उनकी दूरदर्शिता के लिये मैं आभार प्रदर्शित करता हूं ।

अब यह कहा जाता है कि इस पक्ष के लोग जिद्दी हैं और वह कोई तर्क मानने के लिये तैयार नहीं हैं । जो बातें आपने आज से कुछ मास पहले कहीं यदि हम उनको आज मानते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य है कि उसके लिये स्वागत करते और धन्यवाद देते कि जो बात आपने कुछ महीने पहले कही उसको हम आज मान रहे हैं । उसके बाद आप समझते थे कि कुछ समस्यायें और हैं तो उनके संबंध में सदन को अधिकार है प्रस्ताव करने का और विचार करने का जैसा कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा । इस विधेयक में दो ही बातें हैं । जो सुविधायें फैक्ट्री के १० मील के रेडियस के बाहर खांडसारी यूनिट को सरकार को देने का अधिकार है वही सुविधा १० मील के रेडियस के अन्दर देना चाहते हैं, दूसरे लाइसेंसिंग तो हैं ही । जहां लाइसेंसिंग में मियाद खत्म होने से ३० दिन पहले नवीनीकरण के लिये अधिकार था अब मियाद खत्म होने के बाद भी २ माह के बाद नवीनीकरण का अधिकार सरकार लेना चाहती है । कहा गया कि आखिर क्यों यह अधिकार लेने की जरूरत पड़ी और क्यों इसे रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट १ अक्टूबर से देना चाहते हैं । सरकार ने कुछ निर्णय किये । जिन लोगों को लाइसेंस में कठिनाई हुई उन लोगों की प्रार्थना पर अधिकारियों को आदेश दिये गये कि इस प्रकार के उनके प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय । जरूरत यह थी कि इस आदेश को कानूनी शक्ल दी जाय, हैसियत दी जाय । लिहाजा यह कानून पेश हुआ । माननीय नेता समाजवादी दल की तरफ से कहा गया कि कुछ रूलिंग्स का खतरा है । बहरहाल यह अधिनियम हमारे सूबे में चल रहा है और अभी तक हाई कोर्ट की कोई रूलिंग इसे गर-कानूनी करार देने की है नहीं और अगर होगी तो इस सदन को पूरी ताकत हासिल है और उस पर फिर सुधार और विचार किया जा सकता है ।

कुछ लोग बार-बार यह कहते हैं कि इस तरह के छोटे-छोटे संशोधन क्यों आते हैं । आजकल समय बड़ा परिवर्तनशील है और हमारी इकानामी स्टैगनेंट नहीं है और जितने संशोधन विधेयक यहां आते हैं वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं । कोई समाजवादी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि जब समाज में परिवर्तन होते हैं तो मान्यतायें बदलती हैं । समाज में इकानामी का विकास होता है और उसके अनुसार नियमों में हमें परिवर्तन करने होंगे । समय हो या न हो, यह कहा जाता है कि सरकार कुछ सोचती नहीं है और चार साल बाद वोट हासिल करने की बात करने लगती ह । सरकार तमाम फैक्टरीज से चन्दा लेती है । हालांकि यह विषयांतर है, किन्तु म नहीं जानता कि विरोधी पार्टियां अपने चुनाव के लिये कहां से चन्दा लाती हैं । उन के पास पता नहीं और कौन-सा सोर्स है । मैं इस चर्चा में अधिक नहीं जाना चाहता । हम लोगों पर तो आरोप है कि हम मिल मालिकों का समर्थन करते हैं और उनके गुलाम हैं, लेकिन मिल मालिकों को चालीस चालीस वोट वे लोग देते हैं कि जो किसानों के समर्थक और हितैषी हैं यह सब लोग जानते हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह विषयांतर है अथवा नहीं इस पर आप कृपा कर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बनारसीदास—जो कहा गया मैं केवल उसका उत्तर दे रहा हूं । कहा गया कि हम जो छूट देना चाहते हैं उसमें किन्हीं लोगों को रियायत दे कर उन्हें अपने पक्ष में लाना चाहते हैं । हम पर यह आरोप लगाया गया कि हर फैक्ट्री से हम दस, दस हजार रुपया लेते हैं और इसके लिये मैंने कहा कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें चुनाव में देखने को मिला । हमने किन्हें मत दिये और उस पक्ष के लोगों ने किन्हें मत दिये सब से अधिक । तो इस तरफ के बैठने वाले हम लोगों में कोई द्वेष नहीं है कि हम फैक्ट्री ओनर्स के दुश्मन हैं । हमने मिक्स्ड इकानामी को माना है । हमने अपने पर किसी बाइबिल को नहीं लाद रखा है कि जो मास्को आदि से आयी हो । हम अपनी नीति के मुताबिक एक व्यवस्था चाहते हैं ।

[श्री बनारसीदास]

यह बार-बार कहा जाता है कि यदि यह पर्चेज टैक्स विधेयक में संशोधन था गन्ने की समस्या का, उसकी पूर्ति का, उसके विनियमन का और उसके नियंत्रण का, तो उसका एक अलग से विधेयक था जिस पर आपने कल बहस की और यह सब उसमें करना चाहिये था। लेकिन मैं एक प्रश्न आप के सामने विचारार्थ रखना चाहता हूं। आखिर इस सूबे में गन्ने का एकरेज कितना होगा। बराबर एकरेज उसका बढ़ता जाता है। अगर हम भविष्य में ऐसा विधेयक लायें कि जिसके द्वारा क्राप प्लानिंग हो, जिसके द्वारा अलग अलग कमोडिटी के लिये एकरेज निश्चित हो तो हमारे बहुत से दोस्त कहेंगे कि हम जीवन के प्रत्येक अंग को कंट्रोल करना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी तो हमारे यहां कन्जम्पशन चीनी का १/३ है। मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां कन्जम्पशन जरूर कम है, संसार के और मुल्कों के मुकाबले कम है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहां गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है या नहीं। हमारे यहां चीनी का उत्पादन बढ़ा है। थोड़ा कन्जम्पशन भी बढ़ा है। लेकिन हमारे यहां काफी चीनी पड़ी हुई है। जिस समय यह सीजन शुरू हुआ उस समय भी ६ लाख टन चीनी रिजर्व में थी और तमाम देश में १२ लाख टन थी। माननीय उग्रसेन जी चाहते थे कि सरकार कोई आश्वासन दे इस किस्म का कि एक भी गन्ना बिना पेरे नहीं रहेगा। यह कैसे हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या उनका मतलब यह है कि चीनी का स्टाक कितना ही बढ़ता चला जाय चाहे उसका खरीदार हो या न हो? अगर यह नीति सरकार बना ले कि एक भी गन्ना बिना पेरे नहीं रहेगा तो फल क्या होगा? गन्ने का क्षेत्र फिर बढ़ता जायेगा और चीनी का उत्पादन इतना बढ़ जायेगा कि उसका कोई खरीदार तक नहीं रहेगा ....

श्री उग्रसेन---हमारे यहां चीनी कितनी अवेलेबिल है और अन्य देशों में कितनी?

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जब तक बैठते नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री बनारसीदास---मैंने यह माना है कि हमारे यहां कन्जम्पशन कम है, किन्तु यह तो जैसे-जैसे हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता जायेगा वैसे-वैसे उसका कन्जम्पशन भी बढ़ता जायेगा। पिछले साल हमारे यहां जहाँ ९ लाख टन चीनी की खपत थी, वह १० लाख टन हो गयी। लेकिन जब तक सरप्लस चीनी की बिक्री का प्रबन्ध न हो जाय, सरकार कोई आश्वासन नहीं दे सकती। (व्यवधान)

माननीय उग्रसेन जी थोड़ा समझने की कोशिश करें। केवल यह कह देने से कि सरकार मिल मालिकों की मदद करती है, किसानों की नहीं, काम नहीं चलेगा। इसकी कसौटी है क्या? हम इस विधेयक के द्वारा किसानों की मदद करना चाहते हैं या नहीं। अविश्वास के वातावरण में तो कोई सरकार चल नहीं सकती, कोई काम हो नहीं सकता। आपने इंडियन पैनल कोड बनाया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया है, पुलिस को कितने अधिकार दिये हैं, इस आशा से कि वे वफादारी के साथ अपना कार्य करेंगे। आपने भी यहां कसम खाई है, तो आपको विश्वास करना ही होगा। अंशतः या पूर्णतः जहां आवश्यकता होगी हम उसको माफ भी करेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा, न कोई अधिकारी नियुक्त होगा, न कोई प्लान ही सफल होगी। अगर हम किसी मान्यताओं को न मानें, तो न तो कोई कानून बन सकता है और न कोई अधिकार ही चल सकता है। इसलिए पहले अधिकार था सरकार को माफ करने का, आज भी अधिकार है, सिर्फ १० मील के रेडियस में और चाहते हैं। क्या आप विरोध करना चाहते हैं कि उन खांडसारी यूनिट्स को यह सुविधा देने का, जो १० मील के दायरे में हम देना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि वही पुराना लाइसेंस का आर्डर रहे कि ३० सितम्बर के पहले जो दरख्वास्त देंगे उन्हीं के लाइसेंस रिन्यू किये जायेंगे, बाद वालों के नहीं? ऐसा है तो सीधी बात कहिये।

कुछ लोगों ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि लाइसेंस न हो, कुछ कहते हैं कि यह जो सरकार की नीति है अंशतः और पूर्णतः माफ करने की, इसको डिलीट कर देना चाहिये। लेकिन यह बुनियादी सिद्धांतों का प्रश्न है। हम चाहते हैं कि सूबे के किसानों की मदद करने के लिये, उनका विकास करने के लिये जिन साधनों को हम टैप कर सकते हैं करों के द्वारा, उनको हम करें। जिस खांडसारी यूनिट पर एक छोटा-सा टैक्स है ६ पैसे मन का और मिल-मालिकों पर २५ पैसा प्रतिमन का है, तो यह हम चाहते हैं कि इससे काटेज इंडस्ट्री की मदद की जाय। जो भाई समझते हैं कि इस टैक्स को न रखा जाय, या लाइसेंसिंग का आर्डर न हो, तो उनके साथ जो हमारा बुनियादी मतभेद है उसके कारण हम कैसे सहमत हो सकते हैं कि प्रवर समिति विचार करे लाइसेंसिंग आर्डर को कैंसिल करने के लिये या अंशत या पूर्णतः उस टैक्स को बिलकुल ही खत्म करने के लिये। दो चीजें हम बुनियादी मानते हैं। पहले बुनियादी लाइसेंसिंग आर्डर होना चाहिये इसलिये कि नियोजन में मदद कर सकें। हमको मालूम हो, उसका नियंत्रण करने के लिये हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को नुक्सान न पहुंचे, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो कर भी मिले। उसमें यह भी लिखा है कि मिल मालिक को २५ पैसा प्रति मन टैक्स देना होगा तो क्या आप चाहते हैं कि वह टैक्स माफ कर दिया जाय ?

श्री उग्रसेन—उनको न माफ कीजिये, खांडसारी पर माफ कर दीजिये।

श्री बनारसीदास—५ साल अभी दूर हैं। एक गांव की कहावत है कि जो स्त्री किसी लड़के को मां से ज्यादा प्यार करने लगती है तो संदेह होने लगता है कि यह डायन तो नहीं है। हर जगह यह सोचना कि चूंकि मिल मालिक पर भी टैक्स है और खांडसारी यूनिट्स पर है, उनपर नहीं रहेगा, इनपर रहेगा, ये असंगत बातें हैं। इसलिये प्रवर समिति को भेजने का कोई अवसर नहीं है। जैसा चन्द्रजीत जी और उग्रसेन जी ने कहा अगर वह सहमत हैं इस सिद्धांत से कि खांडसारी यूनिट्स को सुविधा दी जाय तो इसको मंजूर किया जाय। अगर वह चाहते हैं कि लाइसेंसिंग में सुविधा दी जाय तो मंजूर किया जाय। अगर आपके दिमाग में और बातें हैं तो दूसरे प्रस्ताव लाइये, गैर-सरकारी विधेयक लाइये, जिनके द्वारा अपने सुझाव पेश कीजिये।

इसलिये जो संशोधन आया है प्रवर समिति को सुपुर्द करने का, उसका मैं विरोध करता हूं और जो मूल विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसको पुनः सदन के विचारार्थ पेश करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—क्या कल्पनार्थसिंह जी अपना प्रस्ताव वापस तो नहीं लेंगे ?

श्री कल्पनार्थसिंह—जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—तो मैं सदन की राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे तथा उसे इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ५ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ में शब्द "उक्त अवधि के व्यतीत होने के कम से कम तीस दिन पूर्व" के स्थान पर शब्द "उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् अधिक से अधिक दो कलेन्डर महीनों के भीतर" रख दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता—चूंकि खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं इस पर मत ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ में नई धारा १४-क का बढ़ाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् नई धारा १४-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"१४-क—राज्य सरकार, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि इकाइयों को ऐसे गन्ने के सम्भरण, अथवा उनके द्वारा ऐसे गन्ने के क्रय को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय, जो फैक्टरियों की आवश्यकताओं से अधिक है, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, प्रत्येक इकाई द्वारा, चाहे वह किसी फैक्टरी के भू-गृहादि से दस मील के अर्ध-व्यास के भीतर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।"

राज्य सरकार का इकाइयों को छूट देने का अधिकार।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में लोहे की टोपियों का बड़ा जिक्र किया .....

श्री अधिष्ठाता—पहले आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १४-क की अंतिम पंक्ति में से शब्द "या अंशतः" तथा शब्द "सकती है" निकाल दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी ने अपने भाषण के समय यह कहा कि इन शब्दों "अंशतः" और "सकती है" का जिक्र है लेकिन यह देखा नहीं कि इसको निकाल देने से बाकी बातों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। "सकती है" निकाल देने से मंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं रह जायगा। अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कह दिया कि विरोधी दल वाले चाहते क्या हैं, क्या यह नहीं चाहते कि अक्तूबर से लागू किया जाय, तो मंत्री जी ने खुद देखा कि विरोधी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल ने यह संशोधन पेश नहीं किया कि पहली अक्तूबर से यह न लागू किया जाय। अगर हम उस बात को न चाहते, अगर हम यह कहते कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट न दिया जाय, तब तो ऐसा कहा जाता।

दूसरी बात मंत्री जी की समझ में नहीं आयी, उसका ताज्जुब है। यह जो १४-क बढ़ाया गया है इसको एक बार फिर से पढ़ लिया जाय। इसमें माननीय मंत्री जी ने यह रखा है—"राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है।" इसका एक ही मतलब है कि माननीय मंत्री जी अब भी लोहे के आवरण में हैं। सदस्यों के यह कहने से और स्वयं यह मान लेने से कि काश्तकारों को फायदा होना जरूरी है, फिर भी उनका समाधान नहीं हुआ। जब वे ऐसा कहते हैं तो हमें शंका होती है। अगर आप पुरानी प्रोसीडिंग्स को उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि माननीय उग्रसेन जी ने और हमने सदन के सामने ऐसे विचार रखे थे लेकिन माननीय मंत्री जी ने उनको नहीं माना। ६ मार्च को फिर गन्ने के संबंध में विचार रखे लेकिन मंत्री जी नहीं माने और मंत्री जी का समाधान नहीं हुआ कि गन्ने के किसानों को सहायता की आवश्यकता है। मालूम होता है मंत्री जी लोहे के टोप के आवरण के नीचे दबे पड़े हैं। यह नहीं कि किसानों का गन्ना ही जलने जा रहा हो। उनके जेल विभाग का गन्ना भी जलने जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, जब कभी काश्तकार ने गन्ना देर से दिया तो तुरन्त यह सवाल पैदा हो गया कि रिकवरी पर पेनेल्टि होगा। लेकिन आज मंत्री जी पूछते हैं कि क्या मिल मालिक के ऊपर ४ आना छोड़ दिया जाय। यह विरोधी दल के लोग नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि वह चार आना हम को दिला दिया जाय। हमसे मतलब काश्तकार से है। आप जिस चवन्नी को हजम कर जाते हैं उसे हमें दे दीजिये।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि १० हजार मिल के मालिकों ने चंदा नहीं दिया। हो सकता है किसी ने २० हजार दिया हो और किसी ने ५ हजार भी दिया हो लेकिन वे यह नहीं कह सकते कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। वे बता दें ठीक-ठीक तो सब की गलतफहमी दूर हो जाय।

अब आप इस पैरे को देखें। इस खंड १४ में लिखा हुआ है :—

"१४–(क) फैक्टरियों को गन्ने के संभरण, अथवा उनके द्वारा गन्ने के क्रय को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय, अथवा

(ख) नयी फैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय, अथवा

(ग) १९५७–५८ की पेराई के मौसम के पश्चात् स्थापित ऐसी फैक्टरियों को, जो ऐसा गन्ना क्रय करती हों जिसमें शक्कर कम मात्रा में प्राप्त होती हो, सहायता दी जाय।"

इस सहायता के नाम पर उन गन्ना फैक्टरियों को, जिसकी रिकवरी कम है, आप सन् ६१ के अक्तूबर से सहायता करना चाहते हैं लेकिन खांडसारी इकाई के लिये कोई संशोधन आपके सामने लाया जाता है कि इसको इसमें से निकाल दिया जाय तो आप अपने लिये आशा रखते हैं। यह संशोधन इस प्रकार से है—"प्रत्येक ऐसी इकाई द्वारा, जो किसी फैक्टरी के भू-गृहादि से दस मील के अर्द्धव्यास से अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर-निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।" मैं कहता हूं कि जब फैक्टरी की रिकवरी कम हो तभी उनको छूट मिल सकती है, इस तरह की कोई निश्चित बात आप सदन के सामने क्यों नहीं रखते हैं, आपने पहली अक्तूबर, सन् ६१ से छूट देने की बात रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के लिये इससे अधिक अनिश्चितता की बात और क्या हो सकती है कि अभी तक उसका दिमाग इसी सम्बन्ध में निश्चित नहीं है कि कितनी छूट दी जायगी। पूरे तरीके से संशोधन को देखते हुए यदि सरकारी पक्ष उस संशोधन को मान लें तो उसे अधिक बल मिलता है। अगर सरकार को छूट देने की बात स्वीकार है और वह इस संशोधन को मान

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

ले तो मेरे ख्याल से इधर बैठने वाले सदस्यों को जितनी खुशी होगी, थोड़ी बहुत खुशी सरकार को भी अवश्य ही होगी ।

यहां पर लाल फीताशाही का जिक्र बहुत सुनने में आता रहता है । अक्सर देखा गया है कि एक-एक फाइल दर्जनों जगह जाती है और जनता के हित की जो बात होती है उसके समय पर पूरा करने में कितनी दिक्कत होती है । सरकार को भी यह कहने का बहाना मिल जाता है कि फाइलों की वजह से देर हो गयी जिससे जनता को जितना हम फायदा पहुंचाना चाहते थे उतना नहीं पहुंचा सके । आप कहते हैं कि एक आना टैक्स है, या ४ आना टैक्स है तो सवाल यह है कि आप कितनी छूट देना चाहते हैं । अगर किसान अपना गन्ना पेरना चाहता है तो कहा जाता है कि चीनी बनाओ ताकि मिल मालिकों से कम्पटीशन किया जा सके । सरकार लौह टोप के आवरण में ही रह कर सारी बातें किया करती है । पिछली दफा जब गन्ना किसानों ने गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये हड़ताल की तो इस सरकार की लौह टोपधारी पुलिस ने पचासों जगह किसानों को धरा-पकड़ा और उस हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया गया ।

अब सवाल यह है कि सरकार सर्वनिश्चित विषय पर भी अनिश्चित मालूम होती है और अगर वह इस तरह से अनिश्चित है तो फिर किस प्रकार से कोई संशोधन इस सदन के सामने लाया जाय । मैं कहता हूं कि अगर सरकार हमारे संशोधन को न माने तो वह स्वयं कोई ऐसा संशोधन सदन के सामने लावे जिससे इसमें निश्चितता आ जाय । अगर विरोधी दल की तरफ से पेश किये हुए किसी संशोधन को मानने में उसके लिये कोई प्रेस्टिज इश्यू का सवाल पैदा होता हो तो अपनी तरफ से ही उसे कोई ऐसा निश्चित संशोधन लाना चाहिये कि वह एक आना छूट देना चाहती है या कितनी छूट देना चाहती है । आज अगर कोई इकाई लगाने का विचार करता है तो उसके दिमाग में यह बात साफ हो जानी चाहिये कि अब उसे गन्ने के ऊपर कोई कर-कर नहीं देना है । हो सकता है कि छोटी नयी इकाई लगाने में भी कठिनाई हो । क्योंकि वह फिर इजाजत के लिये इसी सरकार के सामने आना है और केन कमिश्नर के सामने आना है और फिर महीनों पीछे वापस जाना है क्योंकि नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट में देर लग जाती है । इससे किसानों के गन्ने का सूख जाने का बहुत डर है । सरकार की कथनीति भ्रामक है और उसकी यह छूट की बात भी भ्रामक है । किसान ने सरकार के आश्वासन पर गन्ना बोया और अभी ६ मार्च वाले सेशन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सब गन्ना पेरा जायगा, उन्होंने समझा कि कहे जाओ फिर हमें तो जवाब देने सदन में आना नहीं है, जो आगे आयेंगे, वह जवाब दे लेंगे । संशोधन में पूर्णतः और अंशतः दो शब्द हैं लेकिन उससे कुछ सफाई नहीं हुई, देना चाहते हैं छूट या नहीं देना चाहते या जिस हद तक देना चाहते हैं वह सरकार ठीक से समझावे । अब सरकार को ठीक समझाने में देर क्या है, इस समय सरकार कह दे कि पूर्णतः छूट दे दी । सरकार इस बात को मानती है कि इकाई के पास टैक्स देने काबिल मुनाफा नहीं । अगर १ पैसा भी लगा भी लिया तो ऐसा तो नहीं है कि टैक्स छोड़ने से उनका कोई अधिकार ही जाता रहेगा, टैक्स तो वह कभी भी लगा ही सकते हैं । तो इसी समय वह छूट की घोषणा क्यों नहीं करते । अतः यह जो २ शब्दों का छोटा-सा विधेयक सरकार की ओर से आया है उसी में मेरा यह २ छोटे शब्दों का छोटा-सा संशोधन है, उसको सरकार स्वीकार करे और मैं समझता हूं कि उसको मानने में सरकार को आपत्ति हो क्या हो सकती है । मैं आशा करता हूं कि अभी खड़े होकर माननीय नवलकिशोर जी कह देंगे कि इस संशोधन को हम मानते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि उस संशोधन में जो शब्द बढ़ाये गये हैं उनको अगर मूल प्रस्ताव में जो १४-क का है, बढ़ा दिया जाय तो उससे इस प्रस्ताव में निश्चितता आ जाती है । मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार हो जायगा कि "राज्य

सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि इकाइयों को ऐसे गन्ने के सम्भरण अथवा उनके द्वारा ऐसे गन्ने के क्रय को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय, जो फैक्टरियों की आवश्यकताओं से अधिक है, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, प्रत्येक इकाई द्वारा, चाहे वह किसी फैक्टरी के भू-गृहादि से दस मील के अर्द्ध-व्यास के भीतर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर-निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्णतः छूट दे।" 'या अंशतः' और 'सकती है' निकालने के बाद यह शक्ल इसकी हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस मूल विधेयक के जो उद्देश्य और कारण हैं उनके पढ़ने से साफ हो जाता है कि इस वर्ष स्थिति बिलकुल बदल गई है और रिजर्व क्षेत्र में भी फैक्टरियों के आवश्यकता से अधिक गन्ना उत्पादन हुआ है। इसलिये आवश्यकता से अधिक गन्ने का इकाइयों म उपयोग किया जाना आवश्यक है जिससे कि गन्ना नष्ट होने से बचाया जा सके। यह सरकार के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं जब सरकार इतनी चिन्तित है कि १० मील के एरिया के बाहर छूट दी जाय तो उसको पूर्णतः दे, अंशतः के बजाय नहीं, तभी जा कर किसानों के अन्दर प्रोत्साहन पैदा होगा और गन्ने की खपत करने में इकाइयों का प्रयोग होगा, चाहे खांडसारी के जरिये हो, चाहे कोल्हू के जरिये हो, चाहे किसी अन्य दूसरे उद्योग-धंधे को लगा करके हो, वह कर सकते हैं।

श्रीमन्, आज जो विधेयक पेश किया गया है इसके बारे में वैसे तो दोनों तरफ के सदस्य बोल चुके हैं, लेकिन जो विधेयक हमारे सामने है इसको पास करने के बाद हमारे सामने एक ही नक्शा दिमाग में रहता है और यह कि सरकार कतई किसी तरीके से यह नहीं चाहती कि जो अधिक गन्ना है उसको किसी तरह से खपाया जाय। क्योंकि आज सवाल है काश्तकारों का गन्ना जो खेत में खड़ा है, वह कैसे बिके और उसके लिये अभी तक सरकार की तरफ से प्रबन्ध नहीं हो सका कि उसके पेरने का क्या इंतजाम किया जाय। आज जब यह विधेयक पास हो जायगा उसके बाद प्रचलित होगा तब तक सीजन खत्म हो जायगा। इस विधेयक से गन्ना किसान का कितना हित हो सकता है इसको आप और सदन समझ सकता है। अतः माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने जो संशोधन दिया है वह उचित ही है तथा इसको मानने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—श्रीमन्, अभी-मंत्री जी ने बताया कि हमने चीनी इतनी पैदा की कि उसकी खपत नहीं हो रही है और जनता उसको उठा नहीं पा रही है, खाने में असमर्थ है। लेकिन कन्ज्यूमर भागा डोलता है और देखता है कि रुपये से कम दाम पर कहीं मिलती है। १९४५ में ७ आने से ९ आने सेर चीनी मिल जाती थी, लेकिन १९६२ में एक रुपया सेर से चीनी कम नहीं मिल रही है। यह संरक्षण चीनी मिल मालिकों को इसलिये दिया गया था कि वे सस्ती चीनी कन्ज्यूमर को पहुंचा दें, लेकिन वे इसमें असमर्थ रहे हैं।

अब मैं माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस खंड १४—क के द्वारा हमारी सरकार अपने हाथ में क्या लेना चाहती है। एक तो ले रही है "लोक हित" और दूसरे "अंशतः"। यह दोनों ही अक्षर बड़े घातक हैं इन खांडसारी यूनिट्स के लिये जो फैक्ट्रीज को चलाने वाले हैं। कहते हैं कि हम इनको छूट देंगे और आप विरोध में कहते हैं। लेकिन देखना यह है कब छूट देंगे, कैसे देंगे और किसको देंगे? क्यों नहीं इन बातों को बिल में सरकार साफ तौर से लायी, इसमें भेदभाव होगा। अगर सरकार समझती है कि हिम्मतसिंह उसका आदमी है, २५ हजार रुपया चुनाव में देगा तो फौरन लोक हित उसको मिल गया, अन्यथा किसी को अंशतः मिले। तो मेरा कहना है कि इस 'अंशतः' को निकाल दीजिये इससे भेदभाव होगा क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में चाहें जिस मित्र को जितना चाहें दें या न दें। जिसको भी छूट दें, पूर्णतः दें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी अंशतः में कौन-सी बात रखते हैं। छूट देनी है तो पूर्ण छूट दें और इन दी पब्लिक इंटरेस्ट निकाल दो तब यह सब स्पष्ट हो जायगा। मिल वाले राजनीतिक पार्टियों से

[श्री हिम्मतसिंह]

कहते हैं, भाई तुम्हारे पास है क्या जो तुम को हम चन्दा देगें। हम तो इस हाथ देते हैं और उस हाथ लेते हैं। यह सिद्धान्त हमारे सामने आयेगा। चुनाव के दिनों में बैलों की जोड़ी मिल मालिकों के यहां पानी पीती है। बरसात में जैसे गड्ढों में पानी भर जाता है, उसी तरह से चुनाव से पहले जो गड्ढे हैं कांग्रेस इनको मिल मालिक के गड्ढों से रुपये भर देती है। इस तरह से सरकार उन्हीं को अनुदान देगी और उन्हीं को छूट देगी, जितना वे चुनाव में लेंगे। माननीय मन्त्री जी यह संशोधन विधेयक इसीलिये लाये हैं जिससे फैक्टरीज वालों को लाभ हो सके। लिहाजा मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि टम्ब्रेश्वरीप्रसाद जी के इस संशोधन को वह स्वीकार कर लें।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार की उस भावना का आदर करता हूं जिससे प्रेरित हो कर उसने यह विधेयक उपस्थित किया है। परन्तु इसमें ये जो "अंशतः" और 'सकती है' शब्द हैं उनसे विधेयक की मूल भावना समाप्त हो जाती है और सरकार के हाथ में रह जाता है जैसा चाहे वह करे। आज इस बात की जरूरत-महसूस की गयी है कि गन्ना अधिक है और उसे मिल वाले पेर नहीं सकते। इसलिये जो छोटे उद्योग हैं गुड़ या खांडसारी के उनको प्रोत्साहन दिया जाय। लेकिन अगर हम यह सोचें जैसा कि चीनी के बारे में कहा जाता है कि चीनी का उत्पादन अधिक हो जायगा, इसलिये छोटे उद्योगों को पनपना चाहिये तो ज्ञात होगा कि वस्तुस्थिति इसके बिलकुल भिन्न है। वास्तव में बात यह है कि मिलों का संरक्षण सरकार द्वारा होता चला आया है और मिल मालिक आज यह चाहता है कि गन्ने का दाम गिरा दिया जाय। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि चीनी अधिक है अगर हम चीनी को विदेशों में भेजने का प्रयत्न करें तो अभी हम उतनी चीनी पैदा नहीं कर रहे हैं कि उस मांग को पूरा कर सकें। कई मिल मैनेजरों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान में ऐसा कहा कि हम मार्केट तलाश कर सकते हैं यदि हमें सरकार करने दे, तो यह जो कुछ भी इसके पीछे एक साजिश है वह खत्म हो सकती है। मिल मालिक यह चाहता है कि गन्ने के दाम कम हो जायं। जैसे ही दाम कम होंगे, यही मिलें ज्यादा गन्ना पेरना शुरू कर देंगी। उस समय फिर इसी अधिनियम का सहारा ले कर सरकार मिलों को संरक्षण देने को सोचेगी कि सारा गन्ना मिलों को सप्लाई किया जाय और इसी अधिनियम के द्वारा सरकार खांडसारी पर नियंत्रण लगा देगी।

नियंत्रित इकोनामी की बात भी कही गयी। मैं समझता हूं कि नियंत्रित इकोनामी की बात छोटे उद्योग धंधों के लिये ही कही जाती है और वह बड़े उद्योग-धंधों के लिये नहीं होती है। मिल वालों को खुली छूट होती है और उनके इशारे पर काम चलता है। जो बिल कल पास हुआ था उसमें डेवलपमेंट कौंसिल की बात कही गयी थी और बोर्ड में मेम्बरों को बढ़ाने की बात थी। यह बात कही गयी कि यह तो एडवाइजरी बोर्ड है। मैं नहीं समझ पाता कि अगर मिल के स्थान पर किसानों के नुमाइन्दे उसमें अधिक रहते हैं तो एडवाइजरी बोर्ड की पोजीशन न रह कर उसकी क्या पोजीशन हो जायगी? डेवलपमेंट कौंसिल में केन कमिश्नर का राज्य है। केन ग्रोअर्स, कोआपरेटिव सोसाइटीज के नुमाइन्दे भी मनोनीत होते हैं। उनको कोई हक नहीं होता। किसानों से हम सलाह लेना नहीं चाहते। किसानों की सलाह की कोई जरूरत महसूस नहीं की जाती।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार अगर यह चाहती है कि छोटे उद्योग-धंधे पनपें और किसानों के गन्ने का इन्तजाम ठीक तरह से हो, वह पेरा जा सके और जलाया न जाय तो फिर हमें इस विधेयक से ये दोनों शब्द निकाल देना चाहिये तभी इसमें निश्चितता आती है, वर्ना इसके पास करने से कोई लाभ नहीं होता है, मिल मालिक जैसा चाहेंगे, करा लगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन को, जिसे उन्होंने बड़े मीठे ढंग से पेश किया है, मानने में असमर्थ हूं। जो बातें यहां कही गयीं उनमें कोई ऐसी नयी बात नहीं कही गयी जो विधेयक की फर्स्ट रीडिंग के वक्त में न कही जा चुकी हो और जिसका माकूल जवाब माननीय सूचना मंत्री ने न दे दिया हो।

एक बात मेरे माननीय मित्र श्री बसन्तसिंह जी ने फरमायी। उन्होंने इस मौक़े पर भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और किसानों की सलाह की बात शुरू की। इसका जवाब दिया जा चुका है और वह बिल भी पास हो चुका है। इसलिये अब मैं उस प्वाइंट को उठाना नहीं चाहता और उनकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता।

जिस समय मंत्री महोदय बोल रहे थे उन्होंने एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दी थी कि सरकार की यह नीति है कि जो छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। साथ ही साथ यह बात भी सही है कि शकर का उद्योग हमारे प्रदेश का मुख्य उद्योग है और यदि उसे खत्म किया जाय तो हमारे प्रदेश की एकोनामी पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। यह बार-बार कहा जाता है कि सरकार मिल मालिकों का बड़ा संरक्षण करती है। सरकार तो सभी का संरक्षण करती है, चाहे मिलमालिक हो, चाहे किसान हो और इसीलिये इसका नाम कंट्रोल्ड एकोनामी है। देश और जन-कल्याण की दृष्टि से जो हम उचित समझते हैं, वह करते हैं। अगर विरोधी पक्ष यह चाहता है कि शकर के कारखाने हमारे प्रदेश से खत्म हो जायं तब तो दूसरी बात है वरना यह सभी जानते हैं कि यहां भी एक बार इस तरह की हलचल मची थी कि यहां से शकर के कारखाने उठा कर मिल मालिक दक्षिण में ले जाना चाहते थे क्योंकि वहां उनको अधिक फायदा है। लेकिन हम जानते थे कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे गन्ने के काश्तकार को बड़ा नुक्सान होगा। जो यह कहा जाता है कि गन्ने की कीमत कम है उस बहस में मैं इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि खुद इस सदन ने यह तय किया था कि १ रुपया १२ आने मन गन्ने की क़ीमत हो, उस पर केन्द्रीय सरकार ने जो उचित समझा वह किया। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर यहां फैक्टरियां बन्द हो जायं तो गन्ने की क्या स्थिति होगी इसका अनुमान हमारे मित्र स्वयं लगा सकते हैं। बार-बार यह कहना कि जो मिलमालिक चाहेगा वही सरकार करेगी सही नहीं है। हम तो वही करते हैं जो जनहित में होता है।

जहां तक इसका सवाल है कि पूर्णतया छूट दी जाय या अंशतः छूट दी जाय, यह एक डिस्क्रिशन सरकार ने अपने हाथ में लिया है। अगर सरकार यह समझेगी कि पूर्ण छूट दी जाय तो पूर्ण छूट भी वह दे सकती है .....।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह कब समझेगी ?

श्री नवलकिशोर—जैसे-जैसे परिस्थिति उत्पन्न होती जायगी। जिन दो शब्दों को निकालने की बात कही जाती है उनके निकाल देने से इस क्लाज़ का कोई सेन्स नहीं रह जाता। लिहाजा मैं यह समझूंगा कि जिस प्रकार की भावना से उन्होंने अपना संशोधन रखा है उनका वह कार्य भी हो गया और अब वे संजीदगी से सोचेंगे तो यह समझेंगे कि इसका कोई सेन्स नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

†**श्री कल्पनार्थसिंह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का जो संशोधन है मैं उसके पक्ष में अपनी राय उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के हो जाने के बाद एक बहुत ही सुनिश्चित राय सरकार की मालूम पड़ सकेगी। आज सरकार ने जो भेदभाव करने की नीति अख्तियार कर ली है उसके चलते समय फिर वही बात दुहरानी पड़ रही है कि आज सरकार किसी खास इकाई से कह देगी कि तुम्हें छूट दी जायगी और किसी से कह देगी कि तुम्हें अंशतः छूट दी जायगी। इसके अलावा किसी इकाई वाले से,

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

किसी स्थानीय नेता या अधिकारी से कोई भेदभाव हो गया तो उसको अंशतः छूट देने की बात हो जायगी और यह भी जरूरी नहीं है कि उसको छूट दी ही जायगी। अंशतः में एक नया पैसा भी हो सकता है और पूर्णतया १०० नये पैसे भी हो सकते हैं। आखिर सरकार का इरादा क्या है? अगर छूट देने का इरादा है तो जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि सरकार अपना इरादा स्पष्ट करे और भेदभाव की नीति भी कि मिल एरिया से दस मील के बाहर वालों को छूट देने की बात करेगी या दस मील के अन्दर वालों को छूट देने की बात करेगी या एक इकाई इधर की ले ली जायगी और एक इकाई उधर की ले ली जायगी। इस तरह की भेदभाव की नीति बरतने की पूरी गुंजाइश है। इसके अतिरिक्त गन्ना उद्योग और शकर उद्योग पूरे प्रान्त में फैला हुआ है और सरकार को जब यह अधिकार मिल जायगा कि जिस जिले को चाहे पूर्ण छूट दे और जिसको चाहे अंशतः छूट दे तो इस अधिकार का अवश्य दुरुपयोग होगा और सरकार के अधिकारीगण इसका दुरुपयोग किये बिना नहीं रह सकते हैं।

लाइसेंस देने में आज प्रातःकाल माननीय मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयां लोगों को उठानी पड़ी हैं तो जो लोग पूर्णतया या अंशतः छूट पाने के हक़दार होंगे तो उसमें कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी, यह सोचने की बात है। बीस दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, कितने देवताओं को पूजना पड़ेगा और न जाने कितने हाकिमों को सलाम करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रतिस्पर्द्धा और वैमनस्य की भावना पैदा करने की पूरी गुंजाइश सरकार के पास रहेगी और एक जिले से दूसरे जिले को लड़ाने की बात भी यह सरकार सोच सकती है और एक रीजन से दूसरे रीजन को लड़ाने की बात सरकार सोच सकती है और गन्ने के परसेंटेज की बात कह कर सरकार छूट देने की बात कह सकती है तो श्रीमन्, इस संशोधन के न रहने के कारण गन्ना किसानों, खांडसारी, गुड़ और राब के उद्योग वालों को कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी वे जाहिर हैं क्योंकि इसी कारण से सम्मानित सदस्य भयभीत हैं और उनकी दलील भी यथोचित है।

श्रीमन्, अगर यह देखा जाय कि इस संशोधन विधेयक के लाने का उद्देश्य क्या है तो यही कहा जा रहा है कि गन्ने की खपत के लिये और खांडसारी यूनिटों को प्रोत्साहन देने के लिये यह लाया जा रहा है, तो श्रीमन्, कोल्हू लगाने वालों के लिये यह छूट क्यों नहीं दी जाती है। कोल्हू के माध्यम से गन्ने की खपत क्यों नहीं करना चाहते हैं या कोई ऐसी टेक्निकल राय या कोई प्राविधिक विधि क्यों नहीं निकालते जिससे किसान अपने गन्ने की कीमत स्वतः पा सके। लेकिन यह सरकार कभी मिल मालिकों की वफादार बन कर के खांडसारी वालों को दबाती है और कभी खांडसारी वालों से बातें कर के मिलमालिकों को तुर्रा दिखाया जायगा। आज तो मिलमालिक धमकी दे रहा है कि अगले सीजन से फैक्टरियां बन्द कर देंगे और कल को वह कहेंगे कि खांडसारी वालों को उसने छूट दे दी, हमको भी देना पड़ेगा। वह सही ही होगा। जब एक जगह एक शकर यूनिट को छूट दे दी गयी और उसके लिये कानून बना दिया गया तो फिर मिल मालिक बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, उसको यह छूट क्यों न दी जाय। इसमें बात फिर दुहरानी पड़ती है कि कोई षडयंत्र या साजिश सी मालूम पड़ती है। उस पक्ष के लोग कहते हैं कि साधारण सी बात है तो हम भी यही कहते हैं कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने दो शब्द का यह साधारण सा संशोधन दिया है इसको स्वीकार करने से क्या बिगड़ जाता है। जब आप छूट देना चाहते हैं तो डिस्क्रीशनरी पावर्स क्यों रखना चाहते हैं कि जिसको चाहे दें या न दें, जब चाहें दें, जिस जगह पर चाहें दें, यह क्या तमाशा है? आपके द्वारा मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि वे सरकार पर दबाव डालें जिससे सरकार की भेदभाव की नीति को खत्म किया जा सके। सरकार इस प्रकार के भेदभाव की नीतियों को लागू करने में बहुत ही निपुण है। उसका प्रमाण यह है कि यह विधेयक तो पास होगा आज लेकिन लागू समझा जायगा अक्तूबर, सन् १९६१ से। एक साहब कह रहे हैं कि चुनाव के लिये पैसा, हो सकता है कि अगले चुनाव की बात हो लेकिन मैं इस समय उधर नहीं जाना चाहता। इतनी बात अवश्य है कि इस संशोधन के पास

हो जाने से न तो इस विधेयक का मूल अंश ही या नीयत ही या जो आंकड़े बताये गये हैं, इन किन्हीं बातों पर कोई विशेष प्रभाव तो पड़ता नहीं केवल एक ऐसी बात है जिसके चलते उस पक्ष के लोग यह सोचते होंगे कि चूंकि अपनी तरफ से लिख दिया गया है तो यह बात रहनी जरूर चाहिये। मेरा यह भी ख्याल है कि उस पक्ष के लोग दिल में तो जरूर यह बात महसूस करते होंगे कि यह संशोधन उचित है और अगर उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय तो वे संशोधन के पक्ष में ही वोट देंगे लेकिन पक्ष विपक्ष की बात ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि इस संशोधन के खिलाफ बोलें वरना जितना अच्छा और सेंसिटिव संशोधन है और क्लाज को निश्चित बना देता है तो उसके मानने में किसी माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा। इस शब्दों के साथ मैं माननीय टम्ब्रेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश (जिला बस्ती)---श्रीमन्, दो शब्दों में मैं माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। आज कल जब कि सरकार यह महसूस करने लगी है कि दिन प्रतिदिन अनियमिततायें और घूसखोरी का प्रचलन होता जा रहा है तो इस तरह से अगर सरकार समझती है कि इन बुराइयों को रोका जाय तो वैसा हल भी होना चाहिए। ऐसी सूरत में जब कि अनियमितता बढ़ती जा रही है, यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी कानून बनाये जायं, वह निश्चित और स्पष्ट हों। इस तरह की घुली मिली बात जिसमें कुछ भी कहा जा सकता हो, यह अनियमितता बढ़ाने वाली बात होगी।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो संशोधन श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद जी का है उससे कानून में स्पष्टता आ जाती है और यह समझा जाने लगेगा कि सरकार अपने हाथ में कोई बात छिपा कर नहीं रखना चाहती है, जिसके द्वारा दो भांति का व्यवहार किया जा सके। इसलिए स्पष्टता, सुनिश्चितता और समान व्यवहार की दृष्टि से हर तरह देखने पर यह आवश्यक लगता है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में जो विवाद चल रहा है। इस संशोधन में जिसमें आपस में सुलह समझौते के साथ कोई बात निश्चित करने के लिए विनम्र प्रार्थना है उस प्रार्थना को मानने में हमारा ख्याल है कि किसी भी शरीफ आदमी को, भलेमानुस को एतराज नहीं होगा। इसके मान लेने से सरकार का भी बड़प्पन है। उस नीति का जिसको वह हमेशा कहा करते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं, उस इंसाफ को कायम रखने के लिये भाई टम्ब्रेश्वरीप्रसाद के इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसको स्वीकार कर लें।

श्री चन्द्रसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन का मैं विरोध करता हूं और इसलिए करता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस संशोधन को इस सदन में पेश किया है उन्होंने कानून की भाषा समझने में गलती की है। यह तो कानून की बहस में जो बाधा हो जाती है उसको दूर करने के लिये इस भाषा को इस प्रकार रखा गया है। अदालत में यह बहस हो सकती है कि छूट से मतलब पूरी छूट से है। लेकिन सरकार का जो इस विधेयक द्वारा छूट देने का मतलब है वह परिस्थितियों के अनुसार छूट देने का है। लेकिन कानून की अदालत में यह बहस की जा सकती है कि सरकार छूट दे सकती है, अंशतः या पूर्णतः.....

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद---क्या इसमें शंका है कि सरकार छूट दे सकती है ? यह तो सभी को मालूम है कि सरकार छूट दे सकती है।

श्री चन्द्रसिंह---अंशतः और पूर्णतः के मानी कानून में, जिस प्रकार अंग्रेजी में पार्टली आर होलली है वह उसका अनुवाद कर दिया गया है ताकि भविष्य में यह मामला अदालत में जाय तो कोई मामला सन्दिग्ध न रहे और स्पष्ट भाषा में यह मालूम हो जाय कि किसे छूट दी जा सकती है और किस तरह से छूट दी जा सकती है। चूंकि यह समझ का फेर है और

[श्री चन्द्रसिंह]

कोशिश नहीं की गई कानूनी भाषा को समझने की, इसलिए मैं समझता हूं कि अगर अब समझ में आ गया हो तो अच्छा है वापस हो सकता है और अगर कोई जिद वाली बात है तो उसमें भी हमें कोई गुंजाइश नहीं है।

†श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष के नये-नये सदस्यों के दिमाग में बात अच्छी तरह से आ जाय इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह तो ठीक ही है कि सरकार छूट दे सकती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि काश्तकार तो यह कहता है कि जब बरसे तब जानें। हम यह कहते हैं कि छूट देकर यह कर दिया जाय तब तो कहते हैं कि नहीं इतना ही रहने दिया जाय कि छूट दे सकती है। तो यह तो हम भी जानते हैं कि सरकार दे सकती है। सरकार बहुत से अच्छे काम कर सकती है लेकिन किये उसने एक नहीं। यह हम जानते हैं कि सरकार काश्तकारों का लगान आधा कर सकती है, लेकिन उसने किया नहीं। यह भी हम जानते हैं कि सरकार टैक्सों का भार कर सकती है, लेकिन वह करेगी नहीं, यह भी हम जानते हैं कि सरकार १ रुपये १२ आना मन गन्ने का दाम दिलवा सकती है लेकिन दिलवायेगी नहीं। प्रश्न यह है कि सरकार जो कुछ कर सकती है अगर हम इस सदन में निश्चित भी कर दें तब भी उसके होने में सैकड़ों बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं, तो जहां सकती है पर छोड़ देंगे वहां शायद वह कभी भी न होगा। इसलिये इसको सकते हैं पर नहीं छोड़ना चाहिए और मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस बाधा को निकाल दें। जब यह बात निश्चित हो गई कि लोक महत्व में इसका पेरा जाना आवश्यक है जो कि इस संशोधन का एक भाग है कि अगर सरकार लोक महत्व में चाहे, तो एक बात तो निश्चित है, माननीय मंत्री जी ने जब यह देख लिया कि लोक महत्व क्या है तो अब दूसरी बात जो उसके बाद आती है वह यह है कि सरकार क्या कर सकती है। तो इसका भी सभी सदस्यों को ज्ञान है कि सरकार क्या कर सकती है? अब आखिरी प्रश्न यह पैदा हुआ कि सरकार क्या करेगी? तो क्या करेगी इसके बारे में सरकार कुछ भी बतावे कि वह क्या करेगी तब भी कुछ निश्चितता इसको प्राप्त हो जाय लेकिन जब तक नहीं बताती तब तक यह तो हम भी जानते हैं कि बहुत से अच्छे काम वह कर सकती है, लेकिन किया नहीं। तो जैसे और बहुत सी भ्रामक बातें पड़ी हैं वैसे ही एक भ्रामक संशोधन यह भी पड़ा रहेगा और अगर सरकार ने कहीं किसी क्षेत्र में चुनाव में कुछ वादा कर लिया होगा तो वहां वह यह छूट देकर उस वादे को पूरा कर देगी और कह देगी कि तुमको यह "छूट" दे दिया। तो इसलिये यह संशोधन रखा गया है जिसमें कि यह चीज बिल्कुल साफ हो जाय और इसमें कोई भ्रम न रहे।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, यों तो जाब्ते से जो संशोधन पेश हुआ था उसका जवाब मैंने दे दिया था कि इसको मानने के लिये सरकार तैयार नहीं है। इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो। एक बात यह कही गई, इस बात का शक पैदा किया गया कि सरकार कहीं पूर्णतया दे दे, कहीं अंशतया दे दे और बड़ी दुहाई दी गई समान व्यवहार की। मैं तो समझता हूं कि यह डाक्टर के डिस्क्रीशन पर होता है कि किस मर्ज में वह क्या दवा दे। हमारे माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का चले तो वह टी० बी० और संग्रहणी दोनों में एक ही दवा दे दें और इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया सब में एक ही दवा दे दें। तो यह कोई मुनासिब चीज नहीं होगी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह तो जनरल टानिक है।

श्री नवलकिशोर—वहीं मैंने आपसे बताया। तो यह समान व्यवहार जो है यह एक कहने के लिये बड़ा अच्छा शब्द है। और उन्होंने बार-बार पूछा कि सरकार क्या करेगी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने आपकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष महोदय, बताया था कि सरकार वह कार्य करेगी जो जन-कल्याण में होगा चाहे उनको पसन्द आये, चाहे न पसन्द आये ।

हमारे एकाध मित्र जो विरोधी दल से बोले उनको यही पता नहीं था कि वह क्या बोल रहे हैं । कभी दस मील के भीतर की और कभी दस मील के बाहर की बात कही । पहले विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस बात को समझ तो लेना चाहिये था । विदिन टेन माइल्स इसलिये रखा गया था कि १० मील के बाहर के एरिया में जो अभी तक इस हमारे मीशन सरप्लस गन्ने के लिये देते थे वह अब विदिन १० माइल्स के एरिया में भी दिया जाय । सरकार को उसके लिये अधिकार देने की बात कही गई है कि वहां पर वह रेमीशन दे । उस १० मील के एरिया के अन्दर वार्ट या फुल जैसा भी सरकार उचित समझे, वह छूट दे सकती है । यह बातें यहां पर बहुत सही रूप में सदन के सामने रख दी गई है । अब और कुछ कहने की बात नहीं रह गई है । मैं टम्बेश्वरीप्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि अब इस संशोधन के यहां पर रखने के कोई माने नहीं है । इस बात को वह स्वयं भी समझते हैं । मैं फिर दोबारा इसका विरोध करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वह सन्जीदा आदमी है और वह सब बातें समझ गये हैं मेहरबानी करके वह इसको वापस ले लें और अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो हाउस से मेरी दरख्वास्त है कि वह इस संशोधन को पास न करे ।

श्री उग्रसेन---मैं भी बोलना चाहता हूं । इस पर कल आपकी रूलिंग हो चुकी है कि इस तरह से बोला जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब समय नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १४-क की अंतिम पंक्ति में से शब्द "या अंशतः" तथा शब्द "सकती है" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६१,

विपक्ष में---११९ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ ।

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के तेहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) यह १ अक्तूबर, १९६१ से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का संशोधन तो यह था कि पूरी छूट हो जाय । इसके लिये एक अधिनियम बन जाता ताकि सरकार की इच्छा पर वह न रहता । एक कहावत है घोड़े को आप तालाब के किनारे ले जा सकते हैं किन्तु उसको जबरदस्ती नहीं पानी पिला सकते । इसी तरह से हम तो सुबह से शाम तक यह कहते रहते हैं कि उनको कर से मुक्त करो, लेकिन सरकार चाहती है कि कर लगाया जाय । माननीय जगदीशशरण जी ने कहा कि कर भार से मुक्त हो, हरीसिंह जी ने यही कहा, तथा और कई कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि कर भार से मुक्त, मगर यह सरकार तो अपने आदमियों की बात भी नहीं मानती । हम चाहते हैं कि सरकार अब भी सोचे और इस कर निर्धारण वाले क्लाज को वापस ले ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय । श्रीमन्, सन् १९४९ में एक लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी स्थापित की गयी थी और उसने, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि स्थानीय संस्थाओं की आय बढ़ाने के लिये और इस वास्ते कि वे अपने विकास के कार्य-क्रमों को सफलतापूर्वक चला सकें, मनोरंजन-कर, बिक्री-कर, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर जैसे राजस्व के स्रोत उन्हें उपलब्ध करा दिये जायं । इस पर सरकार ने यथोचित विचार किया और सरकार यह महसूस करती कि संगत अधिनियमों में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि एक लाख या उससे अधिक जन-संख्या वाले स्थानीय निकाय अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के विलेख पर हस्तांतरित संपत्ति के मूल्य पर २ प्रतिशत या भोग बंधकी की दशा में सलेख द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर २ प्रतिशत अधिभार स्वरूप लगाने के अधिकारी हो जायं ।

श्रीमन्, जहां तक यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के आधीन स्थापित इंप्रूवमेंट ट्रस्टों का संबंध है उनकी स्थिति आय की दृष्टि से और स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा अच्छी नहीं है । इसलिये सरकार ने उनको कुछ और सुविधा देने की बात सोची है और विचार है कि ऐसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को भी जो ऐसे नगरों में स्थापित हों जहां जनसंख्या एक लाख से कम भी हो उतना ही अधिभार लगाने का अधिकार हो जाय, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के पास अपनी स्थायी आमदनी का कोई साधन नहीं है । उनको भूमियों या भवनों के विक्रयों से जो आय होती है वही होती है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विशेष परिस्थितियों में कायम किये जाते हैं जब उनके विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिये एक पृथक स्थानीय निकाय की आवयश्कता होती है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उनको आमदनी का उचित साधन अवश्य देना चाहिये ।

---

†२७ मार्च, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

आज ऐसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकुल परिवर्तन) अधिनियम, १९४८ के अधीन यह अधिकार है कि वह इंडियन स्टांप्स ऐक्ट, १८९९ के अधीन जो शुल्क लगता है उस पर अधिभार स्वरूप एक प्रतिशत हस्तांतरित संपत्ति के मूल्य पर और बढ़ा सकें। इस संशोधन का केवल यही अर्थ है कि जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को केवल एक प्रतिशत अधिभार स्वरूप शुल्क बढ़ाने का अधिकार है वह २ प्रतिशत कर दिया जाय, जिससे उनकी आमदनी का कोई एक अच्छा साधन हो जाय और वह अपने विकास के कार्यक्रमों को ठीक से चला सकें।

श्रीमन्, सिर्फ यही एक छोटा सा संशोधन है जो इस संशोधन विधेयक के द्वारा करने का विचार है। इससे उनकी स्थिति कुछ सुधर जायगी। माननीय सदन के सदस्यों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वह इसी दृष्टि से इस संशोधन विधेयक पर विचार करें।

†श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक में जो संशोधन करने का प्रस्ताव हुआ है उसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। साथ ही उसे इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्रीमन्, यह देखने में तो ऐसा लगता है और इस संशोधन के सिलसिले में जो उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि आमदनी का कोई दूसरा स्थायी स्रोत न होने के कारण इस तरह का संशोधन करना पड़ रहा है लेकिन श्रीमन्, जो दूसरे स्रोत भी कहे गये हैं उद्देश्य और कारणों में जिनके द्वारा टैक्स बढ़ाने का ख्याल है सरकार का एक परसेन्ट से दो परसेन्ट उसकी ओर नहीं किया गया है। ऐसी भी जगहें हैं जैसे कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है वहां लगभग २०० ऐसे गांव ले लिये गये हैं जहां शहर के पहुंचने की कोई गुंजायश अब तक नहीं है और न निकट भविष्य में होने की संभावना है। इन दो सौ गांवों के गरीब लोगों को जिनका कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से कोई वास्ता नहीं है, एक परेशानी हो जाती है वह जब जमीन बेचने के लिये तैयार होते हैं। तो जब उनको एक परेशानी हो जाती है उस टैक्स के देने के बाद तो आप स्वयं उसकी हालत को सोच सकते हैं। उस बेचारे गांव वालों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं और ट्रस्ट उनके लिये कुछ करने जा रहा है, न सफाई, न पढ़ाई, न दवाई और न उनकी किसी दूसरी बात का ख्याल है जिनको कि विकास के काम कहा जा रहा है। इन कामों से उन गांव के रहने वालों का क्या वास्ता? यह तो कानपुर, लखनऊ या दूसरे शहरों की बात हो सकती है, वहां के लिये यह बात सोच भी सकते हैं लेकिन जिस तरह से एरिया लिया गया है इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा, उन की जानकारी के बाद यह विचार पैदा हुआ कि इस विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जोकि एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। प्रवर समिति में, जिन बातों का मैंने जिक्र किया उनकी तरफ सम्मानित सदस्यों का ध्यान जायगा और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की जानकारी लोगों को हो जायगी तो जरूर ही इन बातों पर ध्यान दिया जायगा।

दूसरी तरफ परिधि बढ़ाने का भी प्रश्न है मेरे संशोधन में। तो जब परिधि बढ़ती है तो कुछ और दूसरे स्रोत निकल सकते हैं जिनके द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की आमदनी भी बढ़ सकती है। लेकिन जो यह एक से दो परसेन्ट इजाफा अचल सम्पत्ति की बिक्री पर करने का इरादा है मेरा ख्याल यह है कि कानपुर में जिन लोगों ने विभिन्न मिलों की चिमनियां लगा रखी हैं वह अपनी मिल या घर या किराये के मकान जो बना रखे हैं उनको बेचने नहीं जायेंगे। बेचेगा कौन? बेचेगा वही जो कर्जदार हो गया होगा। गांवों का किसान जो अपनी छोटी-मोटी पूंजी से जिसे वह किसी प्रकार शहरों में मेहनत करके लाया है, अथवा रिक्शा चला कर लाया है, या मिल की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

नौकरी करके लाया है, या किसी दूसरे स्रोत से लाया है, उससे जीवन यापन करने के बाद किसी प्रकार से गट्ठा दो गट्ठा जमीन खरीद कर उस पर एक गुमटी बनवा ली होगी, उसको अगर किसी की बीमारी आदि के लिये कर्जे की जरूरत होगी तो वह किसी धन्ना सेठ के यहां से कर्जा लेगा और फिर उसी के हाथ में उस मकान को बेचने की नौबत आयगी । लेकिन बेचने वाला वह उस टैक्स के बोझ से मारा जायगा । आप स्वयं सोच लें वह देहात का रहने वाला जिसको इस इम्प्रूवमेन्ट से कोई मतलब नहीं है, टैक्स के बोझ से दबेगा और वह भी ठीक-ठीक दुगना । अगर पये में दो पैसे की बात होती तब तो बात दूसरी थी ।

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने कैसे उपस्थित किया । आपके द्वारा मैं माननीय सदन के मेम्बरों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा इसको पढ़ें और इसकी मंशा को समझें । इसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग किसी प्रकार से एक चारपाई डालने के लिये, एक रिक्शा खींचने के बाद नींद भर सोने के लिये जो थोड़ी बहुत जगह बनवा लिये होते हैं, जब उनको अपनी जिन्दगी की जरूरतों के लिये जरूरत होती है तो वे उस जगह को बेचते हैं वे भी आपके इस कर को देने के लिये अपना दिल मसोस कर रह जायेंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस तरह के टैक्सेज क्यों लेती है ?

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य इस बात को बतायेंगे कि स्टाम्प ऐक्ट में स्टाम्प का खर्चा खरीदने वाला देता है या बेचने वाला ?

श्री कल्पनाथसिंह---खरीदने और बेचने वाले के बीच में जैसा एग्रीमेंट होता है, वही देता है, कभी बेचने वाला देता है और कभी खरीदने वाला । जिसकी गरज होती है वह देता है । यह स्टाम्प की बात तो परिस्थिति पर मुनहसिर करती है. . . . संयोग से मुझे तो रजिस्ट्री आफिस में जाने का मौका नहीं मिला और न कोई ऐसा एग्रीमेंट करने का ही मौका मिला जिससे मैं इसे बता सकूं । यह बात दूसरी है कि कुछ इस तरह की बातें जरूर सुनने में आयी हैं कि दोनों फरीक आधा-आधा खर्चा बर्दाश्त करते हैं । अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाय तो आपकी शंका का समाधान हो जायेगा और अगर खरीदने वाले को ही केवल स्टाम्प टैक्स देने की व्यवस्था हो जाय तो कम से कम मेरी शंका का समाधान तो हो ही जायगा । मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि जिस तरह की सूचना मुझे प्राप्त है उसके आधार पर और जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसके आधार पर मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि इस संशोधन को प्रवर समिति को भेज दिया जाय । प्रवर समिति में भेजने से शायद अभी जो बात आपने मुझसे जाननी चाही, यह बात भी प्रवर समिति में सम्मानित सदस्यगण अगर जानकारी होगी तो स्वतः अपनी जानकारी के आधार पर या नहीं जानकारी होगी तो गवाहियां, उन सभी बातों का निराकरण हो जायगा । एक शंका तो आपने ही की और भी ऐसी शंकायें बहुत सी हो जाया करेंगी, और इन्हीं सब बातों के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

इतना ही नहीं, सन् १९४९ में कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और संशोधन करने की जरूरत महसूस हुई आज, क्या बात है । हवाला भी दिया गया है श्रीमन्, मैं कोई जबानी जमा खर्च नहीं देता हूं । उद्देश्य और कारणों में शुरू में लिखा हुआ है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा--लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी ने जो सन् १९४९ में स्थापित की गयी थी उसने यह सिफारिश की थी---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इसका हवाला मैंने इसलिये दिया कि केवल एक हफ्ते के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और अगर सरकार इतने दिनों तक एक लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों के रहने वाले लोगों के या इम्प्रूवमेंट जहां कायम हैं, उन लोगों के बारे में सुख की नींद सो सकती है रिपोर्ट आने के बावजूद भी तो, इस सात दिन में क्या हो जायगा, कौन ऐसी खास बात हो जायगी ? सन् १९४९ से लेकर सन् १९६२ तक १३ साल का वक्त गुजरा, इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद, मैं तो १५ का आधा

केवल ७ दिन ही मांगता हूं । जहां लगभग १४ साल गुजर गये वहां उसका आधा ७ दिन की ही बात मैं कहता हूं । उतने दिन तक और सब करके इस संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

बहुत से दूसरे भाग ऐसे और हो सकते हैं जिनके आधार पर कर लगा करके इम्प्रूवमेंट की आमदनी बढ़ाने का जरिया निकल सकता है । कुछ की ओर तो संकेत किया गया है । मैं समझता हूं कि इससे माननीय मंत्री जी का भार भी काफी हल्का हो जायगा, अगर वह कमेटी इस बात की भी रिपोर्ट करे कि किन किन चीजों पर टैक्स लगा करके इसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है । उसे इस सदन के सम्मानित सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के पास कर देंगे और माननीय मंत्री जी के ऊपर भी कोई बात नहीं आयेगी । आये दिन जो बहस में लोग कहा करते हैं कि मंत्री लोग इस मामले में पक्षपात किया करते हैं, इन सब बातों से भी उनको छुटकारा मिल जायगा । इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---आप क्या अपना संशोधन रख रहे हैं, वह दोनों एक से ही हैं ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, मैं पहले एक जानकारी चाहता था कि जब आप उपस्थित थे तो मैंने एक प्रश्न यह रखा था कि बीच में उठकर एक दम से जो क्लोजर उधर से मूव हो जाता है उससे बड़ी असुविधा होती है । ७ दिन का कार्यक्रम तो सरकार ने दिया है, मैं क्लोजर मूव करने के एक हक की बात को नहीं कहता कि वह तो हक उनको है लेकिन यह विधेयक कब तक चलेगा इसकी कोई सूचना नहीं मिली । अगर समय निश्चित मालूम हो जाय तो हम भी उसी प्रकार समय हर चीज में लें । अतः आप कृपा कर मंत्री जी से कार्यक्रम पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में आज मैंने जो पार्टियां यहां है उनमें से प्रत्येक के चीफ ह्विप, सचेतक अथवा उनके नेता जो भी समय दे सकें उनको ५ बजे इसी ख्याल से बुलाया है कि उनकी सलाह से एक बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी बन जाय । अब जब तक वह नहीं बनती, मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि वह कल परसों तक बन ही जायगी लेकिन उस समय तक कौन सा विधेयक कब तक चलेगा यह आप लोगों के अधिकार में ही है । अब किसी विधेयक के लिये मान लो मैं समय निश्चित कर दूं और उससे सदन सहमत न हो तो वह ठीक न होगा । मुझे अधिकार नहीं है कि बगैर इस बात को जानते हुये कि कितना समय किसी विधेयक में लगेगा, समय निश्चित करूं । उसका निर्णय तो बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी ही कर सकती है । इसलिये अभी १-२ दिन आप मेरे ऊपर यह भार न डालें और शायद मंत्री जी भी सदन की ओर से जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि कितना समय लगेगा । यह तो सदन पर ही निर्भर है कि वह कितने समय तक किसी विधेयक को चलाना उचित समझता है कि उस पर विवाद चले, यह तो सदन का ही काम है ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, यह तो ठीक है लेकिन मेरा निवेदन है कि हमेशा सदन में मंत्री जी द्वारा निश्चित प्रस्ताव आया है कि अमुक विधेयक इतने समय तक रहेगा, यह कोई नई बात नहीं है । सरकारी पक्ष की ओर से जब कोई क्लोजर लाता है तो हम फिक्स में न रहें, हम निश्चित हो जायं कि कितना समय है ।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, मैं आप को बता दूं कि मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मिनिस्टर प्रस्ताव रखता है कि इतनी देर यह विधेयक चलेगा तो उनका वह प्रस्ताव भी एड-वाइजरी कमेटी की संस्तुति पर ही आश्रित रहता है, वह स्वयं समय निश्चित नहीं करते हैं । इस समय आप ऐसे ही चलने दें कल निश्चय हो जायगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आज तो यह साधारण विवाद चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, बिलकुल चलेगा।

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त)—अध्यक्ष महोदय, अभी जब माननीय कल्पनाथ सिंह जी अपना प्रस्ताव पेश करते हुये बोल रहे थे तो मेरे मन में यह बात आ रही थी कि मैं भी आप से एक व्यवस्था चाहूंगा कि जिस प्रकार इस सदन में गाने बजाने की मुमानियत है उसी प्रकार रूपक खड़ा करना और इसके द्वारा आदर सदन का समय लेना क्या वाजिब है ? यह मैं जानता था कि आप अपनी उदारता से उसकी कान्तिजेंस नहीं लेंगे इसीलिये मैं खामोश ही रहा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, क्या यह आक्षेप उचित है कि आपके लिये कहा जाय कि आप कान्तिजेंस नहीं लेंगे ? मैं व्यवस्था इस पर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

श्री हरीदत्त—सिद्धांततः तो यह मालूम पड़ता है कि उनको इस बात से कोई गुरेज नहीं है और यह इससे इत्तिफाक करते हैं कि स्थानीय निकाय फंड्स की कमी से पीड़ित रहते हैं और उन की आय बढ़ना चाहिये। इसी प्रकार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स को भी आय की आवश्यकता है। कहा यह गया कि प्रवर समिति में इसलिये भेजा जाय ताकि इस मद से आमदनी न होकर किसी दूसरे स्रोत को अगर पाया जा सके तो उससे आमदनी निकाली जाय। और जिस मद में प्रौपर्टी के खरीद फरोख्त से १ परसेंट को २ परसेंट करने की मांग इस संशोधन में की गई है उससे विरोध केवल इसलिये था, एक कल्पना उन्होंने यह खड़ी कर दी कि रिक्शा वाला होगा, होटल में काम करने वाला होगा, नौकरी करने वाला होगा, गरीब से गरीब ही बेचेगा और मिल मालिक तो बेचेगा नहीं, मालदार बेचेगा ही नहीं। ऐसा लगता है मानो यह स्वयं सिद्ध है कि रिक्शा वाला और गरीब ही बेंचता है और अमीर नहीं बेंचता। जब कि इसके बरअक्स उदाहरण हैं। अतः यह बात नहीं कि गरीब आदमी ही बेंचेगा, सभी बेंचते हैं। तो एक कल्पना का रूपक बना करके कहा गया कि गरीब का ऐसा हो जायगा, वैसा हो जायगा। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का रूपक बना करके, काल्पनिक बातों पर इस आदरणीय सदन का समय लेना कहां तक मुनासिब है। जनतंत्र का नाम लेकर उधर से ही इस प्रकार के एतराज होते हैं और वह यह भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र में प्रतिपक्षी दल का महत्वपूर्ण स्थान है, वह उसका अभिन्न अंग है। दुनिया की दूसरी जम्हूरियतें इसका सबूत है। लेकिन अगर विरोध का यही स्टैंडर्ड है तो निराशा होती है।

यह एक ऐसा मासूम बिल है जिस पर कुछ ही मिनट लगना चाहिये था पास होने में। लेकिन मालूम यह होता है कि अभी एक दिन और इसमें खींच लिया जाय। सिद्धांत में वह कबूल करते हैं कि स्थानीय निकायों को फंड्स की आवश्यकता है, वह उन्हें प्राप्त होने चाहिये। लेकिन एतराज यह है कि यह जो मद है, यह गरीबों पर पड़ेगी। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब कभी कोई दूसरी मद कर की आयेगी उसको विरोधी पक्ष ठीक कहेगा ? मुझे तो यह मालूम होता है यह स्पीचेज सदन के कांट्रीब्यूशन के लिये नहीं होती बल्कि गैलरीज के लिये होती हैं। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करके कि यह मासूम बिल है अपने प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को वापस लेंगे और इसको जल्दी से पारित करेंगे ताकि जो इसकी उपयोगिता है वह कार्य रूप में परिणत हो सके।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं "उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे।"

श्री अध्यक्ष--पहला जो संशोधन है कल्पनार्थसिंह जी का वह आपके संशोधन को कवर करता है। आप उसी पर बोल सकते हैं। बगैर अपना संशोधन रखे हुये।

श्री नरसिंहनारायण--श्री कल्पनाथ सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं, आपकी आज्ञा से, उसका समर्थन करता हूं। जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसमें लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिनको मैं इस माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे यह साफ हो जाय क्या क्या स्रोत हैं जिनको इस कमेटी ने रिकमेंड किये हैं और जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसमें उनकी क्या व्याख्या है?

श्री अध्यक्ष--पृष्ठ बतला दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण--पृष्ठ है ४९८--

"113. The existing resources of the Improvement Trusts are not adequate. State Government should make these bodies financially self-sufficient so that they may be able to discharge their obligations. We recommend that Improvement Trusts and Development Boards should have the following sources of revenue—

(1) Annual contribution of 2 per cent the annual rateable value from municipal funds;

(2) Share of the proceeds of the entertainments tax;

(3) Share of the proceeds of the terminal tax on persons coming by rail, road or inland water-ways;

(4) betterment tax, and

(5) Government grants"

ये पांच प्रकार के स्रोत हैं जिनको लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी ने बतलाये हैं जो कि लोकल बाडीज के इम्प्रूवमेंट के लिये हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो उद्देश्य और कारण इस संशोधन विधेयक में पेश किये गये हैं इनको अगर ध्यान से पढ़ा जाय तो श्रीमन्, देखेंगे कि "स्थानीय वित्त जांच समिति जो ४९ में स्थापित की गयी थी अन्य बातों के साथ उसने यह सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने और उन्हें अपना विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला सकने योग्य बनाने के लिये सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर, मनोरंजन कर, तथा बिक्री-कर जैसे राजस्व के स्रोत उन्हें उपलब्ध कराये जाय।" ये स्रोत स्थानीय वित्त जांच समिति ने बताये जिससे वह अपनी आमदनी बढ़ा कर अपने विकास कार्यों को कर सके। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि मेरे गोरखपुर में भी इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। वहां की म्युनिसिपैलिटी जहां पर कि १ लाख के करीब आबादी है अपना इम्प्रूवमेंट का काम चला रही है और इम्प्रूवमेंट के नाम पर वहां की जनता को धोखा दे रही है, वहां की जनता की जमीन को छीना जा रहा है। इस संशोधन विधेयक के जरिये यह प्रस्तावना की जा रही है कि स्थानीय निकाय अपने विकास के लिये यह जरूरी है कि टैक्स लगायें और जनता पर कर भार बढ़ायें। मैं समझता हूं कि आदरणीय मंत्री जी इस पर पूर्णतया विचार करेंगे कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके पास क्रय शक्ति इतनी नहीं है कि अगर जमीन वह खरीदते हैं अपने मकान के लिये या उसको किसी दूसरे को हस्तांतरित करते हैं तो उस समय वे टैक्स दे सकें। आपकी आज्ञा से मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो उद्देश्य और कारण दिखाये गये हैं उनसे हमारी जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा और उसके ऊपर कर भार बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि जब तक इसको प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जाता तब तक शांति से माननीय सदन इस पर विचार नहीं कर पायेगा। इसलिये मेरा यह निश्चित मत है कि जो श्री कल्पनाथ जी का प्रवर समिति में भेजने का संशोधन है उसको मान लिया जाय और प्रवर समिति में शांतिपूर्ण तरीके के विचार कर के ही इसको पास किया जाय।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का घोर विरोध करता हूं क्योंकि देखने से यह पता चलता है कि आदतन प्रवर समिति में भेजने का संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जब तक पूरे तौर से अमेंडिंग बिल, उसके कंटेंट्स, उसके इम्प्लीकेशन्स और कांसीक्वेन्सेज जो उससे फ्लो होते हैं उनको स्पष्ट नहीं किया जाता तबतक फौरन ही एक आवाज लगा देना कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इस सदन के माननीय सदस्यगण इस योग्य नहीं हैं कि वे इसमें उन अमेंडमेंट्स को ला सकते हों जिनकी कि खास जरूरत है.....

श्री कल्पनार्थसिंह---एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस वाक्य से इस सदन का अपमान नहीं होता कि इस सदन के लोग इस काबिल नहीं हैं कि इसको समझ सकें ?

श्री अध्यक्ष---वह एक आर्गूमेंट सामने रख रहे हैं। सुन लीजिये तो हम लोग समझ जायेंगे कि उनकी क्या मंशा है।

श्री चन्द्रसिंह---मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की और उनके दिमाग में मेरी बात की जो झलक पड़ी वह गलत पड़ी। मेरे कहने का मतलब यह था कि जब तक आप यह समझते हैं कि माननीय सदस्य शायद अच्छी तरह से इस बिल के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे और केवल प्रवर समिति के ही माननीय सदस्य इंसाफ कर सकते हैं मैं समझता हूं कि यह बात कतई गलत है.....

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, यह एक ऐसा सवाल है कि जिस पर गौर करना चाहिये। प्रवर समिति और सदन के बारे में जो बात कही जा रही है.....

श्री अध्यक्ष---उनका मंशा यह है कि एक ऐसा विषय है जो यहां बैठ कर हम लोग समझ सकते हैं और तय कर सकते हैं, प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं। यह उनका सारा आर्गूमेंट है।

अब ५ बज गये। अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ अप्रैल, १९६२।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३७ एल० ए०---१९६२---८४५।